रोजेंस्ट्री से	वी. (बी. एन.)73 , REGISTERED NO. D. (D. N)73
	HIRAN ANT USIUS The Gazette of India
·	श्रीभकार से प्रकाश्विस PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 24] No. 24]	नई बिल्ली, शनिवार, जून 14, 1986/ज्येण्ठ 24, 1908 NEW DELHI. SATURDAY, JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1908
	इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अरूग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
·	भाग II
	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के गंत्रालयों और (संघ राज्य क्षत्र प्रशासमों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विभि के अन्दर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिलमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।
	I Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and

the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कामिक, लोक शिकायत. तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

सा.का.नि 429.—-राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक ढारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावन्ती 1961 जहां तक वे विधि प्रौफेसर के पद से संवंधित है उन वात्तों के सिवाय जिन्हें इस मधित्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रणासन ग्रकादमी मसूरी में विधि प्रोफेसर पद की भर्ती की प्रतुति को विनियमित करते हुए निम्नसिखित नियम बनाते हैं, प्रथीत्:

ा. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमो का नाम लाल बहादुर णास्त्री राष्ट्रीय प्रणासन म्रकादमी विधि के प्रोफसर भर्ती नियमावली, 1986 है ।

(2) ये राजपन्न में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे।

पत्रों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेसनमान : उक्षत पद की संख्या, इस वर्गीकरण तथा इसका वेसनमान इन नियमों के माथ संलग्न मनुसूची के कालम
 २ से 4 तक में निर्दिण्ट किए मनुसार होगा ।

3. भर्ती की प्रणाली, घायु सीभा तथा भन्य मईताएं: भर्ती की पंउति, ग्रायु सीभा, प्रष्ट्रैताएं तथा उक्त पद से संबंधित मन्थ वातें उक्त मनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निविष्ट किए मनुसार होंगी।

4 परस्पर वरिष्ठताः इन नियमों की ग्राधिसूचना की तारीख को विधि के प्रोफसर के पयों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पयों पर उनकी नियमित नियक्ति होने की तारीख के संवर्भ में निर्धारित की आएगे। 5. निर्फ्रुंसाए: वह व्यक्ति:

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी परनी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरफार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के घन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के भ्रधीन धनजेय है और ऐसा करने के लिए ध्रम्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम णिथिल करने की प्रक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो फि एसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबढ़ करके, तथा संघ लोक सेवा ग्रायोग के परासर्ग से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत आदेश द्वारा गिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति: इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे स्रारक्षणों, स्रायु सीमा में छूट और भ्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीम सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए प्रादेणों के स्रतुसार अनुसूचित जातियों, म्रनुसूचित जनजातियों, भतपूर्व सैनिकों तथा प्रन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

		मनुसूची				
पद का नाम	पदों की संक्ष्या	वर्गीकरण	येत	नमान	क्या अप्रयन प ग्राथभा गैर अत्रयन पद	
1	2	3		4	5	
	*(1986) सामान्य 'कार्यभार को राजपर् ध्यान में रखते दुए परिवर्तनीय ।	केन्द्रीय सेवा प्रेड "क" वेत	ৼ. 1500-60- 2000-125/:		लागू नहीं होता ।	
सीधी मर्ती के लिए झाथु सीमा	क्या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमा- वली, 1972 कें नियम 30 रे ड्राधीन सेवा में जोड़े गए वर्षो का लाभ भूमुओय है	सीधी भर्ती किए जाने के लिए अपेक्षिक त महेनाएं।		क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदथारों के लिए निर्धारित द्रायु सथा शैक्षिक इग्हेताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में	परिवीक्षाकी अप्र यदिकोई हो ।	 वघि
6	7		8	भी खा़गू होंगी 9	10	<u> </u>
अधिमालतः 50 वर्षं से गीचे (केन्द्री सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश भ्रावता प्रादेशों के अनुसार सरकारी कर्म जारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) । टिप्पणी : — ग्रायु सीमा निर्धारित करने व लिए निर्णायक तारीख (अंडमान औ निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप व उम्मीववारों को छोड़कर) भारत में उम्मीत बाने से भ्रावेवन पत्न प्राप्त होने की अंतिस तारीख होगी ।	ों :- र र-	मान्यता प्राप्त विश्व में डिग्री भ्रापवा इसके स (2) राज्य ग्यायिक का धनुभंध, जिसमें जज के रूप में 5 होना खाहिए। प्रा	एल.एम.) स्नात- क्रिं समकक्ष; और प्रथवा अनु- अनुभव। वा , विद्यालय से विधि मकक्षा। सेवा में 12 वर्ष से छपर जिला साल का अनुभव ववा राल का व्यायहारिक 5 वर्ष तक प्रपर	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती का केलिए एक वर्ष।	

8

टिप्पणी 1:—-ग्रन्थया सुयोग्य मर्हता

	लोक सेवा प्रायोग ताओं में छूट दी जा टिप्पणी 2: — या स्तर पर संघ खं यह मत हो कि जातियों के लिए मती के लिए इन प्रयोप्त संख्या में संघावना नहीं है उम्मीववारों के प्र	दि चयन के किसी इस्तु. जा./श्रनु. ज. इस्तु. जा./श्रनु. ज. इस्रुदायों के घ्रपेक्षित बाले उम्मीदवारों के उपलम्ध होने की तो इम समुदायों के नामलों में संघ लोक विक पर छईता (ओं),	
भर्ती की पद्धति—क्या सीधी भर्ती प्रायवा पदोग्नति अभ्यवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिल्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पद्मोन्नति/प्रसिनियुक्ति/स्याभारतरण द्वारा भर्ती के मामले में बह ग्रेश्ठ जिनसे पद्मेल्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय परोन्नति समिति विद्य- मान है, तो इसका गठन	वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा भ्रायोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13	14
66-2/3% प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्सरण द्वारा (जिसमें भ्रल्पकालिक अनुबंध शामिल द्वारा (जिसमें भ्रल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं) जिसके न होने पर सीधी मर्ती ढारा। 33-1/3% सीधी मर्ती ढारा। टिप्पणी : —गेमे प्रधिकारी जिन्हें इन नियमों के भ्रधिसूचित करने से पहले रा. 1500- 2000 (जिसे नाद में संगोधित करके 1500-2500 कर दिया गया) के पुर्व संगोधित वेतनमान बाले पद में नियमित माधार पर नियुक्त किया गया है, उन्हें मंगोधित बेतन- मान बाले पद में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (फ) (जिसमें ग्रत्थकालिक प्रमुखंध शामिक्ष है) कानूनी/न्यायिक कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के प्रधिकारी जो : (1) समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे हों। प्रयवा (2) जिनकी रु. 1100-1600 भ्रथवा इसके समवक्ष वेतनमान बाले पदो में 7 वर्ष की सेवा हो। ग्रयवा (ख) (1) राज्य क्यायिक सेवाओं के 12 वर्ष की स्थायी सेवा वाले प्रधिकारी जिनमे से उन्होंने 5 वर्ष की ध्रवधि तक प्रपर जिला जज के पद पर कार्य किया हो । ऐसा न होने पर : (2) राज्य सरकार/किन्द्रीय सरकार/ षिध्वविद्यालयों के ग्रधिकारी जो विधि में बिग्री रखते हों तथा जिन्होंने सम- तुल्य पद्ये पर कार्य किया हो ग्रथवा र. 1200-1900 ग्रयवा समकक्ष वेतनमान बाले पदों में उन्हें 5 वर्ष का ग्रध्यापन/ग्रनुसंघाम का प्रनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की ग्रवधि, जिसमें प्रन्य संबर्ग धाछ पद पर प्रतिनियुक्ति की ग्रवधि शामिल है। उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति को ग्रवधि शामिल है।	ग्रेड "क" विभागीय पदोल्तति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) 1. निदेशक, ला.ब.शा.रा.प्र. अकृादमी ——ग्रध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, ला. ब.शा. रा. प्र. भ्रकावमी ——स्वस्य दिप्पणी : ——स्थायीकरण से संबधित विभागीय पवोन्नति समिति को कार्यवाहियों को धनु- मोवन के लिए भ्रायोग में भेजा जाएगा, यदि इन्हें भ्रायोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है सो विभागीय पर्वाल्तति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी भ्रध्यक्षता संघ लोक सेवा ग्रायोग के एक सवस्य करेंगे।	कालम 11ख के अधीम सीधी भर्ती और चयन ग्रायोग के परामर्थ स किया जाएगा ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 29th May, 1986

G.S.R. 429.---In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Professor of Law, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Law in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :--

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Professor of Law Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—'The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule Annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified' in columns 5 to 14 of the said Schedule. 4. Inter-se-seniority.—The inter-se-seniority of persons holding the posts of Professor of Law on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disgualification .- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shalf be eligible for appointment to the post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.--Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	N >. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Age limit for dire	ct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pen- sion) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6		7
Professor of Law	3* (1986) *Subject to variation dependent on work- load	C.C.S. Gr. 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60- 1800-100-200 12 <i>5</i> /2-2500.	N.A. ()-	orders issued Central Govern Note :The cruce determining the be the closing of ceipt of applied candidates in than those in a	ovt. servants accordance ructions or t by the ment.) tial date for age limit shall date for re- cations from India (other	Yes
Educational and c recruits	othor qualificat	tions required for d	с с	Whether age and educational qualifications prescribed for lirect recruits all apply in the ase of promo-	Period of pro- bation, if any	by direct red motion or by and percont	recruitment
·	8			9	10		
Essential : A. (i) Master's D versity or equiv		(L.L.M.) of a rocc	guised Uni-	N.A.	1 year for direct recruitment.	tion (inclu	transfer on deputa- ding short-term con- ng which by direct

SCHEDULE

8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
 (ii) 10 years' experience in teaching and/or research. OR (i) Degree in Law of arecognised University or equivaler (ii) 12 years' experience in a State Judicial Service, out of which 5 years' should be at the level of Additional District Judge. OR 12 years' practival experience of the Ear of which 5 years should be in a High Court. Note 1:Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified Note 2:The qualification (s) experience is/are relaxables discretion of the UPSC in the case of candidates belonging Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage selection, the UPSC is of the opinion that sufficient num of candidates from those communities possessing the requerience are not likely to be avaiabie to fill up the vac reserved for them. 	ich t rs' the s tthe ng to o o f aber uisite	recruitment. 33.1/3% by direct recruitment. Note : The Officers who have been appointed on a regular basis to the post in the pre- revised scale of Rs. 15(0-2(10) (revined to Rs. 15(0-2(10) priod to the notification of these rules, (20) by doom it to have been so appointed to the post in the revised pay scale.
ficase of recruitment by promision/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Sorvice Commissions to be consulted in making recruit- ment.
12	13	14
 Transfor 5.1 isputation (iabla ling shortterm contract): A. Offl ers from the Central Government dealing with - legal/judicial work (i) holding analogous posts; or (ii) with 7 years' service in posts in the scale of Rs.1100-1600 or equivalent. OR B. (i) Offleers of the State Judicial Services with 12 years standing in that Service out of which 5 years should be at the level of Additional District Judge. Failing which : (ii) Offleers of State Governments/Central Government Universities po bessing Degree in Law and holding analogous Posts; or with 5 years teaching/reasearch experience in posts in the scale of Rs. 1200-1900 or equivalent. (Period of deputation including period of deputation in another exceeding post held immediately preceding this appointment in the same organization/department shall ordinarily not exceed 5 years). 	3	Direct recruitment and selection under Col. 11(B) shall be made in consultation with the Commis- sion.

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(III)-A]

सांत क'त नित 430'---र प्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रयत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहायुर शार्स्का इ.ब्ट्रोय प्रणापन प्रकादतों (प्रशिक्षण स्थापना पद) भनी निधमायलो 1961 जहां तक वे हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोफेसर के पद से संबंधित हैं उन बातों के विवाय जिन्हें इस ग्राधिकूम से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा नाल बहादुर णास्त्रो राष्ट्रीय प्रभासन अकादमीं नभूरी में हिन्दा नथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोफेसर पद का भर्ती का पद्धति के विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनासे है, प्रयान:----

1. सक्षिण्त नाम और प्रारम्भ:-~ (।) इन नियमों का नाम लाल बहातुर गार्स्झा राष्ट्रीय प्रशासन मकावमों हिन्दों तथा क्षेमीय भाषाओं के प्रोफेसर भर्ती नियमावनी, 1986 है।

(2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होने ।

2. पदों को संख्या वर्गीकरण तथा थेतनमान उक्त पद की संख्या, इंसका वर्गीकरण तथा इसका बेतनमान इन जियमों के साथ संलग्न प्रनुमुची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिप्ट किए ग्रनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, प्रायु, मोमा तथा मन्य अर्हताएः भर्ती की पढति भाषु सोमा, महंसाए तथा उक्त पद से संबंधित अन्य वाले उक्त मनुसुभी के कालम 5 से 14 तक में विनिदिष्ट किए मनुसार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता इन निमनों की ग्राधिसुचना की तारीथ को हिन्छी तथा क्षेत्रोय साथाओं के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने का नारीख के संदर्भ में निर्धारित की आएगी।

निरहेनाए

बह व्यक्ति:----

(क) जिसने एँगें व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह शिया है, या

(थ) जिसने अपने पति या अपना पतनों के जावित होते हुए किया क्यकित दिवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पाल नहीं होगा:

परस्तु यदि केन्द्रीय मरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐरे व्यक्ति भीर विवाह के प्रत्य पक्षकार की लाग स्कीम विधि के प्रधान अनुसँग है प्रीर ऐसा करने के लिए प्रत्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगा।

6. नियम धिथिन करने की शक्ति जेही से नरकार की यह राय हो कि ऐसा करना भावस्थक था समोचोन है, वहां वह, उसके सिए जो कारण उन्हें लेखबढ़ करके तथा मंध लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से इन नियनों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग व्यक्तियों को बाबत प्रावेश द्वारा शिथिल बार सकेंगों।

व्याबृस्ति.----

इन नियम में किया गया कोई ां प्रावधान ऐसे भारक्षणों, ग्रायुसोमा से खूट भीर ग्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेना जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारो किए गए क्रादेशों के ग्रनुसार ग्रनुसुचित जातियों, श्रनुमुचित जन जातियों भूतपूर्व सैनिकों तथा ग्रन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना प्रपेक्षित है।

हिन्दी तथा कोर्राय भाषाम	ॉ के प्रोफैसर के पद के जिए भर्ती कि	नेयम		
		बन्, धुर्चा		
पद का ने)म	पदी को संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भया चयन पद है ग्रयवागैर चयन पद
1	2	3	4	5
हिन्दी तथा क्षेत्रीय माषामों के प्रोफेस *क,र्यभार को ध्यान में रखते ह		सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''क' राजपन्नित	¹¹ ₹ , 1500-60-1800-100 2000-125[2-2500	चर्यन
सीधी भर्तों के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल क्षेत्रा (पेंग्रान) जियमावली, 1972 के नियम 30 के झधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ झनुज्ञेय है	सीधी मर्ती किए जाने वाले उम्भीववारों के लिए शैक्षिक तथा मन्य मर्पेक्षित मईंताए	क्या सोधो भर्ती किए जानें वाले उम्मीववारों के लिए निर्धारित घाय तथा गैक्षिक महंताए पदो- घत व्यक्तियों के संबंध में भी लाग,होंगी।	परिवीक्षाको ग्रवधि यदिकोई हो ।
6	7	8	9	10
स्रविमानतः 45 वर्षं से कम केन्द्रोय सरकार द्वारा जारो किए गए भनुदेशों अयवा भावेगों के भनुसार मरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) टिप्पणोः मायु सीमा निर्धारित किए जःने के लिए निर्णायक तारीख वहीं होगी, जो नग्रोख भारत (श्रंडमान व मिकोबार द्वी समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) मे जम्भादवारों के प्रावेदन पत्न प्राप्त होने की श्रीन तारोख होगी।	л Ч.	प्रनिवायें: (1) किसी मान्यता प्राप्त विषय विद्यालय से हिन्दी में डाक्टर क उपाधि भयवा समकका। (2) हिन्दो में अध्ययन कार्य का वर्ष का मनुभव जिसमें भाष विध्वविद्यालय स्तर की कक्षामों भाषा का 10 वर्ष का मनु मव जिस से कम से कम तीन वर्ष सक हि भाषाई ष्यक्तियों को माधुनि पढीतयों तथा तकर्ता को द्वादा मंद्र भाषा के माध्यम से हिन्दो का म कार्य किया गया हो।	10 हि की समें नवा रेजी	सीधी भर्ती वालों के लिग् एक वर्ष
		टिप्पणो: प्रन्यथा सुयोग्य उम्मीत के सामले सेंसंख सोक सेवा प्राय के विवेक पर प्रहेताओं में छूट जा सकतो है।	रोग	

[भाग IIबाण्ड 3(i)]		
<u>6</u> 7	8 . θ	10
	टिप्पणो : (1) यदि चयन के	
	किसी स्तर पर संघ लोक सेवा	
	मायोग का यह मत हो कि बनु,	
	जा०/ ग्रनु० ज० जातियों के	
	भारकित पदों पर भर्ती के लिए	
	इ.न समुदामों के अपेक्षित	
	भनुभव रेखने वाले उम्मीववारों	
	के पर्याप्त संख्या में उपसन्ध होने	
	की संभावना नहीं है तो इन सम -	
	दायों के उम्मीदवारों के मामलों	
	में संघ लोक सेवा प्रायोग के विवेक	
	पर महंतामों में छूट वी जा	
	सकती है।	
	यांछनी यः	
	1. हिन्दों से मतिरिक्त क्रम से कम	
	गः हिप्पा संभाषारपति भाषा सा कार्य एक ग्रान्य भारितीय भाषा का कार्य	
	्षा अन्य सारपाय भाषा का काय साधाकः शीलि ।	
	2. सरेकृत का जाने।	
	3. हिन्दो के तमानीकी सम्प्तों का	
	য়ান ।	
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानाम्तरण द्वारा भर्ती यवि कोई विभागीय पदोन्नति समिति के मामले में बर येवजिन से प्रतोवति/प्रति- तिवभ्यान है सो वसभा गरूल	
रतीं की पदासि, तथा सीर्क्षा भर्ती ग्रथवा पदाल्तति ग्रथवा स्थानः त्तरण द्वारा तथा विभिन्न पढतियों द्वारा भरी जाने दासी रिक्तियों को प्रतिशत्ता।	पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / स्थानाम्तरण द्वारा भर्ती यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति के मामले में वह ग्रेडजिन से पदोन्नति/प्रति- विद्यभान है तो इसका गठन नियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है ।	बह परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लि संघ लोक सेवा प्रायोग से परामग किया जाना है।
मयवा स्यानः न्तरण द्वारा तथा विभिन्न गढतियों द्वारा भरी जाने दाली रिक्तियों को प्रतिगतता। 11	के मामले में वह ग्रेंडजिन से पदोन्नति/प्रति- विद्यामान है तो इसका गठन नियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है । 12 13	मतीं करने के लि संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श किया जाना है। 14
भयवा स्थानः न्तरण ढारा तथा विभिन्न पढतियों ढारा भरी जाने दासी रिक्तियों को प्रतिगतता । 11 वोन्नति /प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ढारा जिसमें म्राल्पका सिक मनुबंध भी गामिल है जिसके न होने पर सोधो मर्ती ढारा ।	के मामले में वह ग्रेड जिन से पदोव्रति/प्रति- नियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है। 12 13 पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानात्तरण (जिसमें ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति मल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है। स्थायीकरण पर विचार करने के लिए (1) केन्द्रीय / राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ 1. निवेशक लाल व. शा रा. प्र. सरकारो अनुसंधान संस्थानों के मधीन ऐसे मक्शदमी म्राय्यक्ष भश्विकारी जोकि (1) सनकक्ष पर्वो पर कार्यरत 2. संयुक्त निवेशक झा. व. शा. रा. हो। प्रा॰ म्रकावर्म सवस्य	मतीं करने के लि संग लोक सेव प्रायोग से परामग किया जाना है। 14 प्रिस्पेक प्रवसर पर चयन संघ लोक सेवा भ्रायोग के परामर्श से किमा जार।ग
मयवा स्यानः त्तरण ढारा तथा विभिन्न पढतियों ढारा भरी जाने दासी रिक्तियों को प्रतियानता । 11 बोन्नति /प्रतिनियु कित पर स्थानान्तरण ढारा जिसमें प्रल्पकालिक भनुबंध भी गामिल ई जिसके न होने पर संधो भर्ती ढारा । टप्पणी: ऐसे मधिकारी जिन्हों इन नियभों के मधिल्मित करने से पहले रु. 1500-2000/- जिरे बाद में संशोधित करके) 1500-2500 रु० कर दिया गया के पूर्व संशोधित प्रेतनमाभ्याले पद में नियमित माधार पर नियुक्ति किया गया उन्हें संगोधित घेतन मान वाले पद में नियुक्त	 के मामले में वह ग्रेड जिन से पदोप्तति/प्रति- तियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है। 12 13 पदोप्तति / प्रतिनिपुक्ति पर स्थानातरण (जिसमें ग्रेड "क" विभागीय पदोप्तति समिति मल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है। पदोप्तति / प्रतिनिपुक्ति पर स्थानातरण (जिसमें ग्रेड "क" विभागीय पदोप्तति समिति मल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है। पदोप्तति / प्रतिनिपुक्ति पर स्थानातरण (जिसमें ग्रेड "क" विभागीय पदोप्तति समिति मल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है। पदोप्तति / प्रतिनिपुक्ति पर स्थानातरण (जिसमें ग्रेड "क" विभागीय पदोप्तति समिति मल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है। पदोप्तरी / राज्य सरकारो/विश्वविद्यालयों/ निदेशक लास व. शा रा. प्र. सरकारो अनुसंधान संस्थानों के मधीन ऐसे मकादमीमदस्य प्रविकारी जोकि (1) सनकक्ष पदों पर कायैरत 2. संयुक्त तिवेशक ला. ब. शा. रा. हो। प्राठ म्रजीवर्म:सबस्य (2) जिन्हें रु. 1500-2000 या समतुल्य बेतनमान थाले पदों में 2वर्ष का मष्ठ्यापन/मनुसंधान का अनुभव हो। पायेण को म्रजी जाएगी किन्त् याले पदों में सध्यापन मनुसंधान का र्डवर्ष का मनुभव हो। जसमें निम्नसिखित भी गामिल हों प्रायोग को सेजी जाएगी किन्त् यायोग के म्रध्यक्ष मर्थवा सदस्य की प्रायोग के प्रथक्ष नही नैठक होगो। माध्यम से पढ़ाने का मनुभव हो, भौर 	मतीं करने के लि संघ लोक सेवा प्रायोग से परामय किया जाना है। 14 प्रिस्पेक प्रवसर पर चयन संघ लोक सेवा भ्रायोग के परामर्थ से किमा जार।ग
भयवा स्यानः न्तरण द्वारा तथा विभिन्न पढतियों द्वारा भरी जाने दासी रिक्तियों को प्रतिणतता । 11 बोन्नति /प्रतिनियु कित पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्पकालिक भनुबंध भी गामिल ई जिसके न होने पर संक्षो पतीं द्वारा । टेप्पणी: ऐसे मधिकारी जिन्हों इन नियभों के मधिल्चित करने से पहले रु. 1500-2000/- जिरे बाद में संगोधित करके) 1500-2500 रु० कर दिया गया के पूर्व संगोधित प्रेतनमाभ्याले पद में नियमित माधार पर नियुक्ति किया गया उन्हें संगोधित बेतन मान वाले पद में नियुक्त	 के मामले में वह ग्रेडजिन से पदोवति/प्रति- तियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है। 12 13 पदोच्चति / प्रतिनिष्कित पर स्थानातरण (जिसमें प्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति अल्पकालिक अनुबंध भी शाभिल है। पदोच्चति / प्रतिनिष्कित पर स्थानातरण (जिसमें प्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति अल्पकालिक अनुबंध भी शाभिल है। पदोच्चति / प्रतिनिष्कित पर स्थानां के मधीन ऐसे भविकारी जीकि (1) सनकक्ष पदों पर कार्यरत 2. संयुक्त निदेशक ला. ब. शा. रा. सरकारो अनुसंधान संस्थानों के मधीने ऐसे भविकारी जीकि (1) सनकक्ष पदों पर कार्यरत 2. संयुक्त निदेशक ला. ब. शा. रा. हो। प्रा प्रकारों में प्रवर्भ मा मध्यापत/अनुसंधान का थतं पदों में 2 वर्ध का मध्यापत/अनुसंधान का थतं पदों में युव्ध का मध्यापत/अनुसंधान का धन्तुभव हो। (3) रु० 1200-1900 या समतुल्य बेतनमान वाले पदों में सध्यापन मनुसंधान का डवर्ध का मनुमव हो। (व) प्राघुनिक पद्यतियों भीर तकनीकी से अहिन्यी मापी व्यक्तियों को भंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने का मनुमव हो, और यानिवार्य: (ग) जिनके पास माध्यता प्राप्त विभवविद्यालय से हिन्दी में मास्टर विग्री प्रथा समछक्ष 	मतीं करने के लि संग लोक सेव प्रायोग से परामग किया जाना है। 14 प्रिस्पेक प्रवसर पर चयन संघ लोक सेवा भ्रायोग के परामर्श से किमा जार।ग

1246	THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1986/JYAISTHA	24, 1908	[Part IISec. 3(i)]
11	13	13	14
	उपाधि रखते हों, उन पर मी विचार किया जाएगा भौर यदि उसे उस पद की भर्ती के लिए चुन लिया जाता है तो उस पद को पदोत्सति द्वारा मरा गया समझा जाएगा। उसो संगठन / विमाग में इस नियुक्ति के तत्काल पहुनि धारिन ग्रन्थ संवर्ग बाह्य पद में प्रति नियुक्ति को ग्रवधि सहित, प्रति नियुक्ति की ग्रवधि साधारणत: 4 वर्ष से ग्रधिक नहीं होगो।		

G.S.R. 430.—In exercise of the powers conferred by the proivso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 so far as they relate to the post of Professor of Hindi and Regional Languages except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of professor of Hindi and Regional Languages in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Hindi and Regional Languages Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of ray attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and other qualifications.—.The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority:--The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Hindi and Regional Languages on the date of notification of these rules, shall be determined [सं. 13012/6/85 डो माईरेडन /म. भा. से (III) (ए) (ख)]

with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualification .--- No person,---
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post -

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exemp any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	No. of Posts	Classification .	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of ser- vice admissible un- der rule 30 of the CCS (Ponsion) Rules, 1972
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7
Professor of Hindi & Regional Languages.	1* (1986) *Subject to variation dependent on workload.	G.S.C. Ġr. 'A' Gazetted	Rs. 1500-60- 1800-100-2000- 125/2-2500.	Selection.	 Preferabley below 50 years (Relxable for Govt. servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Centra Govt.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands & Laksh-dweep). 	

SCHEDULE

its Whether ago and	Distant on and	a Method of recruitment wheth
Aducational qualifications prescribed for direct rescuits will apply in the case of pro- motees	tion, if any	by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/ transfer and percentages of the vacancies to be filled by various methods.
9.	10	referent and an the constance barreland, and an above dependence.
Constructions after a function of the state	nan de ann Fargar (branch a an dhanni fan a dar	n Anna a an a' an agtainn a an an taonn agus an agus an agus agus agus agus agus anna da an agus anna
Age : No Educational S/ Qualifications : Yes. d d e e it it it c its	recruit.	By premotion/transfer on depu- tation (including short term contract) failing which by direct recruitment. Note : The officers who have been appointed on a regular bassi to the post in the pre- revised scale of Rs. 1500-2000 revised to Rs. 1500-2500 prior to the notification of these rules shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay scale.
f a DPC exists what	is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruit- ment.
13	-ani-francas-francas-francas-francas-francas-francas-sector	ndermed warderere daaren diererendaare konnendererendaaren dierere elden eren elden eren aan die sinde konnede ji die s
mation) : Director, LBSNA 4 Joint Director, L bor. te :The Proceedin relating to confirma to the Commission If, however, these a by the Commission of the DPC to be p the Chairman of a	Chairman. BSNAAMem- gs of the DPC tion shall be sent a for approval re not approved a fresh meeting resided over by Member of the	Selection on cach occasion shall be made in consultation with the Commission.
	 Aducational qualifications proscribed for direct resruits will apply in the case of pro- moteos 9. Age : No Educational Qualifications : Yes. d e ite is f a DPC exists what in f a DPC exists what in Director, LBSNAA Joint Director, L bor. te :The Proceeding relating to confirmant to the Commission If, however, these a by the Commission of the DPC to be p the Chairman of a 	Aducational tion, if any qualificatoris proscribed for direct rescuits will apply in the case of pro- motees 9. 10 - Age : No 1 year for direct Educational recruit. 9. 10 - Age : No 1 year for direct Educational recruit. 9. 10 - Age : No 1 year for direct Educational recruit. 9. 10 - Age : No 1 year for direct Educational recruit. 9. 10 - Age : No 1 year for direct - Gualifications : Yes. - de - Yes. - de - Yes. - f a DPC exists what is its composition 13. - 13. - 13. - 13. - 13. - 13.

बारत्नी राष्ट्रीय प्रवासन ग्रकावमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) मलीं नियमाबली 1961 अहां तक वे हिन्दी रींडर के पद से संबंधित है, उन वालों के सिवाय जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतबुढ़ारा लाल बहादुर णास्त्री राष्ट्रीय प्रणासन स्रकावमी मधुरी में हिन्दी रीडर के पद की भूती की पद्धति के विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः---

1. संक्रिप्त नाम और प्रारम्भः---(1) इन नियमों का नाम लाल बहावूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन मकादमी हिन्दी रीडर भर्ती नियमवाली, 1986 ₿ı

(2) ये राजपत में प्रकाशन की सारीख को प्रवस्त होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण तथा बेतनमान:---जन्त पद की संख्या, इसका, वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साय संलग्न प्रमुसूची के कालम 2 से 4 तक में विदिंष्ट किए भन्सार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, ग्राय- सीमा तथा अन्य अहुंताए:---भर्ती की पत्कति, प्राय, सीमा, प्रहुंताएं तथा उक्त पद से संबंधित भय्य बातें उक्त प्रमुसुची के कालम 5 से 14 तक में विधिष्ट किए झनुमार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता इन नियमों की प्रधिसूचना की सारीख को हिन्दी रीडर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर "वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की ...ोख से संवर्भ में निर्धारित की जाएगी।

निरहेताए:---

वह व्यक्तिः----

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने ग्रपमे पति या ग्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उमत सेवा में नियक्ति के लिए पाझ नहीं होगा:

परस्तु यदि केन्द्रीय सरकार का सभाषान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के घन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के मधीन मनुरोय है और ऐसा करने के लिए मन्य माधार है तो वह फिसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शवित : जहां केग्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहा वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबढ़ भरके तथा संघ लोक सेवा मायोग के परामर्थ से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ष या प्रवर्ण के व्यक्तियों की बाबत झावेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

ध्यावृत्तिः---- ें

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे भारफ़ीणों, श्रायु सीमा में छूट और घन्य रियातों पर प्रभाव नहीं बालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भादेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों मूतपूर्व सैनिकों तथा प्रम्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना भये क्षित है।

हिन्दी रीडर के पद के लिए भर्ती नियम

		भनुसूची		
पद का नाम	पवों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अध <i>त्रा ,</i> गैर जयन
1	2	3	4	5
हिन्दी रीडर	*1 (1986) *कार्यभार म में एखते हुए परिवर्तनीय	ोध्यान सामान्य केन्द्रोय सेवा राजपद्विल	समूह "क" ६. 1200-50-1300-(50-1900 प र्यम
सींधी भर्ती के लिए प्रायु सीमा		30 के 🕖 द्वारों के लिए गै क्षिग	ाले उम्मी- क्या सीधी भर्ती किए जाने व ह तथा चन्य जम्मीदवारों के लिए निध रित प्रायु क्षया बौक्षिक भ्रा साएं भवोन्नल व्यक्तियों संबंध में भी लागू होंगी	ि- यदि कोई हो १- के
6	7	8	9	10
ग्रधिमानत : 45 वर्ष से कम । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए धनुदेशों प्रथवा घादशों के छनू- सार सरकारी कर्मचारियों के जिए 5 वर्ष सक छूट) । टिप्पणी: धायु सीमा निर्धारित किंग जाने के लिए निर्णायक कारीख वह द्वोगी जो तारीख भारत (अण्डमा	Ţ ĴŢ	भनिवार्यः (1) किसी मान्यक्षा प्रा ¶विधालय में हिन्दी से की उपाधि प्रथवा स (2) विश्वविद्यालय कक्षाओं के भ्रष्ठ्यापन	र्म डाक्टर सिकको । स्सर की	ी सीक्षी मरी के लिए एक वर्ष

[পাশ	II	3((i)]	
-------	----	----	------	--

6	7 8	9	10	
व निकोवार द्वीप समूह और लक्षद्वीप	का ग्रनुभव जिसमें कम			
को छोड़कर) में उम्मीदवारों के	स कम तोन वर्ष तक महिन्दी			
पावीवन पत्न प्राप्त होने की धरितम	भाषी व्यक्तियों को श्राघुनिक			
परिव होगी।	पद्धतियों सथा तकनीकों			
	इत्रा अंग्रेजी भाषा के माध्यम			
	से हिल्दी का मध्यापन कराया			
	गया हो ।			
	टिप्पणी: (।) प्रत्यया (सुयोग्य			
	महाता प्रत्य उम्म दवारों के			
	मामले में संघ लोक सेवा आयोग			
	के विवेक पर आईताओं में छूट			
	वी जा सकती है।			
	टिप्पणः(2) यदि भयन के			
	किसी स्तर पर संघ लोक			
	सेवाभागोग का यह मरु हो			
	कि अमु. आ. /अनु. अ,आसियों के			
	लिए भारकित पदों पर भर्ती के			
	लिए इन समुदायों के अपेक्षिस			
	भनुमव रखने वाले उम्मी दयारों			
	के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध			
	होने की संभावना नहीं है सो			
	इन समुदायों के उम्मीदवारों			
	के मामले में संघ लोक सेवा			
	ग्रायोग के विश्वेक पर महुँता			
	(प्रहुँताओं) के भनुभव में छूट			
	की जा सफती है।			
	बाछनीयः			
	(j) हिन्दी के मतिरिक्त किसी			
	ग्रम्य भारतीय माषा का कार्य			
	साधक जान			
	(ii) संसकृति का काम			
	(iii) हिन्दी के तथाण की घाटवों			
	महा साल ।			

भर्जी को पडति, च्या सी प्री भर्जी अय ग पदोन्मति प्रवता स्थानाम्तरण डारा क्षया विभिन्न पद्धतियों डारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशक्षा	जोन्तति/वतिनिनुक्ति/स्थातःत्तरण द्वारा भर्ती मामले में वष्ट्र ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति स्थानास्तरण किया जाना है		•
11	12	13	14
के पूर्व संशोधित बेतनमान वाले पद में नियमित झाधार पर नियुम्ल किया गया है उन्हें संशोधित बेतनमान वाले पद में	पवोधनि/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांत रण डारा (जिसमें प्रस्पकालिक प्रनु धंछ भी शामिल है।) (केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विग्वविद्यालयों/सरकारी प्रनुसंघान संस्थानों के श्रधीन ऐसे ग्रधिकारी जो (क) (i) समकक्ष पद्यों पर बार्यरत हों प्रयवा (ii) जिम्हें द. 1100-1600 प्रयवा समसुख्य बेतनसान वाले पदों में 2 वर्ष का धड्यापन/प्रनु- संधान का प्रनुभव हो, जिसके साथ निम्नलिखित प्रनुषक भी हों। ख) पाधुनिक पदातियों और तक्षनीकों से प्रहिन्धी भाषों व्यक्तियों को अंग्रेजी के माघ्यम से पढ़ाने का प्रनुभव हो, और	प्रेड "क" विभागीय प्रवोधति समिति (स्पाय) कर पर विचार करने के लिए) 1. निदेशक लाल बहावुर सास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकावमी — मर्ज्यक्ष 2. संयुक्त निवेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्री प्रशासन प्रकावमी — सबस्य टेप्पणी : स्यायीकरण के संबंध में विभागीय प्रवोद्यति समिति की कार्यवाहियां प्रनुमोयन के लिए प्रायोग को जेजो आएगी । यदि ये प्रायोग द्वारा प्रनुमोदित नहीं की जाती हैं तो संघ लोक सेवा प्रायोग के जज्यक प्रयक्ष स्वस्य ये ध्रायोग द्वारा प्रनुमोदित नहीं की जाती हैं तो संघ लोक सेवा प्रायोग के जज्यक प्रयक्ष स्वस्य ये ध्रायोग द्वारा प्रनुमोदित नहीं की जाती हैं तो संघ लोक सेवा प्रायोग के जज्यक प्रयक्ष स्वस्य ये ध्रायाग के सेवा प्रायोग प्रवासित नहीं की जाती हैं	ू.चयन संघ लोक सेवा धायोग के परामर्श से किया जायेगा । थ प

1249

-

11	1 *	13	1.4k
	अनियार्थ :		
	(ग) जिनके पास मान्यकांप्राप्त विश्वविद्यालय		
	से हिन्दी में मास्टर डिग्री क्षया समकक्ष		
	योग्यता हो ।		
	बाछन ोंथ:		
	मंबंधिस विषय में डाक्टर की उपाधि (2)		
	हिन्दों में विभागीय सहायक घोफसरों में ग्रेड		
	में जिसकी 5 वर्षकी नियमित सेवा हो ओर		
	जिनके पास हिन्दी में डाक्टर का उपाधि हो,		
	उन पर भी इस पद की निपुलित के लिए		
	विचार किया आएगा और इरा पद को		
	पदोक्षति हारा भरा गया समझा आएगा।		
	(उसी संगठन विभाग में इस नियुक्ति से		
	तरकाल पहले घारित भन्य संबर्ग जाहुध पद		
	से प्रतिनियुषिस की ग्रवधि सहित, प्रतिनियुषिन		
	की अवधि साधारणतया 4 वर्ष मे		
	से मधिक नहीं होगी।		
		[सं. 13012/6/85 दे	भाई एन /अ, आा. मे. (fif) ग]

G.S.R. 431.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Reader in Hindi except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating the method of recruitment to the post of Reader in Hindi in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Reader in Hindi Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specifiedin columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Inter-se Seniority.—The inter-se seniority of persons holding the posts of Reader in Hindi on the date of notification of these rules, shalf be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualifi ation .--- No person,---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- solection post	Age limit for direct recruits	Whother benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
]	. 3		5	6	7
Reader in Hindi	1* (1986) *Subject to variation	G.C.S. Gr. 'A' Gazetted	R>, 1200-50- 1300-60-1900	Selection	Preferably below 45 years. (Relaxable for Govt. ser- vants upto 5 Years in ac- cordance with the instruc-	

SCHEDULL.

.

2			
depondent on work- load.		tions or orders the Central Gow Note :The cruc dortermining the shall be the closs receipt of applic candidates in J than these in Ar Nicobar Island Lakshadwcep).	crnment). ial date for e age limit ing date for ations from india (other idaman and
Educational and other qualifications required for direct recruit	Wheth r age and educational qualifications proscribed for direct recruits will apply in the case of promo- tees	Probation, if any	Method of recruitment wehther by direct recruitment or by pro- motion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies o be filled by various methods
8	9	10	11
 Essential : (1) Doctorate in Hindi of a recognized University of equivalent; (2) 5 years' experience of teaching Hi eli to University clause of which at least 3 years' should be in teaching Hind through English Medium to non-Hindi speaking person by modern methods and techniques. Noto 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Nots 2: The qualification(i) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates below ing to Scheduled Castes and Scheduled troops if any stage of selection, the UPSC is of the epision the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are net likely available to fill up the vacancies reserved for Desirable: () Working knowledge of at least one Indian Language (ii) Knowledge of technical terms in Hindi. 	ton : Yea di li li le di li le ag- at hat i- y to be them.		By promotion transfer on deputa- tion (including thotterm con- trast) failing which by direct recruitments. Note : The officers who have been appointed on a regular basis in the post in the pre- revised scale of Rs. 1100-1600 (revised to Rs. 1200-1900 prior to the notification of these rules shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay scale
	if a DPC oxists what tion	t is its composi-	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruit- ment.
12	1	3	14
contract). 1. (a) Officers under the Contral/State Govte/Universities/ Govt. Research Institutions :		AA-Chairman. SNAA-Member. dings of the DPC nation shall be ten on for approval, if	ĩ

12	13	
 (b) experience teaching Hindi through English Medium to non-Hindi speaking persons by modern methods & techniques; and (c) possessing Estential Master's degree in Hindi from recognised University or equivalent; Desirable: Doctorate in the concerned discipline. 	by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be noted.	
2. The departmental Asstt. Professors in Hindi with 5 5 years' regular service in the grade and prossessing a Doctorate in Hindi will also be considered for appoint- ment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not ex- ceed 4 years).		

[No. 13012/6/85-TIN/AIS (III)-C]

सा. का. मिं. 432 — राष्ट्रपति संविधान के मनुक्छेद 309 के परस्तुक धारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली 1961 जहां तक वे लोक प्रशासन के प्रोफेसर से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय जिन्हें इस प्रधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में लोक प्रशासन के प्रोफेसर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः

(1) इन मियमों का नाम लाल बहावुर शाली राष्ट्रीय प्रशासन मकावमी लोक प्रशासन के प्रोफेसर मर्ती नियमावली, 1986 हैं।

(2) ये राजपक्ष में प्रकार्शन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वैतनमान :

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संसरण भनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए मनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, मायु सीमा तथा मन्य महंताएं:

भर्ती की पडति, आयु सीमा, झहुंताएं तथा उक्त पद से संबंधित मन्य बातें उक्त मनुसुची के कालम 5 से 14 तक में निविष्ट किए मनुसार होंगी।

परस्पर वरिष्ठताः

इस नियमों की धधिसूधना की तारीख को लोक प्रशासन के प्रोफेसर के पर्वो पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठला संबंधित पक्षें पर उनकी नियमित नियुन्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की आएगी।

निपईताएः

वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी परनी जीवित है, विवाह किया है, या

(आह) जिसने भपने पति या भपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में निमुक्ति के लिए पात्र महीं होगाः

परस्तु यदि केन्द्रीय सरकारका समान्नान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के धल्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के मधीन झन्द्रोय है धौर ऐसा करने केलिए मन्य माधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

नियम किथिल करने की शक्तिः

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना भावस्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखवढ़ करके, तथा संघ लोक सेवा मायोग के परामर्थ से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी ।

व्यावृत्तिः

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे भारकणों, ग्रायु सीमा में छूट ग्रीर मन्य रियायतों पर प्रमावी नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार ढारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए भावेशों के ग्रनुसार ग्रनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा भ्रन्थ विशेष प्रवर्गों के ब्यक्तियों के लिए उपबन्ध करमा भ्रपेक्षित है ।

लोक प्रशासन के प्रोफेसर के पद के भर्ती नियम मनुसू वो पदों की संख्या **व**र्गीकरण पद का नाम वेत्तनमान क्या अथम पद है झयवा रेश्चयन पद 2 5 1 з 4 लोक प्रशासन के प्रोफेसर 2* सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह रु. 1500-60-1800-100-2000-125/2-"क" राजपत्नित (1986)2500 *कार्यभार को ध्यान में रखते (जब यह पद मखिल भारतीय सेवाम्नों/केन्द्रीय षयन सेवा के प्रेड "क" के मधिकारी द्वारा हुए परिवर्तनीय (केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के धारित किया जाता है, तो इन मधिकारियों मधीन भारतीय सेवाएं/केन्द्रीय को सरकारी नियमों/विनियमों के मधीन, सेवाएं समूह "क' के किसी समय-समय पर स्वीकार्य वेतन तथा भत्ते लागु होंगे। मधिकारी द्वारा जब यह पव धारित किया जाता है तो पद उप निदेशक के रूप में पवनामित किया आएगा।) सीधी मतीं के लिए झायु सीमा क्या केन्द्रीय सिविल सेवा सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों क्या सीधी मर्ती किए परिवीका की प्रवधि (पेंशन) नियमावली, 1972 के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित महुंताएं जाने वाले उम्मीदवारों यदि कोई हो । के नियम 30 के प्रधीन के लिए निर्धारित ग्रायु सेवा के जोड़े गए वर्षों का तथा गैक्षिक झईताएं लाभ अनुज्ञेय है। पदोग्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लाग होंगी । 6 7 8 9 10 ग्रधिमानतः 50 वर्षं से कम (कैन्द्रीय सरकार भ्रमिषार्यः : हो जायुः नहीं गिधी मर्ती के लिए डारा जारी किए गए अनुवेशों भववा (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय शैक्षिक अईताएं: हा एक वर्ष भादेशों के मनुसार सरकारी कर्मचारियों से राजनीति विज्ञान में बाकटर की उपाधि या इसके समकक्ष । के लिए 5 वर्ष तक की छूट) (2) ग्राच्यापन ग्रीर/ग्रमवा **मन्**संघान के लिए निर्णायक तारीख वही होगी में 10 वर्षका मनुभव । जो तारीख भारत में (ग्रंडमान व टिप्पण : 1---भन्यथा सुयोग्य भईता प्राप्त उम्मीधवारों के मामले में संघ लोक निकोबार द्वीप समूह भौर लक्षद्वीप को छोड़कर) उम्मीदवारों से पावेदन पत्न सेवा म्रायोग के विवेक पर मईतामों प्राप्त होने की प्रंतिम तार्ने को होगी । में छूट दी जा सकती है । टिप्पनी: 2-----पदि जयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि भनु. ज./ग्रन. ज. आतियों के लिए मारक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के ध्रपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीद-बारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है तो एन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा मायोग के विवेक पर मईता(ओं), मनुभव में छूट वी जा सकती है। वांछनीय :

```
भारतीय सरकार तथा राजनीति धव्ययन
```

में विशेषज्ञ।

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1903 1254

[PART II---SEC. 3(i)]

विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी आने ताली - रथानांतरण किया जाना है रिक्तियों की प्रतिशतता

मर्ती की पदासि, क्या संगर्धी मर्सी मयवा पदोन्तति/अभित्तिस्यामतिरण द्वारा पढत के यदि कोई विभागीय एदोन्तरि अमिरि विद्यमान वर परिस्थितियां दिमधे पत्रोत्नति प्रथमा स्थानांतरण द्वारा तरण मामके में कह येड फिल्म कोन्जनि 'मनिनिष्मिन / ही तो इसना गठन भर्ती फरने के लिए संग गोक सेवा आयोग ग

परामर्श किया जाना है 11 10 13 14 एक पद पदोस्तति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानां-पदोन्नति/प्रतिनियक्ति पर स्थानांतरण दारा पदोस्तलि पर विचार करने के लिए ग्रेड <mark>प्रत्येक श्रवगर पर</mark> चयन (जिसने प्रत्यकालिक गनगंत्र भी णायित) "क" विभागीय पदोन्तनि समिति । तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध संघ लोक सेवा भी शामिल हैं अथवा जब कभी आवश्यक ₹ 1) 1. ग्राध्यक्ष---सदस्य शंघ लॉफ रोबा श्रयोग---श्रायोग के परागर्श बो तो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना द्वारा श्रौर ग्राज्यक्ष । से किंग जाएगा। बाकी के पद सीधी भर्ती द्वारा ।) (1) केन्द्रीय /राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/ निदेशक-----ला.च णा ग.म अफादमी----मारगता प्राप्त प्रनसंधात संस्थानों/ग्रधं संदर्भ मरकारी सांविधिक स्वायन्त संगठनों 3 संयुक्त तिदेशक, ला.ज. गा. रा. प्र. के प्रधीन प्रधिकारी जो श्रकारमी---सदस्य (1) सादभ्य पदों पर कार्यरन हों टिप्पणी :--स्यायीकरण से संयंधित विभागीय (2) रु. 1500-2000 वेलनमान में या पदोन्नति भागिति की कार्यवाहियों को अनुव समकक्ष पदों पर ग्रब्यापन/ग्रनसंधान मोदन के लिए आयोग में भेजा आएगा का दो अर्प का अनुभव रखते हो यदि उन्हें आयोग द्वारा अन्मोदिन नही चयवा किया जाता हो विभागीय पदोन्तति समिति (3) र. 1200-1900 या इसके समकक्ष की एक नई बैठक बुलाई जाएगी वेतनमान में घज्यापन/श्रनुसंधान में 5 जिसकी ग्रध्यभुता संघ लोक सेवा ग्रायोग के सञ्चक्ष प्रगवा किसी सदस्य द्वारा की वर्षका सनभव; और (ख) जो निम्नलिखिन ग्रईनाएं रखने हो । जाएगी । ग्रनिवायं : किसी मान्यता प्राप्त विज्यविद्यालय से राज-नीनि विज्ञान/लोक प्रशासन में मास्टर डिथी हो । यांछनीय : संबंधित दिपय पर डाक्ष्टर की उपाधि हो। 2 लोक प्रणासन में विभागीय रोडर के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो और लोक प्रणासन/राजनीति विज्ञान में उापटर की उपाधि रखने वार्ये पर भी विचार किंगा जाएगा धीर यदि यह इस पद की नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो जम पद को पदोन्तति द्वारा भग उमा समझा आएगा । (क) इर वर्ग के विभागीय ग्राधिकार जो कि गर्दोन्तनि केसी धे कम मे हैं, उन पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति प्रधिकारी मी पदोन्नति तारा नियुत्रित के नपाल नही हैं। उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य सबर्ग वात्य पद में प्रतिनियुक्षित को मनधि सहित प्रतिनियुक्ति की अन्तीध साधारणतः 4 सर्पं से पश्चिक नहीं होगी ।)

G.S.R. 432.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 so far as they relate to the post of Professor of Public Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Public Administration in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussorie, namely :—

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Public Administration Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Inter-se senority.--The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Public Administratoin on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualification .--- No person,---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and exservicemen and other special categories of nersons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of past	Na. of posts	Classification	Scale of pay	Wheth r selection post or non-selec- tion post	Age lit	r it for direct rec		Whether benefit of added years of servic, admissi- ble under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
]	2	3	4	5		6		7
Professor of Public Admi- nistration.	2.* (1936) *Subject to variation d. p.ndent on work- load. Designated as D:puty Dir, etor when held by an officer of the All India Servic, Central Services, Group 'A' under C:ntral Staffing Scheme).		Rs. 1500-60- 1800-100-2000 125/2-2500; (When h ld b AIS/Gr. 'A' C. ntral Service officers pay an allowances as admissibl; un Govt. rules/ regulations fro thm: to there).	y vs id der	(Relaxa upto with order tral (Not: : dateri shall receip candi than	bly b:low 50 ble for Govt. se 5 y:ars) in accor the Instruction s issued by the Government). The crucial day mining the age- be the closing da ot of applications dates in India those in Andar- bar Islands and geep).	to for limit. to for limit. to for limit. to for (other ban &	
Educational an	nd other quali recruits	fications required	c ^a t pre	hether age an ional qualifi scrib.d for d its will apply case of promot	cations irect ro- in the	pobation,	by di promo transf	od of recruitment wheth r r ct recruitment or by otion or by deputation/ for and percentage of the cles to be filled by various methods
		8		9		10		1]
Essential : (i) Doctorat	in Public Ad	ministration/Polit		e : No Qs. : Yes.		1 year for direct recruits.		st by promotion/transfer on deputation including

		10	11	<u> </u>
8	SCHEDUL	10 E	<u> </u>	-
of a recognised University or equivalent. (ii) 10 years experience in teaching and/or research. Note 1. Qualifications are rolaxable at the discretion of the UPoC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of s. Letion, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those com- miunties possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Specialisation in the study of Indian Govt. and Politics.			short term contract) or ugh the Central Staffin Sch.me as and when n sary. The remaining by d recruitment.	ng a L Ce s-
In case of meruiument by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exis	ts what is its composition	Circumstances in which U Public Service Commissi to be consulted in ma recruitment	ion is
12		13	14	+-
 Promotion/transfor on d putation (including short-term contract); Offleyrs under the Central/State Govts./Universities recognised Research Institutions/Semi Govt., Statutory Autonomous organisations (i) holding analogous posts, or (ii) with 2 years teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 1500-2000 or equivalent; or (iii) with 5 years teaching/research experience in the scale of Rs. 1200-1900 or equivalent; and (b) possessing-Essential : Master's Degree in Political Science/Public Administration from a recognised University. Desirable : Directorate on the concerned discipling. The departmental Reader in Public Administration with 5 years regular service in the grade and possessing a Directorate in Public Administration/Political Science will also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The departmental offleers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment or deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment in the same shall not exceed 4 years). 	 Chairman/i Director, L Joint Direct Gr. 'A' DPC (Director, LJ Jt. Director, LJ Jt. Director, Mote : The protector to confirmation mission for a are not approfresh meeting over by the C the UPSC side 	Member, UPSC—Chairman, BSNAA—Member, for considering confirmation) ISNAA—Chairman, LBSNaa—Member, occedings of the DPC relating n shall be sent to the Com- pproval. If however, these oved by the Commission a of the DPC to be presided Chairman or a Member of	shall be made in consult with UPSC.	

[No. 13012/6/85-TIN/A1S (III)-H]

मा. का. ति. 433 ----राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर लाल बहावुर जासी राष्ट्रीय प्रणासन प्रकादमी (प्रणिक्षण स्थापना पद) भर्ती, नियमावली 1961 जहां तक ये भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रोफेसर से संबंधित हैं) उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिकमण में पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतवडारा लाल बहावुर जाली राष्ट्रीय प्रजासन भ्रकादभी भगूरी में भारतीय इतिहाम तथा संस्कृति के प्रोफेमर के पद की भर्ती की प्रवति को विनियमित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :---

), मन्नित नाम और आरम्भ :

(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर णामी राष्ट्रीय प्रणासन प्रकादमी भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रौफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) में राजपत में प्रकाणन की तारीख को प्रवुत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतनमान :---

उनन पेव की समया, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संखरन मनसुची के कालम 2 से 4 तक में निदिष्ट किए मनसार होगा।

3 भर्ती की प्रणाली, ग्राथ सीमा तथा भ्रम्य महँताएं :----

भर्ती की पद्धति, आय् मीमा, प्रहुंताएं तथा उक्त पद से संबधित अन्य बाते उक्त अनुमूची के कालम 5 में 14 तक में निविष्ट किए मनुसार होगी।

4. परस्पर बरिष्ठताः ----

इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को भारतीय इतिहास तथा मंस्कृति के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने बॉन व्यक्तियों की पररफर वरिष्ठना संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियकित होने की नारीख के सबर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. निरहेताएँ :---

बह व्यक्ति,----

(क) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से बिवाह किया है, उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पाझ नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का गमाक्षान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भौर विवाह के भन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के भन्नीन प्रतनेय है मौर ऐसा करने के लिए म्रग्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की जक्ति :----

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना भावश्यक था समीचीन है, वहां बह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें ले**खबढ़** करने हथा संज सोक सेवा प्रायोग के परामल से इन नियमों के लिमी उपयंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाधत प्रादेश द्वारा लिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :---

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे ब्रारक्षणों, भायु सीमा में छुट और मन्य रियायसों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केव्यीय सरकार दारा इम संबंध में समय-ममय पर जारी किए गए भादेशों के भनुसार भनुसुचित जाति, भनुसुचित जनजानियों, भनुपूर्व मैनिकों तथा भन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना मपंक्षित है।

		अनुसूची		
पढ का नाम	पदों की संक्र्या	व र्गीकरण	बेतनमान क्य।	चयन पद है प्रथक्ष गैंग चयन पद
1	2	3	4	5
भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रौफेसर *कार्यभार	1* (1986) र को ध्यान में रखते हु ए परिवर्त		. 1500-60-1800-100- 2000-125/2-2500	লাযু नहीं हीता
सीधी मंतीं के लिए ग्रायु सीमा		सीधी मर्सी किए जाने वाले उम्मीद- वारों के लिए गैंक्षिक तथा अन्य अपेक्षित मईताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित धांयु तथा गैक्षिक महेताए पदोस्तत व्यक्तियों के संबंध में भी लोगू होंगी	यवि कोई ही
6	7	8	ų	10
प्रधिमानस : 50 वर्षे से कम (कंग्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए भनुदेगों प्रथवा ग्रादेशों के प्रनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्षे तक की छूट) टिप्पणी :	हां	यनिवार्यं: (i) किसी मान्यताप्राप्त विध्व- विद्याखय से भारतीय इनिहाम तथा संस्कृति में डाक्टर की उपाधि प्रथवा समकक्ष । (ii) प्रध्यापन तथा/प्रथवा प्रनुसंघान में 10 वर्ष का मनुभव । टिप्पणी :	लागु महीं होता	गीधी भर्ती वालो के लिए एक वर्षे ।

PART II-SEC.

]r.u	KT II380
6	7		8	9	10
		में से भपेति पर्याप्त उम् रिक्तियों के सर्के तो भौर झनुक बारों के म भायोग के	त हो कि इन समुदायों क्षेत अनुभय रखने वाले भीववार उनके घारक्षिस के लिए उपलक्य न हो अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीद- ामले में संघ लोक सेवा विवेक पर प्रहुता(यों) जा सकसी हि ।		
	के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन स्थानलिरण किया जाना है -		यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विश्वम तो इसका गठन	करने के	स्थितियां जिनमें भर्ती तिए संघ लोक सेवा से परामर्थ किया जाना है
11	12		13		14
प्रसिनियुक्ति पर स्थानौतरण द्वारा (जिसमें प्रस्तका लिक झनु बंध भी गामिल है) जिसके न होने पर सोकी भर्ती द्वारा ।	- स्थाननिरण द्वाराः केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्ववि	खालयों/सरकारी गे ऐसे अधिकारी वेरत हों, प्रथवा 0 प्रथवा समकक्ष 10 प्रथवा समकक्ष वया समकक्ष वेसन न प्रनुभव; जोर गोग्यताएं हों: ाय से भारतीय ग्वा समकक्ष	टिप्पणीः स्थापीकरण से संबंधित विभागीय पर्वो	र्थोक मी से गि मन वस्य क्विए सिए सो सो मैठक	प्रवसर ५२ चयन संथ सेथा आयोग के परामग्रे केगा जाएगा ।

G.S.R. 433 .--- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961, in so far as they relate to the post of Professor of Indian History and Culture except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating the method of recruitment to the post of Professor of Indian History and Culture, in the Lay Bahadur Shastri National Academy of Admiinstration. Mussoorie, mamely :-

1. Short tile and commencemen.-(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administraiton Professor of Indian History and Culture, Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.-The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age liimit and other qualifications.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se senority .-- The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Indian History and Culture on the date Notification of these rules, shalf be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

[सं. 13012/6/85-टी. आई. एन./म. भा. से. (III)-एन.)]

5. Disgualification .- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .-- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relase any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

भारत का राजपत्न: भून 14, 1986/ ज्येष्ठ 24, 1908

Jam: of post	No. of posts	Clussification	Scale of 1	pay	Whether s-lection	Age limit fo.	r direct reoruits	of addee	b nefit
					post or non-sel.c- tion post			of servic sible und 30 of th (Pension) 1972	admis- lor rule C.C.S.
Professor of	2	3		4	5		6	7	
ndian History and Culture	1* (1986) *Subj ct to variation d pendent on work- lond	G.C.S. Gr. 'A' Gaz tt.d	R *, 1500- 1800-100 125/2-250	-2000-	N. A .	laxable fo upto 5 y with the in issued by t ment.) Note : The termining be the clo- of applica- tes in Ind in Anda	clow 50 yrs. (r Govt. scrvan ars in accords structions or or h: C:ntral Gov, crucial dat: for the ag: limit s ing date for rec- tions from cand ia (other than than nan & Nice d Lakshadween	ts Ince ders ern- de- hall cipt ida- nose obar	5
Elucation1 and	other qualific rucrui			educat cations for di	ional qualifi- prescrib d rect recruits ply in the case	Period of probation, if any	Method of red direct recruitm or by d-putat centag: of th: by various m	ion/transfer vacancies to	omotion and per-
	8				9	10		11	
Note 2 : Th. ga at the discretion belonging to -S if at any stage of that sufficient n nities possession	ions are relax: f candidat ₁₅ c ulification(s) : n of the UPSC Schaduled Cu of selection, th umber of cance g the results to fill up the v	able at the discretion otherwise well qua expirience is/are a C in the case of ca- ste and Schedule as UPSC is of the didates from thos to experience as a locucies reserved i	ion of the lifted. relaxable ndidates d Tribas, opinion commu- tot likely						
In case of recruitm from which prom	unt by promo	tion/d_putation/t		des If	a DPC exists,	what is its con tion	Unio missi	mstançes in n Public Servi on is to be o naking rec	
		12		. n <u></u>		13		14	
in the so (iii) with 5 y the so al (b) possessing th Essential : (i) Master's Do	h: C.ntr.1/S ions :— analogous po years teachin al: of Rs. 150 ears' teaching : of Rs. 1200- t following:	ling short-term co tat = Govt3/Univ,	ence in po ence in po flent; or nee in posts nt; and	1 2 ests N s in	tion): Dir.ctor, LB. Jt. Dir.ctor, ote: The pro r, lating to con to the Commi however, these the Commission the DPC to b	(for consideri SNAA — Chai LBSNAA — M ceedings of firmation sha ssion for appr e arc not appr on, a fresh m to presided ov a Member of t	sh rman tio fember. the DPC Il be sent toval. If, toved by tecting of er by the	ection on cao all be made in n with the UP	consulta-

न` क\. नि. 434 ----राष्ट्रपति संविधान के प्रनुक्छैद 309 के परस्कुक द्वारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर लास बहायुर शास्त्री राण्ट्रीय गणासन प्रकादना (प्रीमैक्षेण स्थापन पद) भर्ती नियमावली 1961 कहां तक वे सामाजिक प्रबंध के प्रोफेसर से संबंधित है उन कारों के सिवाय जिन्हें इस अधिकमण से पूर्व किया गया है या यारने का लाप किया गया ह एतर्दारा लाल बहायुर माम्त्री राष्ट्रीय प्रभासन प्रकादमी मसूरी में सामाजिक प्रबंध के प्रोफेसर पद को मती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखिन नियम बनाते हैं; मर्थास:---

ाः संक्षिप्त नाम भीर प्रारम्भ :---(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रधासन म्रकादमी मामाजिक प्रबध के प्रोफेसर मर्ती नियमावलो, 1986 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन को तारोध को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा गेतनमान :---- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका बेत्तनमान इन नियमों के साय संक्षणन अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में गिरिष्ट किए अनुपार होगा।

3. मंनी की प्रणाली, प्रायुसामा तथा अध्य अहीताएं :----भती को पढति, प्रायुसीमा, प्रईताएं तथा लक्त पद से संबंधित अध्य वातें उक्त अनुसूची के कॉल्पम 5 से 14 तक में निविष्ट किए प्रनुसार होंगी।

। परसार वरिष्ठता -----इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को सामाजिक प्रबंध के प्रोफेंधर के पदों पर कार्य करने काले व्यक्तियों को परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर अनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. निरहेताए :----वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसका पत्ना जावित है, विव/ह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या प्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति सेविवाइ किया है उक्त सेवा में नियक्ति के लिए पाल नहीं होना ---

परस्ठु यदि केन्द्राय सरकार का ममाधान हो जातः है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के ग्राय पक्षकार को लागू स्वाय विधि के अधीन अनुत्रेय है और ऐसा करने के लिए आय आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट देसकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरेकार की यह राय हो कि ऐसा करना भावस्यक या समीचीन है, वहां बह, उसके लिए जो कारंग है उन्हें ते बबढ़ करके तया सँघ नोक मेवा प्रायोग के परामर्थ से इन नियमों से किसी उपबंध को किसो वर्ग या पबर्ग के व्यक्तियों का बाबत प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

ण्यावृत्तिः----

इन जियमों में जिया गया कीई में। प्रावधान ऐस प्रारक्षणों, प्रायुतोमा में छूट प्रोर प्राय रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संबंध में समय-समय पर जारो किए गए आदेशों के अनुसार प्रनुसूचित आतियों प्रनुसूचित जातियों प्रूसपूर तथा ग्राय दियौंव वर्गी के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना प्रपेक्षित है:

		- 63 -		
पद का नाम	पदों की संख्या वर्ष	 रींकरण 	थे तनमान	चेंगा अयेल पद है झेवव गैर-जयन पद
1	2	3	4	5
सःमाजिक संघके प्रोफेसर *कार्यकार को ध्यान में रखते हुए प यर्तनीय	*1 रि- 1986	सामान्य केद्वोय "क" राजपवित	सेवा समूह रु. 1500-80-180 2000-125/2-250	N
सी बें: मर्तों के लिए ब्र युं सी मा	क्यः केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंगन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के प्रधोन सेवा के जोड़े गए वंषोंका लाभ ग्रेनुगेय है।	2 के लिए प्रैक्षिक तया		प्रौक्षिक विसयों
6	.7		9	10
भक्षिमानतः 50 वर्षं से कम (के प्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनू- वेण अथवा द्यादेशों के प्रनुसार सरकारी कर्मचारियों के सिए 5 वर्षं तक छूट) टिप्पणी:— प्राय् सीमा निर्धारित करफे, के लिए निर्णायक तारीख पहीं होना हो सारी जमारण में	হা	म्रुलिवार्यः (1) किंसो माम्यसा प्राप लय से ममाज मंग्राज कार्यम्प में डाक्टर की (2) म्राच्यापन लया/ग्र में 10 वर्षं का मन रिष्पणी 1:अन्तवा र	वेज्ञान अप्यतः वा अंध,विज्ञान श्पाचि थवः अनुसंधान ृ्भच	सौधी मली वालों के लिए 1 वर्ष

भन् सुचो

8								
भाष उम्बीदयार्ग	−							
संध लोक सेवा घ	रायोग के विवेक पर							
श्रहंतामां में छूट दी जासकती है।								
टिप्पणी ⊴ मदि •	प्रयस के किसी							
स्तर पर संघ ल	ोक सेवा आधीग							
का यह मन हो	कि इन समुदायों							
	-							
न हो सके सो अ	प्रनु, ज, ध्वीर							
	-							
मामले में संघ लो	क सेवा धायोग के							
विवेक पर आहेमा	(घों) चतुभव में							
बाछनीयः								
व्यवहार विशान	तथा/प्रथवा/समाज							
फल्याण मासन	मामः जिम शिक्षा थे							
विशोषज्ञता ।								
		बह परिस्पितियो जिनमें मर्त करने के लिए संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्ग किया जान है।						
12	13	14						
पर स्थानतिरणद्रेणरा द्वारा केन्द्रीम/राज्य सरकारों/ विण्वविद्यालयों/ सरकारी धनुसंधान संस्थाओं के द्वधीन एक ग्रधिकारी जो : (1) सदुम्य पदों पर कार्यरत हो, ध्रयका	स्यायीकरण पर विचार करने के लिए (1) निदेशक ला. ब. शा. रा. प्र. मकावमी –– ग्राघ्यक्ष (2) संयुक्त निवेशक, ला. ब. शा. रा. प्र. प्रकादमी –– स टिप्पणी :––स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्य वाहिया भ्रनुमोदन के लिए भ्रायोग को फेजी जाएगी। यदि इन्हें भायोग द्वारा ग्रनुमोदित नहीं किया जाता ह तो विभागीय पदोन्नति ममिलि की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी मध्यक्षता संघ लोक सेवा भायोग के)ः लोक सेवा म्रायोग के परामर्ग से किया जाएगा । त वस्य त : :						
-	संध लोक सेवा घ स्रहंताओं में दूर टिप्पणो :	हिप्यणो :						

पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतथा ड वर्ष से ग्रसिक नहीं होगी)। G.S.R. 434.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 so far as they relate to the post of Professor of Social Management except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the tollowing rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Social Management in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Social Management Recruitment Rules 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter se-seniority,--The inter-se-seniority of persons holding the posts of Professor of Social Management on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

ية (1) م

- 5. Disqualification. -No person,---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above pest :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this rgeard.

SCHEDULE

Nam of post	No. of posts	Classification .	Scale of	р ⁹ У	Whether selection post or non-selec- tion post	Ag: limit fo	or dir, et recruits	Whether bencht of added years of service admissi- ble under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
1	2	3		4	5		6	7
Professor of Social Management	1* (1986) *Subject to variation dependent on work- load		R \$.150 1800-100 125;2-25	-2000-	N.A.	(Relaxable upto 3 y with the i issued by Note : The termining be the clo of applic dates in those in A	b.low 50 yrs. for Govt. servants rears in accordance instructions or orders the Central Govt.) crucial date for de- the age limit shall sing date for receipt ations from candi- India (other than andaman & Nicobar and Lakshadweep).	Yes
Educational and direct recruits	other qualifica	tions required for		cations for dire	onal qualifi- prescribod oct recruits ly in the case	Period of probation if any	Method of recruit direct recruitment of by deputation/th centage of the vac by various method	ansfer and per- ansfer to be filled
<u></u>	8	<u>┥──<u></u>┙──<u>┤</u>──┃_┙─╄──╊┙─╊┙<u></u>╇╺┉╄╸</u>		-+	9	10	!1	مەمۇر. «ئۇ يونۇر – ئۇت يۇت <u>ئۇت يە</u> ت يە
Essontial : (i) Doctorate ir Sciences of	i Sociology or S a recognised U	ocial work or Mana Iniversity or equiva	agement lent.	N	Ţ.Ă.	1 year for direct recruits	By transfer on dep short-term contr by direct recrui	act) failing which

(ii) 10 years experience in teaching and/or research. Note : 1—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :—The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Specialisation in Behavioural Sciences and/or/Social Wel- fare Administration/Social Education.		
In case of recruitment by promotion/deputation/transfor grades from which promotion/deputation/transfor to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be con- sulted in making recruit- ment
12	13	14
 Transfer on deputation including short-torm contract : Officers under the Contral/States Govt./Universities/Govt. Research Institutions. (a) (i) holding analogous posts; (ii) with 2 years' teaching/research experience in the pay scale of Rs. 1500-2000 or equivalent; or (iii) with 5 years' teaching/research experience in the scale of Rs. 1200-1900, or equivalent; and (b) possessing the following : Essential : Master's Degree in Sociology or Social work or Management Services from a recognised University or equivalent; Desirable : ***Dectorate in the Concerned discipline(s) ***(Period of deputation including period of deputation in ano ex-cadre post hold immediately preceding this appointment to 	damy of Admn.—Member Note: The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. ther	

the same organisation/department shall not exceed 5 years).

[No. 13012/6/85-T1N/AIS/III -O]

सा. का. ति. 435 .---राष्ट्रपति पंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग कारते हुए और लाल बहादुर गास्त्री राष्ट्रीप्र प्रणासन प्रकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली, 1961 जहां तक वे लोक प्रणासन में रोडर के पद से संबंधित हैं, उन बातों के लिवाय लिन्हें इस प्रधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्दारा लाल बहादुर गास्त्री राष्ट्रीय प्रवासन स्रकादमी, मसूरो में लोक प्रणासन राष्ट्र के पद की भर्ती की पदाक्ष को विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते, प्रार्थात् :---

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :---

(1) इन नियमों का नाम लाल बहायुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लोक प्रणासन में रोडर मतीं नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपन्न में प्रकाणन की तारीख को मयुत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :----

उनन पद की संख्या, इसका वर्गाकरण तथा इसका बेलनमान इन नियमों के साथ संलग्न घनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुमार होगा।

भर्ती की प्रणामी, आयु सीमा सथा यन्य अहंताएं :----

भर्ती की गढ़कि, घायू सीमा, अईशाएं धया उका पद से संबंधित कय वातें उका अनुसूची के फालम 5 से 14 क्रफ में विधिष्ट किए अनुवार होंगी। ... परस्पर वरिग्ठता :---

इन नियमों की भधितुभना की नारीक को लोक प्रशामन में रीडर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की भरस्पर वरिष्ठता संबंधित पर्टो पर उनकी नियमिक नियुक्ति होने की संरर्भ में सिर्धाणिंग की जाएगी ।]

इ. निर्व्हताण - सह व्यक्ति -- ३.10 (२६/८६----

(भ) जिसमे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(धा) जिसने अपने पक्ति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह ;फेया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पान्न महीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के घन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के धर्घान अनुजेय है और ऐसा करने के लिए धन्म आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :----

जहां केन्द्रीय संरकार की यह राय हो कि ऐसा करना ग्रावण्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद करके तथा संघ लोक सेवा ग्रायोग के परामर्थ से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत ग्रादेश दारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावत्तिः---

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे घारकणों, छाय, सीमा में छूट और छन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगा जिनका केन्द्रोय सरकार डारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए धादेशों के प्रनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों /मतपूर्व सैनिकों तथा छन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना घपेक्षित है ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेलनमान		चयन पद है । यन पद	प्रथवा
1	2	3		4	5	
कोक प्रकासन में रीडर *कार्यभार	1* (1986) को ध्यांन में रखते कुए परिवर्तनीय	सामान्ग केन्द्रीय सेवा प्रे राजयत्नित	ड "क" 1200-50-1300	-60-1900 चयन		
सीधी भर्ती के लिए झायू	सेवा (पेंश धली, 1 नियम 3। सेवा के	य सिविल सीक्षी मर्ती किए द न) नियमा- लिए गैंकिक तथा 972 के 972 के प्राप्तिन जोड़े गए लाभ भनु-		क्या सीक्षी भर्ती जिल् जाले वाले उम्मीद- बारों के लिए निर्धा रिल प्रायु तथा शैक्षि प्रहेताएं पदोक्षर व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी	यदि कोई हो । - क	ভবা ।
6	7		8	9	10	
ध्रषिमानसः 45 वर्ष से ५ (केन्द्रीय सरकार द्वारा ७ झनुवेशों भयवा प्रादेशों सरकारी कर्मचारियों के सक छूट) टिप्पणी : झाय, सीमा (के लिए निर्णायक तारीख सारीख भारत (अंडमान) द्वीपसमृह और लक्षद्वीप में अम्मीरवारों के झावेथ होने की ध्रत्तिम तारीख :	गरी किए गए के ग्रनुसार लिए 5 वर्ष कोर्धारेत करने वही होगी जो तथा निकोबार को छोड़कर) न पन्न प्राप्त	लोक प्रमा डाक्टर को (2) प्राघ्यापन अं वर्ष का छन् टिप्पणी 1: ग्रन उम्मीदवारों के ग्रायोग के विवे जा सकती है। टिप्पणी : 2. य संघ लोक सेवा ग्रनुसूचित जा लिए घ्रारधिक समुद्रायों के इाने की संभाव के उम्मीदवारों सेवा ग्रायोग ग्रनुभव में छूट बाछनीय :	यथा गुप्रोंग्य प्रहुँसा प्राप्त मामले में संघ खोक सेवा के पर प्रहुंताओं में छूटवी		सीक्षी भारतीं के 1 घर्षा ।	लिए

ग्रनुसूची लोक प्रशासन में रीडर के पद के लिए मर्ती नियम

मर्तीकी पद्धति, क्या सीधी भर्ती ग्रयवा पदोन्नति भ्रयवा स्थानानराण्ण द्वारा सथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरीं जाने वाली रिक्तियों की प्रतिगत्सता	पदोक्तनि/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तःःण द्वारा भर्ती के मामले में यह ग्रेड जिनसे पदोक्तति/प्रति- नियुक्ति/स्थानाम्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोक्षति समिति विद्यमान है तो इसका गठन	बह परिस्थितियांजिन- में भार्ती करने के लिए संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श किया जाना है।
11	12	13	14
पदोन्नसि/प्रतिनियुषित पर स्थानान्तरण द्वारा (ग्रल्प कालिक ग्रनुबंध सहित) जिसके न होने पर सीधी कर्सी पर टिप्पर्ण: : ऐसे प्रधिकारी जिन्हें इन नियमों के प्रधिसुचिस किए जाने से पहले र. 1100-1600 (जिसे बाद में संशोधित करके र. 1200-1900) के पूर्व संशोधित कर दिया वेसनमान वाले पद में नियमित फाधार पर नियुक्स किया गया हो उन्हें संशोधिक वेक्षनमान वाले पद में नियुक्स किया गया समझा आएगा ।	पयोक्ससि/प्रसितियुक्ति पर स्थानान्सरण (जिस- में ग्रह्यकालिक मनुबंध गामिल हैं।) (i) केर्न्झाय/राज्य सरकारां/विग्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त संस्थानों के मुधोन म्रधि- कारी: ऐसे भ्रधिकारी जो (क) (i) किसी समकक्ष पद पर हो, ग्रयवा (ii) रु. 1100 1600 म्रथवा समकक्ष वेत्तनमान याले पद्यों में ग्राज्यापन ग्रनुसंधान का वो वर्ष वा प्रनुभव हो, और (ख) निम्नलिखित ग्राहंताएं रखता हो: भनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सोक प्रणासन/राजनीति विज्ञान में मास्टर बिग्री या इसके समकक्ष हो । बाळनीय: 1. संबंधित विषध में बाक्टर की उपाधि 2, लोक प्रकासन में बिभागोय सहायक प्रो- फेसर जिसने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और लोक प्रणासन में बाक्टर की उपाधि रखसा हो, उस पर मी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए जुन लिया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुमा समझा जाएगा । (फीडर वर्ग के विद्यानीय मधिकारी जो पदोन्नति के सीधे कम में भाते हैं वे प्रति- नियुक्ति दारा नियुक्ति के लिए पाल नहीं होंगे । इसी सरह, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति पदीन्नरित्त के लिए पाल नहीं होंगे । इसी सरह, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रवित्ता पह की सिरित मन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति के लिए पाल नहीं होंगे । इसी सरह, प्रतिनियुक्ति का लिए पाल नहीं होंगे । इसी सरह, प्रतिनियुक्ति के लिए पाल नहीं होंगे । उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्माल पहुले धारित मन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की मयधि सामान्यतः 4 वर्ष से मधिक नहीं होगी ।	 ग्रेड "क" विभागंत्य पवोन्नति समिति (पयोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. ग्रध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक, सेवा भायोगअध्यक्ष 2. निवेशक, लाल बहुाहुर शास्त्रो, राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमीसदस्य 3. संवक्त निदेशक, लाल बहुाहुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमीसदस्य । ग्रेड "क" विभागंत्य पदोन्नति समिति (स्यार्थाकारण पर विचार करने के लिए) 1. निवेशक लाल बहुाहुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन ग्रकादमीसदस्य 2. संयुक्त निदेशक लाल बहुाहुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमीसदस्य 2. संयुक्त निदेशक लाल बहुाहुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमीसदस्य 2. संयुक्त निदेशक लाल बहाहुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमीअत्तर्य 2. संयुक्त निदेशक हारा प्रनुमोदित नहीं किया पाता है तो विभागीय पर्वान्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसको ग्राध्यक्ष प्रथक्ता संघ लोक सेवा प्रायोग के प्रध्यक्ष प्रथक्ता किसी सदस्य द्वारा की जाएगी । 	

G.S.R. 435.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts Recruitment Rules, 1961 so far as they relate to the post of Reader in Public Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Reader in Public Administration in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi-

nistration Reader in Public Administration Recruitment Rules, 1986.

[सं. 13012/6/85-टी. माई. एन./म. मा. से. (iii)-प्राई.]

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Scheduled.

. Inter-se-Seniority .- The inter-se-Seniority of persons holding the posts of Reader in Public Administration on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respecive posts.

5. Disgualification .--- No person,----

1266

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the above post ;

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in Consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .-- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Nam3 of post	NJ. of Posts	Classification	Scale o	of pay	Whother Selection post or non-selec- tion post	Ago limit f	or direct recruits	Whether benefit of added years of service admissi- ble under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3		4	5		6	7
Reader in Public Administration Educational and o recruits	1* (1986) *Subject to variation dependent on work- load.	G.C.S. Gp. 'A' Gazetted	Rs. 120 1300-60	Whether educations for direct	nal qualifi- prescribed ct recruits y in the case	(Relaxable servants to dance wi or orders tral Govt. Note : The determini be the clo of applic dates in those in A Islands an d Period of probation, if any	pto 5 years in accor- th the instructions issued by the Cen-	tment whother by or by promotion transfer and per- ncies to be filled
<u></u>	8			9		10	11	
Essential: (i)) (i) ate in Public Alministration/Political Science from a recognised University or equivalent. (ii) 5 years experience in teching and/or research. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the venneles reserved for them. Desirable : Specialitation in the study of Indian Government and Politics.			Ago : No E.Q. : Ye		1 year for direct recruits.	failing which by o Note : The officer appointed on a the post in the p Rs. 1100-1600 1200-1900) prior of these rules, sh	ort-term cell rect lirect recruitment. s who have been Regular Basis in re-revised scale of (revised to Rs. to the notification all be deemed to nted to the post	

SCHEDULE

In cas. of r cruitmont by promotion/deputation/transf.r grad.s If a DPC exists what is its composition from which promotion/d_putation/transf.r to be made

Circumstances in which Union Public Service Com mission is to be consulted in making recruitment.

		in itsking for annual,
12	13	14
 Promotion/transfer on deputation(including short-term contract):—(i) Officers under the Central/State Govts./Universities, R. cognis. d Institutions :— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 2 years t_aching research experience in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and (b) Possessing Eas ntial:—Master's Degree in Public Administration/Political Science from a recognised University or equivalent; Desirable:—Dectorate in the concerned discipline. (2) The departmental Assistant Professors of Public Administration with 5 years regular service in the grade and possessing a Doctorate in Public Administration will also be considered and in case one is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.) Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment of appointment by promotion. The department by promotion. Period of deputation/contract in another exced the years). 	 motion) 1. Chairman/Member-UPS C —Chairman 2. Dir.ctor, LBSNAA-Member 3. Jt. Dir.ctor, LBSNAA-Member Gr. 'A' DPC (for considering confirmation). 1. Director, LBSNAA-Chairman 2. Jt. Dir. LBSNAA-Member Note:—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. 	Sel ction on c2ch occasion shall be made in the con- sultation with UPSC

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(III)-I]

सा. का. नि. 436----राष्ट्रपति संविधान के मनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शान्तियों का प्रयोग करते हुए घीर लाल बहावुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रधासन मकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली 1961 जहां तक थे घर्षशास्त्र के प्रोफेनर के पद से संबंधित हैं। उन वातों के शिवाव जिन्हें इन मधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है एतदतारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय मकादमी मसूरी में प्रयं शास्त्र के प्रोफेसर के पद की सर्वी की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का नाम लाल बहुादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अर्थशास्त्र का प्रोकेसर भर्ती नियमाबली, 1986 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रयुत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान

उक्त पद की मंख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका बेतनमान इन नियमों के साथ संसग्न अनुसूची के कालम 2 में 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा

3. भर्ती को प्रणाली, मायु सीमा तथा मन्य महंताएं :

भर्ती की पद्धति, प्रायु सीमा, प्रहुंसाएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य धातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 सक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी

4. परस्पर वरिष्ठता

इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को कर्दशास्त्र के प्राप्तेसर के पत्रों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की आएगी।

5. निर्ग्रहताएँ :

बहु व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी परनी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसमें अपने पति था अपनी पतनी के जोवित होते हुए किसी व्यक्ति से दिवरह किंग है उठा तेता में निगुतित के लिए पाझ नहीं होगा: परस्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐते व्यक्ति और विवाह के प्रस्त प्रकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

6. नियम शिषिक करने की शक्ति

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना, भावश्यक या समीचील है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद करके तया संघ होक सेवा मायोग के परामर्श से इस जियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत मादेश द्वारा शियिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :--

इत नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐने प्रारक्षणों स्रायु, सीमा में छूट भीर स्रन्य रियायनों पर प्रमात नही डालेगा जिनका केन्द्रोप सरकार दारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जत बातियों, मूत्रूर्व मैतिकों तथा प्रस्व विगेय प्रथा के ष्यपिसयों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

				घन् स्	(ची		
Ŕ	ार्यं सास्त्र के गिफेसर के पद के लिए, भर्ती नियम	पदों की	संख्या	वर्गीकरण	थेतनम	ान 	क्या जयन पद है ग्राथवा गैर-चयन पद
1		2		3		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5
मयशास्त्र का प्रोपे	हसर ं∶) *कार्यमार को ब्यान । हुए परिवर्तनोय ।	ा सामान्य केन्द्रीय राजपत्तित	•	500-60-1900-100- -125/2-2500	गपत
सीधी भर्ती के लिए	(i 1	पेंशन)नियम नियम 30	सित्रिल सेवा गवली, 1972 के के अधीन सेवा के वीं का लाभ भनूत्रोय	सीधी भर्ती किए जाते लिए पैक्षिक तथा भर	न वाले उम्मीदगरों के य मोजिन बईनाएं	क्या सीवो भर्ती किए जॉने कॉने उश्नो ग्रारों के लिए निर्धारित प्रायु तया ग्रैक्षिक प्रईताएं पदोस्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी	परिवीक्षाकी श्रवधि यदिकोई हो
6			7		8	9	10
(केस्ट्रीय सरकार किए गए अनुदेश धादेशों के अमुसा कर्मचारियों के लि तक छूट) टिप्पणी : आयु र्स करने के लिए निण् वही होगी जो तारी डमान व निकोबार लक्ष्य द्वीप को छोड़ मीववारों से आवेवन होने की भंतिम तार	ों भयवा र सरकारी ए 5 वर्ष तोमा निर्धारित गिंगक तारीख क्य मारत (भ्रष्- क्वेप समूह भीर कर) में उम्- भवत्र प्राप्त			भषवा समकक्ष (ii) भनुसंधान में 10 वर्ष टिप्पणी:1. मरयथा मीदवारों के मामले के विवेक पर भईता सकती है। टिप्पणी : 2. यदि संघ लोक मेवा भार भनुसूचित जातिथों/भ लिए धारक्षित पर यायों के मपेक्षित घर बारों के पर्याप्स संड संभावना नहीं है तो वारों के मामले में	सुयोग्य महेता प्राप्त उम् में संघ लोक सेवा मायो	, π τ - 1 -	बर्थ
पदीम्नति भयवा र	स्यानाग्तरण द्वार द्वारा भरी जावे	ातया मा	ान्नति/प्रतिनिथुक्ति/स्थ मले में वह ग्रेड जिन युक्ति/स्यानाग्तरण ि	नसे पदोन्नति/प्रति-	के यदि कोई विभागीय है सो इसका गठन	खोलति ममिति विद्रगत	तरु परिस्थितिपा जिगों भर्ती करने के जिए संब लोक सेवा प्रायोग से परामर्थ किया जाता है।
1	1			12		13	14
	π 3 3 1/3%		र्षोग्नसि/प्रतिनियुक्ति प स्पकालिक अभुबंध ग		करण पर विचार क	सदोल्पति समिति (स्थायो ते के लिए) ा. रा. प्र. मकादमी~अध्य	लोह से गप/योग

11	13	13
न होने पर सीधी भर्सी द्वारा।	(i) भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-I प्रधिकारी	,

भारताय ग्रंथ संजा क ग्रंड-1 आधकारा टिप्पणी :- ऐसे मधिकारी जिन्हें इन नियमों (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ विग्वविद्यालयों/ 2- संयक्त निदेशक- ला. व. शा. रा. प्र. के अधिगुनित किए जाने से पहले रु. 1500- सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के अधीन अधि-अकादमी-- सदस्य 2000 (जिसे बाद में संशोधित करके क. 🛬 कारी (क) (i) व. 1500-2500 के वेतन-1 500- 2500 कर दिया गया) के पूर्व डिप्पणी : स्थाबो हरण स मंत्रेवित विभागीय मात में समतुल्य पदों पर कार्यरत पश्चिकारी संगोधित बेतनमान बाले पद में निवमित पत्रोन्तति समिति की कार्यग्राहियाँ हाँ अनुमोदन (ii) रु. 1500-2000 को धेननमान में के जिए प्रायोग में भेता जाएगा गदि इन्हें भाघार पर नियमित किया गया उन्हें संगो-अध्यापन/अनुसंधान का 2 वर्ष का अनुभव ित दें जमान बाल पद में नियुक्त किया णायोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो प्रयंता गया गः, ता जाणगा । विभागीय पदोल्तति समिति को एक नई बैठक (iii) रु. 1200-1900 गयवा इपके समकक्ष थेवतमान में 5 वर्ष का घष्यापत/अनुमंधान युलाई जाएगी जिसकी प्रध्यक्षना संव लोक मेवा ग्रायोग के अध्यक्ष अपना किये परन्त का मनुभव तथा द्वारा को जाएगी। (ख) ऐस अधिकारी जिनके पास निम्नलिखित अनिवायें अईताएं हों किसी मान्यता प्राप्त विषयविश्वालय से प्रयं शास्त्र में मास्टर की उपाधि प्रथवा इनके समकका। वाछनीय : संबंधित विषय में डाक्टर की उपाधि अर्थ णास्त्र में ऐसे विभागीय रीडर जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा है तथा उनके पास मर्थ (मास्त्र) में डाक्टर की उपाधि है उन पर भी विचार किया जाएगा तथा यदि वे पद पर नियुषित के लिए जुन लिए जाते हैं सो इन पदों को पदोम्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा (उसी संगठन/विभाग में इस नियकित से तत्काल पहले धारित प्रन्य संवर्ग वाह्य पद में प्रतिनिषुक्ति 🕻 की मंत्रधि सहित प्रतिनियुक्ति की मचधि साधारणतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

G.S.R. 436.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Professor of Economics except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President bereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Economics in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :--

- Short title and commencement :---(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Economics Recruitment Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:--The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :--The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :---The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Economics on the date

[सं. 13012/6/85-टो. म्राई. एन/म. भा. से. (III)- के]

of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualification :--- No person' ----
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person form the operation of this rule.

6. Power to relax :--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in Consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :---Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions terrifed to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicement and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Contral Government from time to time in this regard.

				HESCH	EDOFE			
Name of post	No. of posts	Classification	Scele o	f р¤у	Wh:th:r Selection post or non-selec- tion post	Ag: limit fo	or dir et reeruits	Whith r ben fi of add d y a of service adm sible under rul 30 of the CC (Pension) Rule 1972
1	2	3	4	Ļ	5		6	7
Professor of Economics	3* (1986) GC.S. Gr. 'A' Rs. 1500 *Subj et to Gazett d 1800-10 variation 125/2-22 dependent on work- load		0-2000-	Selection	(Relaxablupto 5 with the orders is Governm Note :T determini shall be t receipt of candidate than thos	sued by the Contra- ent). he crucial date fo- ng the age limit he closing date fo- f applications from is in India (oth- is in Andaman Islands & Lak-	ið 1 r t r	
Elucational and recruits	other qualifier	utions required fo	or direct	educati cations for dir	onal qualifi- prescrib-d ect r.cruits ply in the case		diract racruitm;	tm:ot whith:r b nt or by promotio n/transfer and pe ncles to be filled t
	8-				9	10		— — — — — . — . — .
University o (ii) 10 years exp Note-1 : Qualit h · UP3Cinessy Note 2 : The quality at the discretion belonging to Sch any stage of s le sufficient · number possessing the r	r equivalent. erience in teach ications are relo of ean if lates o ralification (s) of the UPSC i eduled Castes ction, the UF or of candidate equisite experi- up the vacanci	nomics from a re- ning and/or risea: axable at the dis therwis: will qual experience is/arg- ia the crsg of car and Scheduled Tr SC is of the opin s from the sy conv- ence are not like as reserved for the	reh. erstion of lifi-d. relaxabls ndidøt-s ribes if, at nion that nunities ely to ba	cation	ional Qualifi-	l year for dir.et deruits	(including sl premetion fai recruitment. Note:—Th: offi appointed on a p post in the pr 1500-2000 (r vi 2500) prior to these rules, sho	nsf,r on d, putatic soit-term contrac- ling which by dire- cer who has bee regular basis to the revis d scale of R s d to Rs. 150 the notification ill be deened to be ed to the post in the
In' cise of ron grades from which	litaint by pro- a promotion/d	n (ti)n/ l p tatio ;putation/transf	rtob:m	øde.				ervie Commi sic meult d in makir nt.
	13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				13		14
Promotion/Trans contract) I. Grude-I office 2. Officers upder Rass orch Institus (i) holding (ii) with Jac	f r on deputa rs of the Indie th Contral/Sta litutions. analogous post	tion (including : an Economic S - at. G wts./Univ sin the colloof R russarch experience	short-t_rn rvies, arsitias/G ts.1500-24	Gr. ati 1, ovt. 2, No 500; cal-	'人' DrC (for c on) Dir ctor, LB3	NAAChui NAAChui r-LBSNAA- oc Jdings of firmation she ssion for app	onfirm- Consulte mission mission m Menther. th DPC all be s nt proval. if	tion with the C 119353ary on the

12	13	
 (iii) with 5 years teaching/res arch experiment in the scale of Rs. 1200-1900 or equivalent; and (b) possessing the following — Essential: Master's Degree in Beconomics from a recognised University or equivalent. Desirable: Dectorate in the opnoerned discipling The Departmental R ader in Economics with 5 years regulars rivide in the grade and possessing a Dectorate Degree in Economics shall also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deputation for the verse for a perimentation. (Period of deputation/including contract period of deputation in anoth r excoder posts). 	th Commission a fresh meeting of the DPC to be pr sided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(III)-K]

सं.०क:०नि० 437 ----राष्ट्रपति सविधान के अनुक्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शर्मितयों का प्रयोग करने हुए और लाल बहादुर शास्त्री र प्रीप्त प्रयोग प्राप्तवा (प्रणितग प्राप्तः पत्र) भर्ती नियमःवलो 1961 जहां तक वे अर्था शास्त्र के रीडर के पद से संबंधित है उन वासों के सिवाय जिन्हें इस प्रधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादभी मसूरी में अर्थ-शास्त्र के रीडर के पद की भर्ती की पद्धनि हो विनियमित करले हुए निम्नसिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-----

ा. संक्षिप्त नाम प्रौर प्रारम्भः (1) इन नियमों ाक नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन ग्रकादमी ग्रार्थ शास्त्र में रोडर की भर्ती नियमावली, 1985 है।

(2) में राजपत में प्रकाशन की तारोख को प्रवृत्त होंगे।

2. पतों की संख्या, वर्गीकरण तथा बेतनमानः उक्त पद की संख्यां, इसका वर्गीकरण तथा इसका बेतनमान इस नियमों के साथ संसग्न अनुसूची के क°लम 2 से 4 में निदिध्ट किये अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, मायुसीमा तथा भ्रन्य अर्हताएं: भर्ती की पद्धति, प्रायु-सीमा, भईताएं तथा उक्त पद से संबंधित मन्य आतें उक्त प्रनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निविष्ट किये अनुसार होंगो।

4. परस्पर थरिष्ठताः इन नियभों की प्रधिसूचना को तारोख को प्रथा शास्त्र के रोडर के पक्षें पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को परस्पर वरिष्ठता संदंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेंगी ।

5 निरहंताएं :

वह व्यक्तिः----

(क) जिभने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पतनी जावित है , विवाह किया है, या

(ख) जिसने भगने पति या भगनी पत्नी के जीवित होने हुए किमी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिये पास नहीं होगा परन्तु यवि केन्द्राय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भौर विवाह के अस्य पक्षकार को लागू स्वींय विधि के मर्धन सनुझेय है ग्रीर ऐसा करने के लिये म्रन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट वे सकेगी।

6. नियम शिषिल करने की णकित:---जैहां केन्द्रीय सरकार की यह शय हो कि ऐसा करना बावस्यक या समोचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबढ़ करके तथा संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत प्रायेग द्वारा शियिल कर सकेगी ।

व्यावृत्तिः---इस नियमों में किया गया कोई की प्रायवान ऐसे झारक्षणों, ग्रामु सीमा में छूट मौर झस्य रिवायतों पर प्रमाय महीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी कियें गये आदेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों, मनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों तथा मन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षिन है।

		"अनु सूची	.11	
पद का नत्म	पद्यों की संख्या	वर्गीकरण	बेतनमान	क्या चयन पद है ग्रथनाः गैर-घयन पद
 1	2	3	4	5
भ्रयं गास्त्र में रोडर	1 ^{*.} (1986) *कार्यं मार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनोय	राजपत्नित	το 1200-50-1300-60-1900) चयन

310 GI/86-5

सोम्रो भर्ती के लिये <i>भः</i> यु सोमा	क्या केन्द्रोय सिविल सेवा (पेंधन) नियमा- वला, 1972 के नियम 30 के प्रधीन सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ अनुझेय है	सीधीं भर्ती कि जाने वा सिये गोक्षिक तथा प्रस्य ।		क्यासी धीं भर्ती किसे जाने वाले उम्मीं दवारों के लिसे निर्धारित क्रामु तथा गौक्षिक क्रहेताएं पदोन्नस व्यक्ति वे संबंध में भी लागू होंगी	परिय1भाका ग्रवधि यदिकोई हो
ند	7	8		9	10
प्रधिमानतः 45 वर्षों से कम (केन्द्रीय सरकार ढारा जारी किये गये प्रमुदेगों अपना आदेगों के झमुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्षकी छूट) टिप्पणी :	<u>ह</u> ्	समकक्ष (2) ग्राघ्यापन/अथवा का भनुभव । टिप्पणी :ग्राग्यया स उम्मीदवारों के माम ग्रायोग के विवेक पर जा सकतो है । टिप्पणी : 2. यदि चय संघलोक सेवा ग्रायो अनु० ज०/भ्रनु० ज ग्रारक्षित पदों पर भर्स	र की उपाधि ग्रथवा ग्रनुसंधाय में पांच वर्ष पुयोग्य श्रर्हता प्राप्त ले में संघ लोक सेवा ग्रर्हताग्रों में छूट दो न के किसो स्तर पर ग का यह मत हो कि ० जातियों के लिये किलिये इन समुदायों उपलब्ध होने की तो इन समुदायों के लों में संघ लोक सेवा ग्रर्हता (म्रों), ग्रनुभव	ष्मायुः लहीं प्रौक्षिक ग्राईताएं : हा	सीधी भर्ती के लिये ए। वर्ष
मती को पद्धति, त्तरा ा गेम गिंत्र का त्या र स्रथवा स्थानः क्तर द्वा ६ न का जिसित्र पद्धति द्वारामी जाने वल्गी रिक्तियों को प्रतिसत	यों भर्ती के मामले में व	ह ग्रेंड जिनसे पदोन्नति/	यविकोई विमागीय है तो इस का गठन		वह प [ि] स्थितियां जिन में भर्सी करने के लिये संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्शकिया जाना १
11		12		13	14
रदोन्नति/पतिनिथुकित पर स्थानास्तरण द्वा (जिसमें झल्पकालिक खनुबन्ध शामिल जिसके न होने पर सी वी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : ऐसे क्रधिकारी जिन्हें इन नियमों अधिमूचित करने से पहले २० 1500-200 (जिसे बाद में संशोधित करके 1500-250 कर दिया गया) के पूर्व संशोधित बेतनम बाले पद में नियमित क्राधार परनियुक्त कि गया है उन्हें संशोधित बेतनमान वाले पद निथुक्त किया गया भमझा जायेगा।	है) में प्रत्यकालिक (फ) भारतीय प्रय के प्रथवा 00 (ख) केश्दीय/राज्य 00 विद्यालयो/सरक वा (1) द० 1200- में सावृक्ष्य गवीं परक (2) रु० 1100 वाले पदों में प्रध्य का प्रनुध्रय ।	भनुबस्य गामिल हैं) मैसेवा के ग्रेड-II अधिकारी ग सरक रॉ/विग्त- रि श्रनुसंघान संस्थाप्नों - - 1900 के वेतनमान में कार्यरत प्रधिकारो अथवा 2-1600 के बेतनमान गपन/ग्रनुसंधान का 2वर्ष रो जिनके पारा निम्न	पर विचार करने 1. निदेशक-ला०ख अध्यक्ष 2. मंगुक्त निवेशक, सदस्य टिप्पणी :स्थायीण पवोन्नति मर्मिति क लिये आयोगको के ग्रायोगकारा आनुग संघ रोक सेवा आ	ेग्गा०रा०प्र०ग्रकादमी ला०व०भा०रा०प्र०ग्रकादमी करण से संंधित विभागीय ही कार्यवाहियां प्रनुमोदम के जो जायेगी । किन्तु यदि,इन्हों गोदित नहीं किया जानां है तो योग के प्रध्यक्ष प्रायवा सदस्य वभागोय पदोक्षति समितिको	प्रत्येक ग्रवसुर पर चयन संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से किया जायेगा।
	मनिवार्यः				

धारत में मस्टिर **डिग्री झपवा समक**म योग्यता हो । बछिनोय : संबंधित विषय में इतक्टर की उपाधि। 2--- बर्थशास्त्र में ऐसे विभागोय सहायक प्रोफेसर जिनकी ग्रेंड में 5 वर्ष की निय-मित सेवा है तथा उनके पास अर्थशास्त्र में डाक्टर को उपाधि है, उनपर भो विचार किया जायेगा तथा यदि वे पर पर निभु कित के लिये चन लिये जाते हैं, तो, इन पदों को पदोकति द्वारा भरा गया समझा जायेगा । (जस) संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित प्रन्थ संवर्ग बाह्य पव में प्रतिनियुक्ति की भ्रवधि सहित प्रति-नियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी)।

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri Natonal Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Reader in Economics, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regarding the method of recruitment to the post of Reader in Economics in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

- Short title and commencement :---(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Reader in Economics Recruitment rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :-- The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :---The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in olumns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :- The inter-se seniority of persons holding the posts of Reader in Economics on the date

[सं 13012/6/85-टी आईएन/म॰भा॰से॰ (III)-एल॰]

of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualification :--- No person ---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground; for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in Consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :---No.hing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Nam; of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Wh:th:r solection post or non- sulection post.	Ag: limit for direct recruits.	Whather bene- fit of added years of ser- vice admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6 .	7
R:ader in Economios.	1* (1986) *Subject to variation	G.C.S. Gr. 'A Gaz;tted.	R ₃ . 1200-50- 1300-60-1900.	Selection	Preforably below 45 years (R-laxeble for Govt. Ser vants upto 5 years in ac	[-

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1908

	2	3	4	5	۵	7
	dep ndent on workload.			N	tructions or ord by th. Contral Gov lot::- Th. crucial	Symment. I date for a ago c closing of appli- didates in a those in bar Islands
E lucational and for dir.ct r.cruits	oth.r qualification	-	Whether age and educational quali fications prescribe for dir. ct r. cruits apply the case of promotees	- bation if any ed	rcett.or by tation/trans	witmont whather by diract promotion or by depu- for and percentage of the best filled by various
8			9	10		
University or equiv (ii) 5 y ars experie Note. 1: Qualifica discrition of the oth rwise w llqual Note. 2: The qual r.laxabl. at the di	nc. in teaching and/ tions are relaxabl. UPSC in case of ca ified. ification(s) experies scretion of th UP3	or research. 2 at the andidates nc is/are	Age: No. Educational qual fications : Yes.		(including sho which by d Not.: The offic cd on a regi pre-revised (revised to F notification	n/transfer on deputation ort-term contract) failing irect recruitment. cers who have been appoin iler basis to the post in th Scale of Rs. 1100-1600 Rs. 1200-1900) prior to the of this, rulis, shall be naviouen appoint d to the
Castes and Sch du s.lection, the UPS client number of cu ties possissing the	s b longing to S al d Trib.s if, at any C is of the Opinion addiates from those requisite experience able to fill up the v	y stage of that suff- c communi- e are not				revis.d pay scal.
Castes and Sch du s.lection, the UPS cient number of cu ties possessing the likely to be avoila reserved for them.	ul d Tribs if, at any C is of the Opinion addates from those requisite experience able to fill up the opinion	y stage of that sufff- e communi- e are not vacancies /deputation,	/transfer grades	If a DPC exists what	post in the r	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be
Castes and Sch du s.lection, the UPS cient number of cu ties possessing the likely to be avoila reserved for them.	ul d Trib_s if, at an C is of th: Opinion adijates from those requisite experinc ble to fill up the v	y stage of that sufff- e communi- e are not vacancies /deputation,	/transfer grades	If a DPC exists what	post in the r	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consult d in making

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

सा.का.नि. 438--राष्ट्रपति संविधान के भनुबळेब 309 के परस्तुम द्वारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करने हुए और लान बहावुर वास्त्री राष्ट्रीय प्रणासन प्रकावमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावसी, 1961 जहां सक वे हिन्धी के सहायक प्रोफेसर से संबंधित हैं उन वातों के सिवाग जिन्हें इस प्रधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा लाल बहावुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमी मसूरी में हिन्दी के सहायक प्रोफेसर पद की भर्सी की पद्धति को विनियमित करसे हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रचात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का नाम लाल बहातुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन भकावमी हिन्दी के सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को मबुत्त होंगे।

पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका बर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अभुसूची के कालम
 से 4 तक में निधिष्ट किए अभुमार होगी।

3. भर्ती की प्रणाली, प्रायु सीमा तथा भग्य प्रहेताएं: भर्ती की पठति, प्रायु सीमा, प्रहेताएं तथा उक्त पद मे संबंधित प्रन्य बातें उक्त घनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निरिष्ट किए प्रनुसार होंगे।

4. परस्पर वरिष्ठताः इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को हिग्वी के सहायक प्रोफेसर के पत्रों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पत्रों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायगी।

5. निष्हंताएं : वह व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या मपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पाल नहीं होगा:

परम्लु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और जिवाह के भ्रस्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के प्रधीन भनु-झेय है और ऐसा करने के लिए ग्रन्थ ग्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

6. नियम णिथिल करने की गक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राथ है कि ऐसा करना धावम्यक या समीखीन है, वहां वह, उसके सिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके सथा संघ लोक सेवा घायोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपजन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत घादेश द्वारा गिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्तिः इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, प्रायु सीमा में छूट और मन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए प्रादेशों के प्रनुसार प्रनुमूचिन जानियों, प्रनुयूचिन जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों तथा प्रत्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना मपेक्षित है।

ाहत्या के सहायक आफतर के पद के लिए मता नियम							
पत का नाम	पदों की व	संख्या वर्गीकरण ,	वेलनमान	क्या अथम पद है अथव गैर जयन पद			
1	:	2 3	4	5 चयन			
हिन्दी के सहायक प्रोफेसर	2* (1986 *कार्यभार ष्ट्रयान में हुए परिव	रको रखसे	ष. 700-40-90∩-इ.रो 40-1100-50-1250- इ.रो50-1600				
सीघी भर्ती के लिए ग्रायु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमा- बसी, 1972 के नियम 30 के प्रधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ भनुहोय है	सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीद- वारों के लिए गैक्षिक समा ग्रन्थ भ्रपेक्षित ग्रहुंनाएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्भीदवारों के लिए निर्धारित मायुतथा शैक्तिक ग्रहैताएं पर्वोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी				
6	7	8	9	10			
40 वर्षे से ग्रधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निवेक्षों ग्रथवा भादेकों के भ्रनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 वर्ष तक छूठ)	हा	ग्रनिवार्थः 1. किसी माण्यता प्राप्त विग्रवविद्यालय से हिन्दी में एम फिल विग्री। 2. ग्रध्यापन तथा/ग्रथवा ग्रनुसंधाम में 2 वर्ष का ग्रनुसंव।	भागु : वहीं गैक्तिक प्रहेताएं : नहीं परन्तु किसी मान्यता प्राप्त विषक विद्यालय से हिन्दी में कम से कम मास्टर डिग्री प्रथवा सम-	सीधी भर्ती के लिए 1 वध सथा पदोझत व्यक्तियों के लिए क्षे वर्ष।			

ग्रनुसूची हिन्दी के सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1908

[PART II-SEC. 3	3(i)]
-----------------	-------

6	ß	9
टप्पणी : आय, सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख (श्रण्डमान और निकोबार और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) मारत में उम्मीदवारों से आवेदम प्राप्त झूंाने की अंतिम तारीख होगी।	वांछनीय : झाधुनिक पद्धतियों तथा तकनोकों द्वारा हिन्दी भाषी व्यक्तियों को अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी पढ़ाने का अग्रेजी माध्यम से हिन्दी पढ़ाने का अग्रेजी माध्यम से हिन्दी पढ़ाने कारी । टिप्पणी : 1. ग्रन्थथा मुयोग्य झईंता प्राप्त उम्मीद- वारो के मामले में संघ लोक सेवा छायोग के विवेक पर झईंताओं में छूट दी जा सकती है । 2. यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसुत्रित जातियो/अनुसुचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए धन सम दायों के घ्रवेझित झनुभव रखने वाले उम्मीद- वारों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा झायोग के विवेक पर झईंना (ओं), झनुभव में छूट दी जा सकती है ।	कक्ष योग्यता ग्रवस्य होनी चाहिए।

वह परिस्थितियां जिनमें ५ लीं भर्ती की पद्धति, क्या सोधी भर्ती ग्रथवा पदोन्नति पद्ध? क्रति/प्रतिनियुक्ति/स्थानौतरण ढारा भर्नी यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति करने के लिए संध लोक ध्रणवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पढतियां के मामले में वह ग्रेड जिनसे पर्वान्नति/प्रति-जिसमान है तो इसका गठन सेवा श्रायोग से परामगै द्वारा भरी आने वाली रिक्तियों की प्रतिणतता । नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । किया जाना है 14 12 13 11 प्रत्येक अवसर पर पयन 1. 50 प्र. पदोन्नति तारा ऐसा न होने पर पदोन्नति : ग्रेड ''क'' विभागीय पवोसति समिति (पदो-संघ लोक सेवा आयोग धनुवेग (हिन्दी के साथ इस ग्रेड में 10 वर्ष न्नति समिति (पर्वान्नति पर विचार करने प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा । के परामर्श से किया 2. 50 प्र. प्रतिनियुक्ति पर स्थामतिरण हारा की नियमित देवा) प्रतिनियुषित पर केलिए) : জাহুনা । स्थानांतरण/स्थानांतरण (भ्रह्पकालिक 1. ग्राध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग. (जिसमें प्ररूपकालिक अनुबंध भी गामिल है)/स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर <u>भ्र</u>नुबन्ध सहिस) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ 2. संयुक्त निदेशक-लाल बहाबुर शास्त्री विश्वविद्यालयों, सरकारी अनुसंधान सीधी भर्ती द्वारा । राष्ट्रीय प्रशासन ग्रकावमी मसूरी----सदस्य संस्थाओं के प्रधीन ऐसे इधिकारी जो----टिव्पणी: ऐसे श्रधिकारी जिल्हें इन नियमों के (क) i. साद्भ्य पदों पर कार्यरत हो अथवा उप निदेशक (प्रशासन) -- लाल अहादुर ग्रधिमूचित किए जानेसे पहले रूपये 700-1300 (जिसे बाद में संगोधित करके शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी-स्वस्य ii. रु. 700-1300 ग्रथवा समकक्ष वेशन-राम्ह"क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी रुपये 700-1600 कर जिया) के पूर्व संगी-मान में 2 वर्ष का भ्राध्यापन/ग्रनुसंधान कर परविचार करने के लिए) : भ्रनुभव रखते हों। धित बेतनमान वाले पद में नियमित स्राधार पर नियुग्त किया गया हो उन्हें संगोधित (ख) आधुनिक पद्दतियों सथा तकनीकों 1. संयुक्त निदेशक-लाल बहादुर शास्त्री वेतनमान वालें पव में नियुक्त किया गया द्वारा ग्रहिन्दीभाषी व्यक्तिमों को अंग्रेजी राष्ट्रीय प्रशासन म्रकादमी माध्यम से हिन्दी पढ़ाने का प्रनुभव । समझा आएगा । 2. उप निवेशक (प्रशासन)-लाल बहायुर (ग) किसी मान्यता प्राप्त थिश्वविद्यालय से शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन श्रकावमी-सदस्य हिन्धी में मास्टर खिग्री प्रथवा समकक्ष टिप्पणी : स्पायीकरण से संबंधित विभागीय योग्यता । (उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों को से तत्काल पहुले धारित अन्य संवर्ग बाह्य भनुमोवन के लिए ग्रायोग को भेजा जाएगा यदि इन्हें ग्रायांग द्वारा ग्रनुमोवित नहीं पद में प्रसिनियुक्तिम/ग्रनुबंध की ग्रवधि किया आता है तो विभागीय मदोन्नति सहित प्रतिनियुनित/प्रनुबंध की अवधि माधारणतः 3 वर्ष से प्रश्निक नहीं होगी) समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी प्रध्यक्षता संघ लोक सेवा भायोग के ग्रध्यक्ष भथवा किसी सदस्य बारा की आएगी ।

1276

New Delhi, the 30th May, 1986

G.S.R. 438.—Jn exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution and in tupersession of the Lal Bahadur Sbastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Assistant Professor in Hindi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor in Hindi in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :---

- Short title and commencement :---(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Assistant Professor in Hindi Recruitment Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :---The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :---The inter-se seniority of persons holding the posts of Assistant Professor in Hindi on the date

of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualification --- No person---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :---Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

N ^a m ₃ of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether s-lection postor non- selection post-	Ag · limit for direct recruits	Whother bene- fit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Professor in Hindi	2* (1986) *Subj etto variation dopendent on workload.	G.C.S. Gr. 'A Gazottod.	R 3. 700-40-900- EB-40-1100-50- 1250-EB-50- 1600.	S 1;ction	Not exceeding 40 years. (R:laxabl, for Govt, servants upto 5 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Govt.) Note: The crucial date for det rmining the ege limit shall be the closing date for r c lipt of applications from candidates in India (oth than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	e t t
Educationaland oth direct recruits.	er qualification	ns r quited for	Wh-th-rag and educational quali- fications prescribed for direct recruits will apply in the cas, of promotess.	P riod of Prob ^a tion, if any.	M, thod of recruitment of r cruitment or by prome tation/transfor and perce to be filled by various n	otion or by d. pu- ntage of vacancies
8		v v	9	10		
Essential: 1. M.Phil. Degree of in Hindi. 2. 2 years experience			Ags: No, E.Qs.: No but must at low possesses Must rs Degree in Hindi from a recognised	 1 year for d recruit and 2 years for promotees 	transfer on depuation (?) 50% by transfer on	d putation (in- contract) transfer

8

- 127-1

_	_	 _	_
		11	

	alent. appointed o in the pre-rev (revised to notification o	e offic:rs who have b.en na regular basis in the post vis.d scale of Rs. 700-1300 Rs. 700-1600) prior to the f these rules shall b. deemed appointed to the post in the scale.
In case of recruitment by promotion/deputation/trans- for grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public'Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
 Promotion: Instruction (Hindi with 10 years regular service in the grade). Transfer on deputation/transfer (includin short-term contract) Officers under the Central/State Govts./Universities, Govt. Research Institutions :	 ig : 2. Joint Director, LBSNAA -Member. 3. Deputy Director, (Admn) LBSNAA-Mee Grade 'A' DPC (for considering confirmatic 1. Jt. Director, LBSNAA-Chairman 2. Deputy Director (Admn) LBSNAA-Mee Note : The proceedings of the DPC relating confirmation shall be sent to the commissi for approval. If, however these are not appred by the Commission a fresh meeting of DPC to be presided over by the Chair or a Member of the UPSC shall be held. 	occasion shall be made in consulta- omber. tion with the UPSC on): mber to ion cov- the

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(111)-D]

सा.का.नि. 439—राष्ट्रपति संविधान के भनुछेच्द 309 के परण्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन ग्रकादमी(प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली 1961 (जहां तक वे प्रयोगास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद से सम्बन्धित है उन बातों के सिवा जिन्ह इस प्रधित्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में मर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद की भर्ती के पदालि को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है, धर्षात् :---

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का नाम लाल बहातुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन भकावमी भर्षशास्त्र के सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमाबनी, 1986 है।

(2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रयुक्त होंगे।

पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा घेतमान: उक्त पद की संख्या, इसका दर्गीकरण तथा इसका वेतमान इन नियमों के साथ संलग्न मनसूची के फालम
 से 4 सक में निर्दिष्ट किए घनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, भायु सीमा तथा भन्य अर्दुताएं: भर्ती की पद्धनि, माथ सीमा, अर्हुताएं तथा उक्त पद से सम्बन्धित मन्य वातें उक्त भनुसूची के कलम 5 से 14 तक निदिष्ट किए मनुसार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठताः इन नियमों की ग्रधिसूचना की तारीख को ग्रार्थगास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी । 5. निरहुंताएं: बह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(व) जिसने म्रापने पति म्रापनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पाक नहीं होगा:

9

4.04

परम्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के प्रत्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रघीन प्रनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए ध्राय्य घाघार है तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम णिथिल करने की शक्ति. – – जहां केन्द्रीय गरकार की यह राग हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परासर्श से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रयर्ग के व्यक्तियों की आवत आदेश दारा शिथिल कर सकेगी।

7.व्यावृत्ति ----

इस नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे घारक्षणों, बायु सीमा में छूट और फ्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय धर जारी किए गए घादेणों के घनुसार घनुसूचिन जादियों, प्रनुसूचित जन जाक्षियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा घन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

प्रनुगूर्च_ि

धर्थ शास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम

पद का न(म	पदों की संख्या	दर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयत पद है भ्रथवागैर-चयन पद
1	2	3	-4	5
धर्वं शास्त्र का सहायक प्रोफेसर.	2** (1986) साम *कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परि- वर्सनीय।	गन्य केन्द्रीय सेवा समृह 'क' राजपत	ग. 700-40-900-द. रो40 1100-50-1250-द.रो50 1600	•• • •
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
सोधी भर्ती के लिए ग्रायु मीमा		सीक्षी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक क्षया अन्य अपेक्षित इ. ग्रह्मैसाएं	भया सीधी भर्ती किए जाने प वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रायु तथा गैक्षिक प्रहुंसाएं पदोन्नत व्यक्तियों के सम्यन्ध में भी लागू होंगी	रिंवीक्षा की मवधि यदि कोई हो।
6	7	8	9	10
40 वर्ष से प्रधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार ढारा जारी किए ग भनुदेशों भयवा मादेगों के मनुम सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 व तक की छूट) टिप्पणी : मायु सीमा निर्धारित कर के लिए निर्णायक तारीख (घण्डम तथा निकोबार ढीप सया लक्षद्वीप उम्मीदवारों को छोड़कर) भारत उम्मीदवारों से मावेदम पत्न प्राप्त हो की फ्रॉसिंग सारीब होगी।	र र्ष न के में	 स्रानिवार्य: (i) किसी मान्यताप्राप्त विष्व- विद्यालय से अर्थशास्त्र में एम फिल की उपाधि । (ii) प्रध्यापन और/प्रथया प्रनु संधान में दो वर्ष का मनुभ टिप्पणी हूं.1 : प्रन्यथा सुयोग्य सर्हता प्राप्त उम्मीवयारों के मामले में संघ लोक सेवा मायोग के विवेक पर प्रह्रताओं में छूट दी जा सकती है । टिप्पणी 2 : यदि जयन के किसी म्नर पर मंघ लोक सेवा धायोग का यह मत हो कि प्रनु जान्नियों/भनु. जनजातियों के लि प्रारक्षिस पदों पर भर्ती के लिग इन समुदायों के मपेक्षिस मनुभ रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप् संक्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन समुदाय के उम्मीदवारों के मामले प मंच लोक सेवा मायोग के विवेध पर ग्रहेता(ओं) प्रमुभव में छू दी जा सकती है । 	त् ।	सीधी मर्ती वालों के लिए एक वर्ष।

भर्ती की पद्धति, क्या मीधी भर्ती प्रथवा परोक्षति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रक्तिशतता		यदि कोई विभागीय पद्योत्तरि। समिति विष्य- मान है सो इसका गठन	बहुपरिस्थिनियां जिनमें भर्ती करने के लिए संध लोक सेवा ग्रायोग से परोमार्थ किया जाना है
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 13	- 14
प्रसितियुक्ति पर स्थानांतरणः (जिसमें अल्पकालिक प्रतुबंध शागिल हैं) । स्थानान्तरण जिसके न होने पर संधि भर्ती दरा । टिप्पर्णाः ऐसे प्रधिकारी जिन्हें इन नियमो के प्रधि- यूचित करने से पूर्व रु. 700-1300 (जिसे बाद में संगोधित करने ठ, 700-1600 कर दिया गया) के पूर्व सगोधित वेलनमान वाले पद में नियमिल प्राधार पर नियुक्त किया गया है उन्हें संगोधित वेलनमान वाले पद में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।	कारी । प्रथवा (ख) केस्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्या- लयों/मान्य∩ाप्राप्त प्रनुसंघान संस्थायें/	येंड ''भ' विभागीय पदोक्रति समिति (स्वायी करण पर विचार करने के लिए) : 1. संयुक्ष निदेशक, लाल बहातुर, शास्त्री राष्ट्रीय प्रणामन धकादमी 	संघ लोक सेवा द्यायोग के परामर्श से किया आएगा।

[मं. 13012/6/85-टी म्राईएन/म्र.भा मे. (III)-एम]

G.S.R. 439.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the LaJ Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Assistant Professor in Fconomics, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor in Fconomics in the LaI Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :---

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Assistant Professor in Economics Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :--The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :---The inter-se seniority of persons holding the posts of Assistant Professor in Feonomics on the

date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disgualification :--- No person----
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :---Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

	na desta da ser da		SCHEDULE	1 - 1 - 1			
Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	Age lii	nit for direct recruits	Whether benefit of added years of service ad- missible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
	ישיים איזייין ביין איזיין איזיין איזיין איזיין בי בי	3	4	5	and and a second second se	6	**********
Assistant Professor in Economics	2* (1986) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Sarvice Group 'A Gazetted.			(Rel up with orde Cen Note:- dote shal roce cano that	exceeding 40 years axable for Govt, serve to 5 years in accordant the instructions of train Government.) The crucial date for mining the age ling l be the closing date for ipt of applications fro lidates in India (other those in Andama Nicobar Islands an shadweep).	ants nec or ne or nit or m er nn
Educational and oth direct recruits	er qualificatio		Whether age at oducational qua fleations preseri for direct recruit apply in the cas promotees	.ll- batio bod s will		Mothod of recruit direct recruitment or by deputation/transfi of the vacancies to b methods	by promotion or er and percentage
8	na i ya mada sanati na manga sa manga	ία , παι από ματ ά (που βουμαζιστικά −−).	9		10	11	ماريوس معتاوت باورسا المراليمو
Essential: (i) M.Phil, degree o Economics. (ii) 2 years experience. Note 1:- Qualification tion of the UPSC in car qualified. Note 2:- The qual relaxable at the discre- candidates belongin Scheduled Tribes, if UPSC is of the opin candidates from tho requisite experience a -fill up the vacancies in	e in teaching a ons are relaxal ase of candidat lification(s) ex- ction of the UP g to Schedul at any stage nion that suffi so communitie are not likely (reserved for the	nd/or research, ole at the discre- es otherwise well experience is/are SC in the case of ed Castes and of selection the cient number of s possessing the o be available to em.	N.A.	rect u	its.	By transfer on depu- short-term contract which by direct re- Note :- The officers appointed on a re- post in the prese Rs, 700-1300 (Re- 1600) prior to the these rules, shall the been appointed to revised pay-scale.	t/transfer) failing scruitment. who have been gular basis in the evised scale of vised to Rs. 700- te notilication of be deemed to have to the post in the
In case of recruitmer grades from which p made.	promotion/depu	itation/fransfer to	for If a DPC c be	xists what is	; its com <u>r</u>	Union Comi consy recrui	mstances in which Public Service mission is to builted in making itment
12		4		13			14
	ion (inluding	short-term contrac	t/ Gp. 'A' D nic 1, Joint Di 2, Deputy f	PC (for - cou irector, LBS Director, (Ad	usidering SNAAC Imn.)LBS	confirmation): Selec Thairman, sion NAAMemberc on	tion on each occ shall be made

12	13	
 B. Offliers under the Contral/State Govts./Universities/ Recognised Research Institutions/Semi-Govt. Statutory or Autonomous organisations— (i) holding analogous posts, or (ii) with 2 years teaching/research experience possessing a Master's Degree in Economics from a recognised University or equivalent. (Period of deputation/contract including period of depu- tation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/ Department shall not exceed 3 years.) 	to confirmation shall be sent to the Commis- sion for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh moting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	

[No.13012/6/85-TIN/AIS(iii)-M]

सा. का. नि. 440. ---- राष्ट्रपति संविधान के प्रमुच्छेद 309 के परन्तुक ढाग प्रदक्त गवित्यों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर झासझी राष्ट्रीय प्रशासन मकादमी (प्रशिक्षण स्थापन पद) भर्ती नियमावली 1961 जहां तक व लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर के पद से संबधित हैं उन बातों के सिवाय जिन्हें इस प्रधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्दारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन मकादमी, ससूरी में लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर के पद की भर्ती की पढ़नि को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रथति :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :---(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमी लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपन्न में प्रकाशन की मारीख को प्रवृत्त होंगे ।

 पदों की संख्या, वर्गीकरण कथा वैक्षतमान :---उक्क पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेक्षतमान इन नियमों के साथ संलग्न भनुसूची के कालम 3 से 4 तक में निविध्द किए अनुसार होगा ।

3. भर्ती की प्रणाली, झाय, सीमा तथा ग्रन्थ अर्हठाएं :--भर्ती की पद्धति, धाय, सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पव से सम्बन्धित झन्य बातें उक्त छनुसूची के कालम 5 से 14 सक में निरिष्ट किए अनुसार होगी ।

4. परस्पर वरिष्ठता :----धन नियमों की भाधिसूचना की तारीख को लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर के पदो पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर अधिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुतिय होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की आएने ।

5. निरईताएं : यह व्यक्ति :----

1282

(क) जिसने ऐसे ध्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(खा) जिसने प्रापने पतिया अपपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से वियाह किया है

उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पाल नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के मन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के भ्रधीन अनुक्रंय है और ऐसा करने के लिए म्रन्य माधार है तो यह किसी व्यक्ति को इस लियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :----अहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, बहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबढ़ करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की थाइत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :---इन नियमों में किया गया कोई भी प्रायधान ऐसे आरक्षणो, आयु सीमा मे छूट और प्रन्य रियायतों पर प्रभाव नही बालेगा जिनका केस्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के प्रनुसार प्रनुसूचित जातियों प्रनुसूचित जनजातियो, भूतपूर्व सैनिकों तथा प्रस्य विशेष प्रवर्गों के घ्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना घपेक्षित है ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण 	वेतनमान	क्या भयन पद हैं अधवा मैर-भयन पद
I	· 2	3	4	5
लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर	2* (1986) *कार्यभार के ब्राधार पर परिषर्तनीय ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप-ए (समूह-क) राजपलित ।	फ. 700-40-900-व.रो 40- 1100-50-1250-व.रो 50- 1600	लागू नही होता

भनुसूची

	म्या केरद्वीस मिषिक्ष से (पेंशम) वियसावली 1972 के नियम 3(अस्रोन सेवा से जोड़े र वर्षों का लाभ स्रतुत्रेय है	, के लिए शैक्षिक तथा प्रस्थ प्र वेक्षित) के अर्हुताएं गए	अभा सीभी भर्ती किंग जाने वाले उम्मीद- वारों के लिए, निर्मारित आयु तथा शैक्षिक श्रहंताएं प्रदोमन व्यक्तियों के संबंध में भी लागु होंगी	ररिकीका की कवंक्रि, अविंकोई हो
6	7		9	10
10 वयं से अधिक गहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जार्थ अनुदेशों भौर भावेशों के भनुमार सर- कारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।) टिप्पणी :	ţt	झावश्यक: (1) लोक प्रशासन में एक मान्यम प्राप्त विषवविद्यालय से एम फिल की उपाधि तथा उसके सम- कक्षा। (2) अध्यापन भौर/अषवा यनुसंधान में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी	न न न र र र र र र र र र र र र र र र र	सीधी भरता के लिए 1 साल
		भ्रनुभव मे क्रूट दी उ सकती है। वाछनीय :~-भारतीय प्रशासन	AT	
भर्ती की पद्धति, क्या सीधो भर्ती अभ मजबा स्थानोतरण द्वारा तथा विभिन्न भरी जाने बाली रिक्तियों की प्रतिवृत्त	पद्धतियां द्वारा 👘 केः	म्रेनुभव मे क्रूट दी उ सकती है। वाछनीय :सारतीय प्रमास मध्ययन में विशेषकता। 	AT	
मजवा स्थानोतरण द्वारा तथा विभिन्न । भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिमतत	पद्धतियां द्वारा 👘 केः	म्रनुभव मे क्रूट दी उ सकती है। वाछनीय :सारतीय प्रशास मध्ययन में विशेषकता। 	ता न के 	

[सं॰ 13012/6/85-दी आई एम/अ.भा.स.(iii)-जे]

G:S:R. 440.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Assistant Professor in Public Administration, except as res-Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Assistant Professor in Public Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor in Public Administration in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

- 10

- Short title and commencement :---(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Assistant Professor in Public Administration Recruitment Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :--The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :---The inter-se seniority of persons holding the posts of Assistant Professor in Public Administration of the date of notification of these rules, 'shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualification :-- No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :---Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union.Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :---Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDUL	.F.			
Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post.		direct recruits	Whether benc- fit of added years of service admissiblo under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
۔ ۔ ، ۔ ، ۔ ، ، . ، . ، 	2	3	4	5		6	7
Assistant Professor in Public Admn.	2* (1986) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Setvice Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-9 E B-40- 1100-5 J 250- EB -50- 1600.		(Relaxable f upto 5 y with th orders is Governr Note:- Th determin shall be th receipt of candidate	o crucial date ing the age lin the closing date for applications fro es in India (othe se in Andaman Islands at	nce or ral for nit or m er
Educational and oth recruits	ter qualification	ns required for dire	educations fications p	al quali- rescribed ocruits will o case of	Period of pro- bation, if any	by direct recruit motion or by d	ruitment whether itment or by pro- eputation/transfer of the vacancies various methods
*	8	¥4	9	╾╍┙╍╴┽╶╍┥╴╶┥╴╴┼┶╸	10	1	1
Essential: (1) M.Phil. Degree (Administration, (2) 2 years experience			N.		l year for direct recruits.	cluding sho	on deputation (in- ort-term contract ing which by direc

- -

8		
Note:- Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note:- The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Schoduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Specialisation in the study of Indian Administration.		
In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation (including short-term contract/transfers). Officors under the Contral/State Governments/Universities/Govern- ment Rosearch Instituitons(a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 2 years' teaching/rosearch experience in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; and (b) possessing Master's Degree in Public Administration from a recognised University or equivalent. (period of deptation) con- tract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 3 yerars).	 Gr. 'A' DPC (for considering confirmation). 1. Joint Director. LBSNAA-Chairman 2. Deputy Director (Adr LBSNAA-Member Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sont to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission. a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Membe of the UPSC shall be held. 	nin.) of on

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(hi)-J]

ं मा. का. ति. 441:---राष्ट्रपति संविधान के प्रनुच्छेद 309 के परन्तुक डारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल पहाड़र प्रास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन धकावमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली, 1961 (जहां तक वे राजनीति सिद्धांत और सांविधानिक विधि प्रोफेसर से संबंधित हैं उन वातों के सिवाय जिन्हें इस ध्रधिन्नमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एसद्दारा लान बहातुर प्रास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकावमी मसूरी में राजनीनि सिद्धांत ग्रीर सांविधानिक विधि के प्रोफेसर के पद की धर्ती की पदनि को धिनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :---(1) इन नियमों का नाम खाल बहादुर मास्त्री राष्ट्रीव प्रकासन अकावसी राजनीति सिद्धांन्त और साविधानिक बिधि के प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की नारीक को प्रवृत्त होंगे।

 पदों की संख्या, चर्गीकरण तथा थेतनमान :-- उक्त पद की संबंधा, इसका बर्गीकरण तथा इसका बेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 में 4 तक में निदिष्ट किए ग्रनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणायी, भ्राय, सीमा तथा अन्य ग्रहैताएं :---भर्ती की पदाति, प्राय, सीमा, भ्रईताएं तथा उक्त पद से संबंधित भ्रया कातें उक्त भ्रनुसूची के कालम 5 में 14 तक में निर्दिष्ट किए ग्रनुमार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता :---इन नियमों की श्रधिसूत्रना की तारीख़ को राजनीनि सिद्धांत और सांविधानिक विधि के प्रोफ़ेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियो की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति द्वोने की ज्ञारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी ।

निग्हेनाएं ---- वह व्यक्ति----

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी परती जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पनि या भपनी पत्नी के जीवित होने हुए किनी व्यक्ति के विवाह किवा है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पान नहीं होगा :

. 1286

.

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1908

परस्तु यदि केन्ग्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और त्रिवाह के ग्रम्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के भवीम झनुझेय है गौर ऐसा करने के लिए भ्रन्य भाधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्गन से छट दे सकेगी ।

6 नियम शिथिल करने को शक्ति .--- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राथ हो कि ऐसा करना आवस्यक या समीचीन है, वहां बह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परासर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग जा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत झादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

स्थावृत्तिः -----इन नियमों मे किया गया काई भी प्रावधान ऐसे ग्रारकाणों, भायु सीमा मे छूट और ग्रन्य रियायलों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय वसय पर जारी किए गए ग्रादेशों के श्रतुमार ग्रनुयूचित जातियों, श्रनुयूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों तथा ग्रन्य विशेष प्रवर्गों के स्वक्तियों के लिए उपर्धव करना ग्रपेक्षिन है ।

राजनीति सिद्धांन्त और सांविधानिक विधि के प्रोफेसर के पत के लिए मर्ती नियम

प्रनुसूची

थद का नाम	पदों की संख्य	π	बर्गीकरण	वेतनमान		क्या ' गैर-चयर		र है	মণৰ
]	<u></u>	2	3		4.		5		
राजनीति सिद्धारत और माविधानिक विधि के प्रोकेसर}		ो ध्यान में रखते नीथ (1986) 	त्तामान्य केस्द्रीय सेवा सम् राजपक्षित		0-1800-100-2000		¶ य	न न	
सीधो भर्तीके लिए ग्रासु	मीमा	(पेंशन) नियमावर्ल	ा सेवा सीधी भर्सी जि । 1972 उम्मीदवारों अरधीन नथा भन्ध भ्र ग्वॉॅंका	के लिए ग्रैंकिक	क्या सीघी भर्ती नि वाले उम्मीदवारों के रित मायु तथा गैरि पवीन्नत व्यक्तियों में भी लागू होंगी।	लिए निर्धा- तक कईताएँ	परिवीक्षा	की ग्रा	শলি
6		7		8	. 9			10)
भ्रधिमानतः 50 वर्षे से व सरकार द्वारा जारी वि वेशों ग्रथवा ग्रादेशों के कारी कर्मचारितों के तक खूट) टिप्पणी : भ्रायु सीमा निर्धा लिए निर्णायक तारीख जो तारीख भारत (श निकोबार द्वीप समूह अं को छोड़कर) में उम् ग्रावेदन पत्न प्राप्त ह्वोने नारीख होगी।	तए गएं अनु- धनुमार सर- लिए 5 वर्ष रेत करने के बही होगी तंडमान सभा रेर लक्ष्यद्वीप मीथबारों के	πt	थिज्ञान उपाधि कझ (2) ग्राग्र्यापन संधान ग्रान्द्रेपाणी (1) : ग्रान्देता ज्ञा देप्पणी (2) किमी स्त सेवा धाय ह्रो ध जातियों/ग्रा जातियों/ग्रा पदों पर प	द्यालय से राजनीति में डाक्टरेंट की तथा उसके सम- ा और/तथा भनु- में 10 वर्ष का भन्यथा सुयोग्य प्त उम्मीदवारीं में संघ लोक सेवा विवेक पर भई- ठूट दी जा सकती : यदि भयन के र पर संघ लोक ोग का यह मन कि भनुसूचित	म्रायुः न प्रकितः	हीं अहुँनाएं : हा	सीधी लिए		(ानों वे

	6	7	8	9	70
,	······		पर्याप्त संक्या में उपलब्ध		
			होने की सम्भावना नहीं है		
			है तो इन समुदायों के		
			उम्मीदवारों के मामले में		
			संध लोक सेवा भ्रायोग के		
			विवेक पर ग्रहता (ओं)		
			ग्रनुभव में छुट दी जा सकती		
			है। /		
			वछिनीयःभारत सरकार और		
			राजनीति में मध्यायन में		
			विशेषज्ञता ।		

भर्ती की पढ़ति, क्या मोधी भर्ती प्रधवा पदोल्तति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांन्तरण द्वारा भर्ती यदि कोई विभागीय पदौल्तति समिति वह परिस्थितियां जिसमें पदोल्तति ग्रथवा स्थानांतरण द्वारा तया के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्तति/प्रति- विद्यमान हैतो इसका गठन भर्ती करने के लिए संघ विभिग्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली नियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है। रिक्तियों की प्रतिशक्तता परामर्थ किया जाना है।

11	12	13	14
पदोन्नती/प्रसिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	पदौन्नांत/प्रतिनियुक्ति स्वानास्तरण	ग्रेंब-क विम्रागीय पदोःनति समिति	प्रयतेक अवसर पर
पर्वाग्नता/प्रतिगयुग्ध्य पर स्थानान्तरण (खरूपकालिक अनुबंध सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पहले रुपये 1500-2000 (जिसे बाव में संशोधित करके 1500-2500 कर दिया गया था) जेतनमान वाले पद में नियमित झाधार पर नियुक्ति किया गया हो उन्हें संगोधित जेतन- मान वाले पद में नियुक्त किया गया समझा आएगा।	(भ्रस्पकालिक भ्रनुबंध सहित) 1. (क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विभ्वविद्यालयों सरकारी म्रनुसंधान संस्थानों के श्रधि-	 प्रवन्त्री विश्वागाय पदान्गांत सामात (पदोन्तति पर विश्वार के लिए) 1. ग्राध्यक्ष/सवस्य संघ लोक सेवा ग्रायोग — ग्राघ्यक्य 2. निदेशक, लाल बहावुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन क्रकावमी— सवस्य 3. संयुक्त निदेशक, लाल बहावुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी— सदस्य राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी— सदस्य राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी— सदस्य राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी— सदस्य (1) निदेशक, लाल बहावुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी— सदस्य (2) संयुक्त निदेशक लाल बहावुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी— क्रध्यक्ष (2) संयुक्त निदेशक लाल बहावुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी— सदस्य टिप्पणी :— स्थायीकरण से संबंधित विभाग् गीय कार्यवाहियों को छनुमोवन के लिए प्रायोग में भेजा जाएगा यवि इन्हें धायोग ढारा भनुमोदित नहीं किया जाता है, तो विभागीय पथोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिस- की प्रध्यक्षता संघ लोक सेवा ग्रायोग के भध्यक्ष ग्रथवा किसी सवस्य ढाग की जाएगी। 	प्रयतक अवसर पर संघ लोक सेवा ग्रायोग के परामर्श से किया जाएगा।

والمربور فستنقب وتسارين والارتبار والارتبار والارتبار

.....

[PART [I-SEC. 3(i)]

G.S.R. 441.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Professor of Political Theory and Constitutional Law expect as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regarding the method of recruitment to the post of Professor of Political Theory and Constitutional Law in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

- Short title and commencement :--(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shestri National Academy of Administration Professor of Political Theory and Constitutional Law Recruitment Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :- The inter-se seniority of porsons holdings the posts of Professor of Political theory and Constitutional Law on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualifications :- No person --
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person form the operation of this rule.

6. Power to relax :---Where the Central Government is of the opinion that 't is necessary or expedient so to do. It may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in Consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :---Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non Selection post.	Ago limit for d	irect recruits	Whother bonef of added years of service adminible under rule 30 of the CCS (Penvion) Rules, 1972.
1	2	3	4	5		6	
Professor of Political Theory and Constitu- tional Law.	1 (1986)	General Contral Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60- 1800-100-2000- 125/2-2500	Sylection	xable for Go years in acc instructions o the Central G Note : The cru mining the the closing of applications in India (oth-	cial date for deter- age limit shall be late for receipt of from candidates or than those in Nicobar Island	Yu
Educational and o quired for direct re		tiona scrib will a	other age and odd al qualifications r bod for direct room apply in the case of notees	ore- any pits	of probation, if	direct recruitmen or by deputation	itment whether by at or by promotion /transfir and per- raucion to be filled is
<u>▖_ġ_┯ġ</u> _┑ <u>╬</u> ╶╋┈┓ _╋ ╍┓╻┷┱┶═╇┶╍╕	8	-** <u>i</u>	9		10		11
Essential : (1) Doctorate in . a recognised l lont. (2) 10 years expen- or research.	Univorsity	cience from E. C or equiva-	: No 25. : Yes.	1 yoar fo	r direct recruits	failing which by Note: The offic appointed on a	or on deputation of term contract) direct recruitment, ors who have been regular balls in the pyized scale of 1500-

SCHEDULE

[भाग II---खण्ड 3(i)]

8	9 10	11
Note 1: Q relifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of cardidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castos and Scheduled Tribus, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. DESIRABLE: Specialisation in the study of Indian Go- vernment and Polities.	to sha	00, (Revised to 1500-2500) prior the notification of these rules Il be deemed to have been appo- ed to the post in the revised pay ile.
In case of recruitment by prometion/deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruit- ment.
rr	13	14
 Promotion/tran.for on deputation (including short-term contract). 1. (a) Officers under the Central/State/Govta./Universitie//Govta. Research Institutions (i) holding analogous posto; or (ii) with 2 years' toaching/research experients in the pay scale of Rs. 1500-2000; or (iii) With 5 years teaching/research experients in the scale of 1200-1900; and (b) presesting INSENTIAL Master's Degree in political Science from a recognised Universit or equivalent; DESIRABLE Doctorate in the concerned discipline. 2. The departmental Reader in Political Science (Red designated Political Theory & Constitutional Law with 5 years, regular service in the grade and possessing a Doctorate in Political Science will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be documed to have been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in abother ex-cadr 	 2. Joint Director, LBSNAAM.mber. e Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, those are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held. 	;

मा.का.नि.44.र.—रपट्रवर्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रक्षत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और लाल ब अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्जी जिपगायती, 1061 गहां नह ये राजनीति निद्धान्त और संविधानिक विधि में सहायक ऽ के सिवाय जिन्हें इस प्रधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया हैएतद्धारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकादमा ममूरा म राजनाात सिद्धांत और संविधानिक के सहायक प्रोफेनर पद की भर्ती को पडति का विनियमित करने हुए निम्नलिखन जियम बनाने हैं, अर्थात् :---

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का नाम लाल वहाडूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकारमी राजनीति सिद्धान्त और संविधानिक विधि में सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपश्र में प्रशाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

पदों की संख्या वर्गीकरण तथा थेतनमान—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम
 से 4 तक में निदिष्ट किए अनुमार होगा ।

3. मर्ती की प्रणाली, भायु सीमा तथा अन्य प्रईताएं: भर्ती की पदाति, आयुसीमा, मईताएं तथा उक्त पद से संबंधित मन्य बार्ते उक्त मनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निविध्ट किए मनुसार होगी।

4. परस्पर वरिष्ठताः—इन नियमों की म्नश्निसूचना की तारोख को राजनीति सिद्धान्त मौर संविधानिक विधि के सहायक प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तिय की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

निरहेताएं.---वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पतनी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पतनी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियक्ति के लिए पाल नहीं होगा:

परन्शु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऎसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारको लागू स्वीथ विश्वि के प्रोत प्रुतेत है कौर ऐसा करने के लिए प्रस्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इत तिप्रत के प्रक्षती से ठूट रेसकेगो।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति---जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना प्रावस्थक या समीभीन है, बहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा भायोग के परामर्श से इन नियमों ले कियो उादन्ध को कियो वर्गया प्र-ार्ग के व्यक्तियों को वागत आ देश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति.—इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावघान ऐसे मारक्षणों, मायु सीमा में छूट मौर प्रग्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए मादेशों के मनुसार मनुसूचित जातियों, मनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा मन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना मपेक्षित है।

		मनुसूची	i		
पद का नाम	पतों की संख्या	धर्गीकरण	वेतन	मान मया	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद
1	2	3	4	اء کار ال ار کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار 	5
राजनीति सिद्धान्त ग्रौर संविधानिक 1* विधि में सहायक प्राफेसर	सामान्थ केग्दीय रे (1986) रौजपति *कार्यमार को ख्यान में रखते हुए परिवर्तनीय ।		700-40-900-द.रो: 1100-50-1250 1600		लागू नहीं होता
सीधी भर्ती के लिए मायु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के झधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ घनुज्ञेय है।	सीधी मर्ती किए जाने व के लिए शैक्षिक तथा ग्रह्ताएं	प्रस्य प्रपेक्षित	क्या सीधी भर्ती किए जा बाले उम्मोदवारों के दि निर्धारित भायु तथा यौ महेंताएं पदोक्षत व्यक्तिय के संबंध में में भी लागू होंगी।	तए. थदि कोई हो क्षेक ो
6	7	8		9	10
भधिमानतः 40 वर्षं से कम (केन्द्रीय सरकार हारा जारी किए गए मनुदेशों भववा भावेगों के मनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तब छूट) टिप्पणी: भायु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो तारीख मारत (भंडमान व निकोबार हीप समूह और लक्ष2ीप को छोड़कर) में उम्भीववारों से भावेयन पक्ष प्राप्त होने को भन्तिम तारीख होगी।		कि झनु. ज./भनु मारक्षित पदों पर समुवायों के प्रपे वाले उम्मोववार में उपलब्ध होने है तो इन समुवा के मामलों में मायौग के विवेश	तय में एम.फिल यवां मनुसंधाल में व।	खागू नहों हो ग र	सत्री मर्री वालों के लिए एक वर्ष ।

भारत का राजपत्न:जून 14, 1986/ज्येष्ठ 24, 1908

[भाग 11 अप्प 3(1)]	भारत का राजपत्नः जून 14,	1986/ ग्या ष्ठ 24, 1908	1291
6	7	8 9	10
	वांछनींयः भारत सरकार श मध्ययन में वि	गैर राजनीति के बोषज्ञता।	
		में संघ लोक सेवा जन्म प्रार्हताओं में	
भर्त्ता की पढसि, क्या सीधी मर्ती मण्वा पदोन्नति, भ्रथवा स्थानांतरण ध्रारा सथा विभिन्न पढतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिक्षसता।	पदोर्घति/प्रसिनियुक्ति/स्थानांतरण ढारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रति- नियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोप्रति समिति विद्यमान है तो इपका गठन	मह परिस्थितियां जिनमें मतीं करने केलिए संध लोक सेवा आयोग सं परामर्णकिया जानाहै
11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (इ समें ग्रस्पकालिक प्रनुबन्ध/पामिल है)/ स्पानांतरण जिसके न होने पर सीधी मती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (प्रश्नकासिक ग्रन्दुबंध सहित)/ स्यानांत ण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/ सराकरी श्रनुसंधान संस्थाओं के प्रधीन मधि- कारी जो, (1)(क) रु. 700-1600 के वेतनमान में सावृश्य पद्यों पर कार्यरत हों प्रयवा 2. र. 700-1300 के वेतनमान वाले ग्रयवा समकक पदों में ग्ररुपापन/पनुसंधान का दो वर्ष का अनुभय रखते हों (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विधान में मास्टर की उपाधि का प्रसवा इसके समकक्ष योग्यता। (उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तरकाल पहले धारित श्रम्य संबर्ग बाह,य पद में प्रति नियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामाण्यतः तीन वर्ष से प्रधिक नहीं होगी	-	हें ग च

[सं. 13012/6/85-टी माई एन/म. भा. से (III)-जी]

G.S.R. 442.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Assistant Professor in Political Theory and Constitutional Law, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor in Political Theory and Constitutional Law in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement :---(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Assistant Professor in Political Theory and Constitutional Law Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :--The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :---The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule. 4. Inter-se seniority :---The inter-se seniority of persons holding the posts of Assistant Professor in Political Theory and Constitutional Law on the date of notification of these rules shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification :--- No person ----

27

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law

applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

6. Power to relax :---Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in Consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of me provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :--Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCH	EDULE			
Name of post	No. of posts.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or no: selection post	Age limit for direct re	cruits.	Whether bonefit of addcd years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rulos, 1972.
1	2	3	4	5	6		7
Assistant Professo in Political Theory & Con- stitutional Law.	or 1* (1986) *Subject to varia- tion de- pendont on work- load.		Rs. 700-40-900- EB-40-1100-50- 1250-EB-50-1600	N.A.	Not exceeding 40 yea for Govt. scrvants in accordance with tions or orders issue tral Governmont). Note : The crucial da mining the age limit closing date for rece cations from candid (other than those it & Nicobar Islands a weep).	up to 5 years the instruc- ed by the Con- to for deter- t shall be the sipt of appli- lates in India a Andaman	Ycs.
Educational and o for direct recruits	other qual	ifications required	Whother age educational qu tions prescribed f recruits will apply case of promotee	alífica- or direct y in the		by direct rec motion or by and percents	ecruitment whether cruitment or by pro- deputation/transfer age of the vacancies y various methods
	8	<u></u>	9	·	10	┉╺╪╾╌╒┙╼┥┶═┻╌╺┿╸╸┿	11
otherwise well a Note 2 : The qua are relaxable at in the case of ca duled Castes ar any stage of sel opinion that su tos from these c requisite experi- ilable to fill up them.	al Science ience in te tions are r UPSC in c qualified. Ulification the discre- andidates id Schedu ection, the fficient nu- communiti- onco are n	aching and/or re- claxable at the dis ase of candidates	-	1	ycar for direct recruits.	cluding she	orterm contract)/ iling which by direct
Desirable: Specialisation in t and Politics.	he study c	of Indian Govt.					

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made

Circu	mstances in		to Tholesa				
Public	Service C	Comp	nistien i				
to be	consulted	in	making				
rocruitmont							

12	13	14
 Trainfai on deputation (including thest form contract)/ Trainfar. Offliers under the Contral Govt./State Govts./ Universities Govt. Research Institutions	Mombor. Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Co- mmission for approval. If, however, these are not approved by the Commiss- ion a fresh meeting to be presided over by the Chairman or Member of the U.P.S.C. shall be held.	be made in consultation with U.P.S.C.

[No. 13012/6/85_TIN/AIS (III)_G]

नई विन्त्री, 3 जून, 1986

सा. का. जि. 443.—-राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रदन्त गतितयों का प्रथोग करते हुए और पान वडादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती सियमावली, 1961 जहां तक वे राजनीति सिद्धान्त तथा संविधातिक तिश्वि के रोडर के पद से संबंधित हैं हैं उन वातों के सिवाय उन्हें इस अधिवसण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है एनद्वारा चाल अग्रदुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी संसरी से राजनीति सिद्धान्त तथा सांविधानिक विधि के रोडर के पद की भर्ती की पद्धति को वितियसित करने हुए तिस्तलिखित नियम बताने हैं, अर्थात :--

1 संक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम लाल बढ़ादुर णांस्त्री राष्ट्रीय प्रगासन अकावमी राजनीति विद्वान्त तथा सांवित्रानिक विधि रीडर के भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा बेतनमान उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संखग्न अनुसूची के कालम
 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, ग्रायु मीमा तथा घन्य घईताएं : भर्ती की पहलि. ग्रायू-सीमा, घर्ठताएं तया उक्त पद से संबंधित ग्रन्य वातें उक्त घनुसूची के कालम 5 से 14 सक में निर्दिष्ट किए घनसार होंगी।

ा. परस्पर बरिष्ठता : इन तियमों की अधिमूचना की नारीख को राजनीनि सिद्धारत तथा सांबिधातिक विधि रोडर के पदों पर कार्य करने वर्श्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित ददों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की वारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. निरहेताएं : बहु व्यक्ति 🗁

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिवका पति या जिसकी पतनी जीवित है, विवाह किया है, या

(स) जिसने अपने पनि या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति ने विपाह किया है उना येता में तिस्ति के लिए पात नही दोगा

परन्तु सरि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ग्रीर प्रियाट के व्यन्य पश्रकार को लागु ग्वीप प्रिकि बीन अनुप्रेय हे ग्रीर ऐसा करने के लिए खन्य ग्राधार है तो कह किंगे व्यक्ति को इन पिरन ठंपर्रोंग के हा दे गरेते।

ंत. नियम शिथिल अपने की ग़लिन : प्रहां केन्द्रीय सरकार को यह राप हो कि ऐना करना अध्ययक यो समीनीत है, बढ़ां बढ़, उसके निए जो कारण है उन्हें लेखबढ़ रहके तथा संघ लोक सेवा झायोग के परामर्थ में इन नियमों से किसी उपबंध को किपी वर्ग या प्रदर्ग के क गिथिल कर सकेगी।

ब्यावृत्ति ⊶इन नियमों में किया गया कोई भी प्रायशन ऐसे धारक्षणों, घायु सीना में छुट घौर सरंग रिवायतों पर प्रसाद तहे उलिता जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए एए आदेशों के भनुसार अनुसूधित जानियों, भनुष्धित जन जानियों, भुनपूर्व मैतिहों 1या पर्य जिनेव प्रजाति के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना मर्भनित है।

राजमीति सिद्धान्त तमा संथिध	।(नुमारु (था:धा ∞ा रॉक्डर प	∾ पद कालर्थमता । प्रनुसूची	ગયન 1	ረ ጥ, 3/1	0(1)/86-भार. म्रार.
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकर	 π ä	तनमान	क्या खयन पद है अथवा गैर चान पद
1	2	3		4	5
राजनीति सिद्धान्त तथा सांविधानिक विधि रीडर	1* (1986) *कार्यभार रस्रने हुए परिवर्तनीय	को ध्यान में सामान्य "क" रा	· ·	. 1200-50-1300-60 900) चयन
सीधी भर्ती के लिए ग्रायु सीमा				क्या सौधी भर्ती कि जाने वाले उम्मीदवारे के तिए निर्धारिन अ तथा गीजिक अहेताएं पदोल्तत क्यक्तियों के मंबंध में भी लाग् होगी	ायु ' '
6	7	8		9	10
मधिमानतः 45 वर्षं से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मनुदेशों मधवा ग्रादेशों के जनुसार सरकारी कर्म- धारियों के लिए 5 वर्ष तक छुट) टिप्पणी :- ग्रायु सीमा निर्धारित किए जाने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी, जो तारीख भारत (ग्रंडमान व मिकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों से ग्रावेदन पस प्राप्त होने की प्रंतिम तारीख होगी।	ह् रो	समकक्ष । (2) भध्यापन तथा/श्र का भनुभव टिप्पण - 1: अन्धथा सुयं यथारों के मामले में सं के विवेक पर घईताओं है । टिप्पणी-2 : यवि जयन् संघ लोक सेवा भाषान भनुसूचित जातियों/शनु लिए प्रारक्षित पर्वा प समुधायों के भपेक्षित न उम्मीदवारों के पर्याप्त की संभाषना नहीं है	(कटर की उपाधि प्रथव थया प्रनुसंधान में 5 ोग्य अहेंता प्राप्त उम्मी- फे लोक सेवा प्रायोग में छूट की जा सफती के किसी स्तर पर को कि किसी स्तर पर ग का यह मत हो कि मूचिन जनजातियों के र मर्सी के लिए इन मत्रुभव रखने वाले संख्या में उपलब्ध होने तो इन समुदायों के मं संघ लोक नेवा ग्रायो रकार तथा राजनीति	สนั้	सीम्री भर्ती वालों के लिए एक धर्षे।
भर्सी की पढ़ति, क्ला सीधी भर्ती प्रथवा पदाल्तनि प्रथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली लिक्तियों की प्रतिशतना	पदोन्नति/प्रलिनियुक्ति/स् के मामले में बह घेट नियुक्ति/स्थानान्तरण	निनने गरे। तिर्धवनि-	यदिकोई विभागीय हेनो इसका गठन	पक्षेश्नति ममिलि विद्यमत	न बह १रिस्थितियां जिनमें भर्तो हरते ने लिए संघ लोक सेव ब्रायोग से पराम्यां किया जाना ?
11	1 2		1.3	·	14
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानास्तरण द्वारा (जिसमें अस्पकालिक प्रनुबंध मी	गधोन्नति/प्रीयनिषुक्ति प अल्पकालिक अनुर्वध र		ग्रेड "व." विभागीय प स्तति घर विजार व	थोल्तति समिति (पडो- रुवे के दिए)	प्रत्येक कम सें चडन संय कोड नेवा प्रथ्ये

[भाग II	भारत का राजपडः जून	14, 1986/व्येष्ठ 24, 1908	1295
11	12	13	14
शामिल है) जिसके न होने पर सीझो भर्ती द्वारा। टिप्पणी : ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिसूचित करने से पहुले रु, 1100-1600 (जिसे बाद में संशोधित करके 1200-1900) कर दिया गया (के पूर्व संगोधित वेतनमान बाले पद में नियमित आधार पर नियु- क्त किया गया है उन्हें संशोधित वेतन- मान बाले पद में नियुक्ति किया गया समझा जाएगा।	केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मरकारी निकायों/मनुसंधान संस्थामों के प्रधीत ऐसे मधिकारी जो (फ) (i) सावृश्य परों पर कार्यरत हो (ii) जिस्हें रु. 1100-1600 प्रथवा समतुख्य वेतनमान वाले पदों में 2 वर्ष का मध्ययन/मनुसंधान का अनुभव हो। (ख) जिनके पास छनिवार्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विद्यान में मास्टर डिग्री अववा समकक योग्यता हो। पाछनीय : संबंधित विषय में डाक्टर की उपाधि (2) राजनीसि सिद्धारू तया सांविधानिक विधि के विभागीय सहायक प्रोप्सरों के येड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो ग्रीर राजनीति णास्त्र में डाक्टर की उपाधि रखते हों, उन पर भी विचार किया जाएगा, यदि उसे पद की भर्ती के लिए चुन लिया जाता है तो उस पद को पदोल्तति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तस्काल पहले धारित मन्य संवर्ग बांह्य पद में प्रतिनियुक्ति की प्रवधि सहित, प्रति- नियुक्ति की मवधि साधारणत: 4 वर्ष से	प्रणासन भकाबसी संदस्य 3. संयुक्त निवेशक लाख बहाबुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन भकादमी - सवस्य (2) समूह "क" विभागीय पदोग्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) 1. निदेशक लाल बहाबुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रणासन मकादमी - अध्यक्ष 2. संयुक्त निवेशक लाल बहाबुर शास्त्री राण्ट्रीय प्रणासन भकादमी सबस्य टिप्पणी : स्थायीकरण के संबंध में विभागीय पदोग्नति समिति की कार्यवाहिया भनुमोवन के लिए धायोग को भेजी जाएगी । किन्नु यदि ये धायौग द्वारा भनुमोवित नहीं की जाती है तो संघ लोक सेवा भायोग के धब्ध्यक्ष प्रथवा सवस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक होगी ।	के परामर्श से किया आएगा ।

[सं. 13012/6/85 – टी. ग्राई. एन./ग्र. भा से. III – एफ.]

गी. जार, श्रीनिवासन, भवर संविध

New Delhi, the 3rd June, 1986

मधिक नहीं होगी)।

G.S.R. 443.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Reader in Political Theory and Constitutional Law, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Reader in Political Theory and Constitutional Law in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie, namely :—

- Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Reader in Political Theory and Constitutional Law Recruitment Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The neethod of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se Seniority.—The inter-se seniority of persons bolding the posts of Reader in Political Theory and Consti-310 GI/86—8 tutional Law on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

- 5. Disqualification .--- No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shalf be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in those rules shall affect reservation, refaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

ľ

Nam: of post	No. of	Classification	SCHEDULE	Whath	A ga limit	for dir at	Wh +h = h =-
Nam; of post	posts	Classification	Scal. of pay	Wheth:r selection post or Non- sel.ction post	Age limit recruits	lor dir _i ct	Whith r b n= fit of add c y_arsofservic; admissible under rule 30 of the CCS (P nsion) Rules, 1972
1	2	3	4	5		6	7
Read r in Political Theory and Constitutional Law.	1* (1986) *Subject to variation dep:ndent on workload	General Central Servic: Group 'A', Gazetted.	R 9. 1200-50- 1300-60-1900.	Selcction	ment sa y ars i with th or order C.ntral Note : Th for deter limit sh sing da of appl candida (other th Andama	e for Govern- rvants upto 5 n accordance is instructions is issued by the Gov.rnment). is crucial date mining the age all be the clo- te for receipt ications from	Ycs.
Educational and o required for direct ric	thər qualifica ruits.	tions Wheth r ag cutional qual pr.scribed fo recruits will a the case of pro-	ifications tion, r direct apply in	iod of proba- if any	recruitmen deputation	f recruitment wi it or by pron /transfer and p to be filled by v	notion or by rentag of th
8	······································	9		10		11	······································
 Essential : Doctorats in Politia a recognis d Unival nt. 5 y ars exp rince or research. Note 1 : Qualifications the discr tion of the office released to not the office released to not the U.P. of cundidates b leaded Casts and S if, at any stage of U.P.S.C. is of the sufficient number from these commutations reserved Desirable : 	versity or equ in teaching an are relaxable U.P.S.C. inc: rwise well qua- cation(s) exp- ole at the disc S.C. in the ca- nging to Sche of candida of candida nities possess arlines are r bl to fill up t for them.	d/ at asc ali- ri- FC- Esc - cs, he hat tss ling tot he		for dir.ct t,	ding sho by direct Note : 1 appoint in the 1 1600 (re to the r b; deem	Atransfer on d rt-t rm contract t recruitment. Ph: Officers we don a r gular pre-r vis d scal vised to Rs. 17 outification of t ted to hav be in the revised	t) failing which who hav been basis in the pose of Rs. [100 00-1900] price h s rules, shale on appoint d to
In cas of recruitmen transf r grad s from v transf r to by mady	t by promitic which promotic	n/deputation/ If a pr/deputation/	DPC exists what is	its compositio	n	Circumstanc:s Union Publ Commission i sult d in m ⁻ k	ic S rvic
	12			13			4
Promotion/Transf r o short-t rm contract (1) Offic rs under th Univ rstit s/Govt. tutions : (4)(i) holding and	t) : h:= C:ntral/St Bodius/R:so	ate Govts./ 2. arch Insti- 3. (2)	A DPC (for cons Chairman(/M mb- Dir ctor, LBSN A Joint Director, LE Group 'A' DPC firmation)	r, U.P.S.C A, NSAA	Chairman 1. mber 1ember		e ch occasion de in consulta UPSC.

12	13	
 (ii) with 2 years traching/research experience in posts in scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and (b) poss ssing Essential Musteres D gree in Political Science from a recognised University or equivalent; Desirable : (1) Doctorate in the concerned discipline. (2) The d partmental Assistant Professors of Political Theory and Constitutional Law with 5 years regular service in the grad and posse- ssing a Doctorate in Political Science will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (period of deputation including period of 	 Director, LBSNAA, — Chairman Jt. Director, LBSNAA — Member Note : Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commis- ssion for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held. 	

[[]No. 1301?/6/85-TIN/AIS (III)-F] V. R. SRINIVASAN, Under S cy.

विस मंत्रालय

(ग्रायिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1985

सा.का.नि. 444:—राष्ट्रपति, संविधान के ग्रनुष्ठवेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त मक्लियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, मायिक कार्य विमाग (बैंक नोट प्रस,, देवास, समूह 'क' और समूह 'ब' पद) भर्ती नियम, 1975 का और संगोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रर्थातुः—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, नाणिक कार्य विभाग, (बैंक नोट प्रेस, देवास, समूह 'क' नौर समह 'ख' पद) भर्ती (तीसरा संशोधन) नियम, 1985 है।
 - (2) ये राजप स में प्रकाशन की सारीख की प्रवृत्त होंगें।

d putation in another ex-cadree post held immediately proceeding this appointmene in the same organisation/d partment shall ordi-

narily not excled 4 years.)

2. बिक्त मंत्रालय, ग्राधिक कार्य विभाग (बैक नोट प्रेंस, देवास, समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1975 की प्रनुसूची में:

(i) मुख्य रसायनक (स्पाही) प्रेड II के पद से संबंधित कम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर सिम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियों रखी जाएंगी, प्रयति:---

1	2	3	4	5	6	7	7म
	रसायनज्ञ (स्याही और प्रनमु प्रानग्रेड-∏	3* (1985) *कार्यभार के ग्राधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है	साम्रक्षण केन्द्रीय सेवा सम्रह 'क'	700-40-900-व . रो 40-1100-50- 1300 र.	ব্যদ	35 वर्ष से ग्रधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए भनुरेशों या भावेशों के मनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक विषिल की जा सकती है। टिप्पण : प्रायुक्तोमा भव- धारित करने के लिए निर्णायफ तारीख, प्रत्यक मामले में, धारत में झभ्याधियों से (उनसे भिन्नोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) (आवेदन प्राप्त की नई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

8	9		10	,		
		(i)	सीमें नतीं किए गए	भ्यवित के बि	लेग एक	
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्ववविद्यालय की रसायनशास्त्र में मास्टर की डिग्री या रसायन प्रोद्योगिकी या रसायन इंजीनियरी में डिग्री ।		• •	त्रोजत श्रविकारी के			
(ii) स्याही प्रोद्योगिकी से संबंधित राल, पेंट, वार्तिम झादि के विक्लेषण या विनिर्माण में 3 वर्ष का ग्रनुसंधान/ विकास/औद्योगिक ग्रनुभव ।						
टिप्पण (1): प्रह्रैताएं ग्रन्थमा सुप्रहित प्रभ्यवियों की दशा में संघलोक सैवा प्रायोग के विवेकान्नुसार शिविस की जा सकती हैं।						
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी घर्हता (महुंताएं) संघ लोक सेवा मायोग के विवकानुसार अनुसूचित आतियों और मनु- सूचित जनजातियों को भण्यायियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा म्रायोग की यह राथ है कि उनके लिए मार- क्षित रिक्तियों को भरने के लिए मपेक्षित भनुभव रखने वाले उन समुदायों के प्रभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगें ।						
11			12			
 (i) 33-1/3 प्रतिगत प्रोक्सति धारा जिसके न हो सकने पर 	प्रोन्नतिः					
(1) 55 मुठ मुल्त पर स्थानात्सरण द्वारा (जिसके मन्तर्गंत मल्प- कालिक संविदा भी है); (ji) 66-2/3 प्रतिमत प्रतिनियुक्ति पर स्थामान्सरण द्वारा (चिसके मन्दर्गंत मल्प-कालिक संविदा भी है) जिसके नहो सकने पर सीधे मत्ती द्वारा ।	तकनीकी द्यो । प्रतिन्िृषिस राज्य सर प्रधिकाप (क) (i) (ii	पर वृस्तान्तरण कारों/लोक अपक तेः) जो सबुम पद श) जिस्होंने 650 सेवा की निके पास स्तम्भ मधिकाधित गौकि पिभागीय धधि मिम्नुक्ति के लिए नियुक्ति दाधिका पाक्ष नहीं हों।) (प्रतिनियुक्ति से इस नियुक्ति से	कारकामा) जिसमे (जिसके घरतगैल क मों/अर्ध-सरकारी/कानूनं गरण किए, हुए हैं, 1200 रुपए के या हो; जौर 8 के मीचे सीधी क प्रहिताएं और म कारी जो प्रोमति की विचार किए जाने री प्रोमति द्वारा नि ठीक पहले घारित सि है, साधारणसय	तल्पकालिका) या रूष या समतुस्थ मुभव प्रादि नुभव प्रादि सीधी पं केपात्न नर नेयुक्सि के जि प्रसके अंतर्ग किसी म्रान्य	संविधा भ गपत्त से वेतनमान वाने वाले भ हों। (प किल में है हीं होंगे। लेए विच काडर वा	नी है) केम्प्रीय गठमों के ऐं वाले पदों 3 व म्यपितमों के लि तेकर क्षेणी में ऐं , प्रतिनियुणित प दसी प्रकार प्रति , प्रतिनियुणित प दस किए आने ¹ संगठन विभाग ¹ सि पद पर प्रति
13			14			
(प्रोक्षति के संबंध में विचार करने के लिए)		ायन प्रत्येक मजर	तर पर संग लोक	सेवा भार	गेग के प	रामर्श से किया
(1) समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :		आएगा ।				
1. संघ लोक सेवा झायोग का अध्यक्ष सदस्य	मध्यक्ष					
2. संयुक्त सचिव (कार्मिक) व्यय विभाग	—स्वस्य					
3. संयुक्त सचिव (करेंसी और सिक्का निर्माण) मायिक	(कार्य विभाग) सदस्य					
•						
(2) पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए सभूह 'क' विभाग समिति :	પાલ પંચાગમાન					

टिप्पण: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संव लोक सेवा प्रायोग के प्रनुमोदनार्य भेजी जाएंगी किस्तु, यदि उक्त धायोन उनका मनुमोदन नहीं करता है तो विमागीय प्रोचति समिति की बैठक संब लोक सेवा झायोग के घष्पक या किसी सवस्य भी यानवास में फिर से होगी ।

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1084

100

224

347

1111

(ii) रसायनज (प्रनुसंधान) श्रेणा-2 के पद से संबंधित कम सं 12 मीर जससे संबंधित प्रविष्टिः	ों का लोग किया आएगा।
पार्व टिप्पण : मूल नियम मधिसूजना सं. च 3(8)/75-वी. एम.पी. तारीच 26-12-1975 सा	
किए गए पोर तलाश्यत इनक⊨ तिस्तलिति द्वारा संगोधन किया गमाः	
म्रा,का,सि. सं.	<u>स</u> । रोग्झ
(1) 1030	J 7-7-1976
(2) 253	26-2-1976
(3) 320	1 2-3-1 977
(4) प्रविसूचना सं. फा. 3/8/75वी.एन. पी.	21-12-1976
(5) ग्रधिसूथनामं. फा 5/37/76बी.एन पी.	4-5-1977
(6) 670	9-7-1977
(7) 988	30-7-1977
(8) 548	29-4-1978
(9) 1282	20-12-1978
(10) 475	31-3-1979
(11) 550	17-5-1980
(12) 356	29-3-1980
(13) 772	26-7-1980
(14) भश्रि. सं. एक. 4/15/80बी एन. पी.	8-1-1981

MINISTRY OF FINANCE

प्रतिसूचना (सं. ए. इ. 4'20/82- वी. एन. पी.

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 13th December, 1985

G.S.R. 444.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruit-ment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press,

Dewas, Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1985.

11-12-1981

31-1-1983

3-3-1984

7-7-1984

25-5-1985

ग्रमर नाथ भाटिया, भ्रवर सचिय

27-10-1984

[सं. एफ. 4(2),81-- बं

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1975,—

(i) for serial number 11 relating to the post of Chemist (Ink) Grade-II and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :--

J	2	3	4	5	6	7	7(a)	8
	homist (In Rosearch) e-II	(1985) *Subject to varia-	General Contral Service Group 'A' Gazetted	Rs. 700-40- 900-EB-40- 1100-50- 1300.	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govern- ment servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govern- ment). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candi- dates in India (other	No	Essential : (i) Master's degree in Che- mistry or Degree in Che- mical Technology or Chemical Engineering of a recognised Univor- sity or equivalent. (ii) 3 years' research/deve- lopment/industrial ex- perience in analysis or manufacture of resins, paints, varnishes connec- ted with Ink Technology. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Fublic

1300		<u></u>	A : JUNE 14, 1986/JYAIS			II—SEC. 3(i)]
1 2	3	4 5	6 7 than those in the Andaman and N bar Islands and I shadweep).	ico-	Service (case of car wise well Note 2 : The regarding are rela discrotion Public Sor sion in the dates belo duled Cas duled Trill stage of Unlon Pu Commissio opinion (number of from thos possessing experience to be avai the vacan	qualification(s) experience is/ exable at the of the Union vice Commis- case of candi- onging to Sche- tes and Sche- tes and Sche- tes if, at any selection, the blic Sorvice n is of the that sufficient f candidates e communities the requisite are nct likely lable to fill up
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	for them.	
9 No	10 (i) One yoar for diroct rocruit; (ii) Two years for promotoe officer	 11 (i) 33-1/3% by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract); (ii) 66-2/3% by transfer on doputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment. 	 12 Promotion : Technical Officer (Ink Factory) with 3 years' regular service in the grade. Transfer on deputation (including short-term contract) Officers under the Contral/State Governments/Public Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:	 Chairman/M Public Servic —Chairman Joint Secret: Department ture—Memba Joint Secret: and Coirage of Economic —Member Group 'A' Promotion C (For consisd d mation) Joint Secret n53) Departu diture—Cha Joint Secret and Coinage of Economic Note : The Pr the Departu tion Commit to the Commit to the Commit proval. If, he are not appin Commission ing of Departu motion Compinged over man or ame Union Public 	Committee ring promotion Member Union e Commission ary(Porsonnel) of Expendi- or ary (Currency), Department e Affairs- Departmental Committee ering confir- ary (Porson- ment of Expen- irman ary (Currency b) Department e Affairs-Mom occedings of mental Promo- ttee relating to shall be sent nission for ap- owever, these roved by the a fresh meet- rtmontal Pro- mittee to be r by the Chair- mber of the	14 Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.''

- - -

(ii) serial number 12 relating to the post of Chemist (Research) Grade-II and the entries relating thereto, shall be omitted. Footnote :- Principal Rules published vide Notification No. F. 3(8)/75 BNP dated 26-12-1975 G.S.R. No. 435, dated 27-3-76 and subsequently amended by:-

and subsequently amended by,	
G.S.R. No	Date
(1) 1030	17-7-1976
(2) 253	26-2-1977
(3) 320	12-3-1977
(4) Notification No. F. 3/8/75-BNP	21-12-1976
(5) Notification No. F. 5/37/76-BNP	4-5-1977
(6) 870	9-7-1977
(7) 988	30-7-1977
(8) 548	29-4-1978
(9) 1282	20-12-1978
(10) 475	3 (-3-1979
(11) 550	17-5-1980
(12) 356	29-3-1980
(13) 772	26-7-1980
(14) Notification No. F. 4/15/80-BNP	8-1-1981
(15) 1084	11-12-1981
(16) 100	31-1-1982
(17) 224	3-3-1984
(18) 347	7-7-1984
(19) 1111	27-10-1984
(20) Notification No. F. 4/20/82-BNP	2 5-5-1985

[No. F.4(2)/81-BNP] A. N. BHATIA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 मन्नेल, 1986

स.० कां० निं० 445:--पंत्रिधान के मनुच्छेद 309 के परम्तुक क्षाय प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपनि भी एतवद्वारा थिस मंत्रालय, राजस्व विभाग के विको कर पक्ष में वरिष्ठ अनुसंशान मधिकारी के पद पर मर्ती के नराके के लिए जिम्नलिखित जिनियामक नियम बनाजे है, मर्थास्:---

1. गंक्रिण्त नाम सवा प्रारम्भः (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) बिकों कर पक्ष (वरिष्ट ग्रनुसंधान ग्रधिकारी) भर्ती नियम 1986 कहा जाएगा;

(2) यो निथम सरकारी राजप के में उनके प्रकाशन की तारीख से सागू होंगे।

2. संख्या वर्गीकरण तथा बेतनमत्तः अक्स पद की संख्या, असका वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान वे होंगे जिस्हे इन नियमों से उपावट इन्दूसुची के कालम 2 से 4 तक विनिधिष्ट किया गया है।

ं 3. भर्ती का तरोका, आयु सीमा, अर्हनाएं आदिः भर्ती का नरीका, आयु मोमा, अईताएं तथा उक्त पद से संबंधित अस्य मामले वे होंगे जिल्ह उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक विनिधिष्ट किया गया है।

म्रनहीताएं: कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति फिए जाने के लिए, पास नहीं होगा ---

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति केसाथ शादी की है अथवा शादी क' इकरारनामा किया है जिसका पति मथवा पत्नी जीवित है, प्रथवा

(ख) जिसने पनि ग्रथवा परनी के जें।वित होते हुए किमी प्रत्य व्यक्ति केसाथ शादी की है भाषवा शार्दा काइतरारनामा किया है,

ब बतें कि केन्द्रीय मरकार, यदि इस बात से संसुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर तथा भावी करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के स्रन्तर्गत ऐमी जा करनाधी सनुझेय **है** तथा ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं, किमी ध्यक्ति को इम नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

5. नियमों को शिथिल करने का घबिकार — जब केन्द्रीय सरकार की यह राम हो कि ऐसा करना मावज्यक अथवा समयोजित है, तो वह झादेश द्वारा, लिक्टिन स्प में कारण देकर तया संघलोक सेवा मायोग ये सत्य परामर्श करके, किसी श्रेणी मयवा वर्ग के व्यपितयों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को गिथिल कर सकती है ।

6. व्यावृत्तिः---इन नियमों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य थिलेथ श्रीणियों के लिए आरअणों. आयुसोमा को शिथिल करने तथा अन्य रियायतों पर, जो कि इस संबंध में समय-समय प: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारों किए जाने व.वे आदेशों ने अनुसार मुह्रैया जिए जाने अपेक्षित है, कोई प्रभाव नहीं पहेगा। _____

। बरिष्ठ अनुमंधान भविकारी (19 *कार्ये म् मनुसार सन्द्रा मेधिक गोग्यता पयोक्षति के मा अथवा नहीं ^ग 9 लागू नहीं होता पदोन्नति/प्रतिनिम् ्क्ति/स्थानाग	रेती मन्धू सीमा तथा परिकीक्षा	को झवधि यदि कोई 10 होता यदि विभागीय प्र	ोजति समिति है तो	भर्ती का तरोका प्रतिनिमुक्ति/स्थाना सवा विभिन्न नरोग प्रतिशत मनुपात प्रतिनियुक्ति पर	क्या मतीं सीधी को जाएगी मधवा स्तरण के माधार पर का जाएगं कों से भरे जाने बाले रिक्स पदों का 11
वरिष्ठ अनुमंधान ग्रीवकारी (19 *कार्ये प्रयामी का लिए निर्धारि से किक योग्यता पयोक्षति के मा अथवा नहीं "! 9 लागू नहीं होता परोन्नतिम् किल/स्थानाम मामले में को येंड जिनमें से किया आएगा ।	1* सामान्य केन्द्रीय सेवा 986) समूह 'क' (राज- मार के पत्नित) र मन्तर जा ता है रेनी मामू सीमा तथा परिवीक्षा - सिर्ण द्वारा की जाने वाली मर्ती के	को झवधि यदि कोई 10 होता यदि विभागीय प्र	. लाग् नहीं होता है ही ोजति समिति है तो	लागू नहीं होता है भर्तीका तरोका प्रतिनिमुक्ति/स्थानम् सया विभिन्न नरोग प्रतिग्रात मनुपात प्रतिगियुक्ति पर	लागू नहीं होता है लागू नहीं होता है क्या मतीं सीधी को जाएगी मधवा ग्तरण के बाखार पर का जाएगे कों से भरे जाने वाले रिक्स पदों का 11 स्यानस्तरण द्वारा
ग्राधिकारी (19 *कायेम प्रमुखार स्वर्ग स्वा सीधी भर्ती के लिए निर्धारि वैक्षिक योग्यता पदोक्षति के मा अथवा नहीं ^ग रं 9 लागू नहीं होता 9 लागू नहीं होता भयोग्नति/प्रतिनिम् कित/स्थानास म(मले में को येड जिनमें से किया आएगा ।	986) समूह 'क' (राज- मार के पत्नित) : र मत्सर जा ता है रेती ग्राम, सीमा तथा परिकीक्षा मिले में भी लागू होगी सरण द्वारा की जाने वाली मर्ती के	को झवधि यदि कोई 10 होता यदि विभागीय प्र	हो 	भर्ती का तरोका प्रतिनिमुक्ति/स्थाना सवा विभिन्न नरोग प्रतिशत मनुपात प्रतिनियुक्ति पर	क्या मर्ती सीधी की जाएगी प्रथव तरण के माधार पर का जाएग कों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का 11 स्यानस्तरण द्वारा
ी क्षिक योग्यता पदोल्लति के मा अथवा नहीं " नगरू नहीं होता गरोन्नति/प्रतिनियु क्ति/स्थानास समले में वो ये ढ जिनमें से किया आएगा ।	ामले में भी लागू होगी साग, नहीं सरण द्वारा की जाने बाली मर्ती के	ा () होता यदि विभागीय प्र	ोजति समिति है तो	प्रतिनिमुक्ति/स्थानम सया विभिन्न नरी। प्रतिशत मनुपात प्रतिनियुक्ति पर	तरण के झाधार पर का जाएगं। कों से भरे जाने वाले रिक्स पदों का 11 स्वानस्तरण द्वारा
वागूनहीं होता ग्रदोन्नति/प्रतिनिम् कित/स्थानास म।मले में वो येड जिनमें से किया आएगा ।	सरणद्वारा की जाने वाली भर्ती के	होता यदि विभागीय प्र	-		स्वानस्तरथ द्वारा
पदोन्नति/प्रतिनिम् कित/स्थानास भामले में के येड जिनमें से किया आएगा ।	सरणद्वारा की जाने वाली भर्ती के	यदि विभागीय प्र	-		، سی بی بر سرند ہے کے طابع کو کا اسانیا ہی سیسے پینے ہی کا تھی
म।मले में वैयेंड जिनमें से फिया आएगा । 			-	बे परिलब्धियां ज	ब भरती करले समय संब लोक
	··		** 1 8	सेणा आयोग से	परामर्शकिया आएगा ।
	12		13		14
केश्वीय सरकार के आधीन ऐ (क)(i) नियमित गाग्रां प्रथया; (ii) जिनकी 700- माभ में किस सेवा हो, ग्रया (iii) ६50-1200 किमी पद गर तथा (ग) फिमी मान्यता मथवा श्रर्थणा (ग) फिमी मान्यता मथवा श्रर्थणा (ii) कर कान्नों उ मोमा सूस्क/आ (प्रतिनियुक्ति विभाग में इस किसो भर्थ र	रेंसे प्रधिकारा जॉ— पर सद्ग्ण पद धारण किए हों; -1300 रु० अथवा समकुत्य कान गै पद पर 5 वर्ष को नियमि वा रु० ग्रथवा समकुत्य बेतनमान का ग्रथवा समकुत्य बेतनमान का ग्रथवा समकुत्य बेतनमान प्राप्त विश्वीकालय से वाणिज्य स्व के साथ डिग्री ग्रथवा देन प्रप्त विश्वीका कानूम में डिग् अर्थात विश्वीका कानूम में डिग अर्थात विश्वीका कानूम में डिग वकी ग्रथवित का कानूम हो । की ग्रथवित का ताकाल पूर्व धारि गंवर्ग वाक्षा पद पर प्रसिनिधुमिस दो णामिल है माग्रार शत्राया ः व	र- स में रे प्रो पठन / रेन	ोता		पर चयन संध लोक सेवा ^र मायो <i>ग</i> के करके किया जाएगा ।

जे. एम. तेहन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th April, 1986

G.S.R. 445.—In exercise of the powers conferred by the proivso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Research Officer in the sales-Tax Wing of the Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Financee (Department of Revenue) Sales Tax Wing (Senior Research Officer) Recruitment Rules, 1986.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, egg limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, agg limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

- 4. Disqualifications .-- No person,---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so Joing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHED	ULE		
Խ .թ. օք թ.,t	Classilica- tion	Scale of pav	Whether Selection post or non-selec- tion post	Age limit for direct recruit	• •	ducational and other quali cations required for direct recruits
2	3	4	5	6	7	8
1 1* (1986) *Subject to varia- tion da- pendent on work load	Goneral Central Service Group 'A' (Gazetted)	Rs. 1100-50- 1600	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	on by dire deputat percenta cies to	et reett, or by ion/transfer an age of the vaca be filled by var	tion/dep d grades f n- tion/dep	nutation/transfer, from which promo- outation/transfer to	If a DPC oxists what is its comp tion	
10	ید بند رود اور به مارسی)=+t=-4 [1949 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 - 19-20 -	12	13	[4
Not applica		-	Officers Govt : (a)(i) hol on reg (ii) with vice in	under the Central ding analogous post ular basis ; or 5 years regular ser- posts in the scale of	Not applicable	Selection on each occassion shall be made in consulta- tion with the U.P.S.C.
	p r,t 2 1 1* (1986) *Subject to varia- tion da- pendent on work load Period o Probati if any 10	p),t tion 2 3 1 1* Goneral (1986) Central *Subject Service to varia- Group 'A' tion da- (Gazotted) pendent on work load Period of Method Probation by direction if any deputat cies to me 10 Not By trans	p >.ttionpav23411*GoneralRs. 1100-50- (1986)(1986)Central1600*SubjectServiceto varia-Group 'A' tion do- (Gazetted)pendent on workIoadPeriod of Probation if any if any cies to be filled by var methods1011NotBy transfer on deputa- to the set of the set	No. of Classifica- port tion pay Selection post or Don-selec- tion post 1* General Rs. 1100-50- Not (1986) Central 1600 applicable *Subject Service to varia- Group 'A' tion de- (Gazetted) pendent on work load Period of Method of rectt. Whether In case Probation by direct rectt. or by tion/dep if any deputation/transfer and grades f porcentage of the vacan- tion/def cies to be filled by various be mad methods 10 11 Not By transfer on deputa- applicable tion Officers Govt : (a)(i) holo on reg (ii) with vice in	post tion pay Selection recruit post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or post or 1 Goneral Rs. 1100-50- Not Not Not Not Not applicable (1986) Central 1600 (1986) Central 1600 applicable *Subject Service to varia- Group 'A' tion do- (Gazotted) pendent on work load	No. of Classilica- tion Scale of pay Whether Schetion Age limit for direct recruit Whether benefit of the post or East add voars p.r.t tion pay Schetion recruit benefit of the post or p.r.t tion pay Schetion recruit admissible under rule 30 of the CCS (Pen- tion) Rules, 1972 1972 2 3 4 5 6 7 (1986) Central 1600 applicable Not applicable Subject Service Scrvice applicable Not applicable Period of Method of rectt. Whether In case of rectt. by promo- tion/deputation/transfer, deputation/transfer, too If a DPC exists what is its comptition if an

- (iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent : and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience—
- (i) Degree in Commerce or with Economics from a recognised University or its equivalent, preferably a degree in Law, and
- (ii) having experience of taxation Laws, viz. Sales Tax/Central Excise-Customs/Income-tax.
- (Poriod of deputation, including period of deputation in another ex-cadre postheld immediately preceding this appointment in the same organisation/ department shall ordinarily not exceed 3 years).

[F. No. A. 12018/2/85-Ad. I] J.M. TRF.HAN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई विल्ली, 29 मई, 1986

मा,का,नि, 446:---राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छदेद 309 के परन्तुक हारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्न श्रेणी लिपिक (धायान और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम, 1976 का और संगोधन करने के निए निस्तलिखित नियम बनांगे हैं, धर्था नु:----

. ____ . . .

- (1) इन नियमो का नाम श्रेणी लिपिक (ग्रायात और निर्यान व्यापार नियत्रण गंगठन) भर्ती (गर्णाधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्व होगे।

 निम्न श्रेणी लिपिक (ग्रायात और निर्यात व्यापार नियत्रण र्मगठन) भर्ती नियस. 1976 में--

- (i) नियम 3 में परन्तुक का लोप किया जाएगा;
- (ii) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा. अर्थात्:---"6, ब्याबृत्ति---डन नियमों की कोई बात, ऐसे छारक्षणों ग्राय् सीमा में छूट और घ्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं। डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार ढारा इस सबंध में \समय-समय पर जारी किए गए छादेगों के छानुसार छानुग्रुचित जातियों, ग्रान् सुचित जनजात्रियों, भूतपूर्व सैतिकों और घ्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना ग्रुगेक्षित है।
- (iii) (क) कन्म्स्मी में, स्तम्भ 10 के प्रधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी क्रथति ----
- "90 प्रतिशेत भर्ती सीधी **द्वा**रा
- 10 प्रतिशत प्रांग्नति द्वारा।"
- टिल्पण(1) : इस पद्धति से प्रोल्तति व्यक्तियों की अधिकतम सख्या, किंगी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिक के काडर में होने वाली रिक्लियों

के 10 प्रतिणन तक सीमित होगी और न भरी गई रितिः यां भगले वर्ष ध्रग्रतीन नहीं की जाएंगी।

- टिष्पण(2) (क) वर्ष 1973 में या पहले नियुक्त किए गए सभी देली-फोन आपरेंटरों को आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण सगठन में निरन श्रेणी शिरफों की श्रेणी में सम्मिलिसि किया आ सफता है। उनके पूरे दल के वर्ष 1973 में नियमित रूप में नियुक्त किए गए निरन श्रेणी लिपिकों के नीचे ज्येष्ठम दी जायेगी।
 - (ख) वर्ष 1974.1975 और 1976 में नियक्त किए गए टेलोफोन ग्रापरेटरों को निम्त श्रेणी लिपिकों की मुलना में ज्येष्ठता उनकी तिथक्ति की तारीख के प्राधार पर दी आएगी।
 - (ग) वर्ष 1977 और उसके बाद में नियुक्त किए गए टेलीफोन डापरेटरों को उस वर्ष में जिसमें टेलीफोन आपरेटर नियुक्त किए गए थे, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए तिस्त धेगा लिएकों के नाचे ज्येष्ठगा द्वा जाएगे।
 - (घ) ग्रायात ओर निर्धात ध्यापार नियंत्रण गंगठन के सरिमलित बिग्ए गए टेलोफोन ध्यापरेंटरों को 20 क. प्रतिमास विशेष बेतत, टेलोफोन ध्रापरेंटर के रूप में काम करने के दौरान प्राप्त करने के हकदार होंगे।
 - (७) टेलीफोन आपरेटर प्रायात और निर्यात व्यापार नियंत्रण मगठन में उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, उन्हें दी गई ज्येंग्ठना के अनुसार पात्र होगे। उन्च श्रेणी प्रोन्तति हो जाने पर वे टेली-फोन ग्रापरेटर के रूप में काम करना जारी रख मकते हैं क्योंकि निस्त श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदो की ग्रदलायदली की जा सकती है। तथापि टेलीफोन ग्रापरेटर के रूप में कार्य करने समय उन्च श्रेणी लिपिक 30 क. प्रति-मास यिशेष वेतन प्राप्त करने के हनदार होगे,

(iii) (ख्र) म्लभ 11 के नीजे विधमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्मलिखित रखा जाएगा, अर्थातः ---

- "प्रोत्स्तति निस्ततिखित जलों के अधीन रहते हुए समूह "ध" कर्मचारी (नियमित स्थापन में के) (1) जयत ऐसी विभार्शायङ परीक्षा के माध्यम में होगा, जो ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अर्थात् मैंद्रिक या असतुत्र्य की अपेक्षा पूरी करने हों,
- (ii) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आंधु 45 वर्ष(अनुमूचित आतियां और अनुमूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) होगी।
- (iii) ममुह"ध" में कम से कम पांच वर्ष की सेवा आवण्यक है ।

3 ग्रायात अगर निर्यात व्यापार (नियंक्षण संगठन टेलिफोन भ्रापंस्टर) भर्ती नियम, 1961 जो भृतपूर्य वाणिज्य आंर उद्योग मंद्यालय की अधि-सूचना सं. सा.का.नि. 1381. तारोख 11 श्रव्यूबर, 1961 द्वारा प्रधि-मूचिन किए गए थे.को इसके द्वारा निर्रामन किया जाता है।

पाद टिप्गण मूल नियम भारत के राजपन्न तारीख 6-12-1976 में सा का.नि.सं. 583 के ग्रहीन प्रकाशित किए गए और नताश्चात् सा.का. ति. मं. 1360 तारीख 4-11-1978 ढारा संपोधित किए गए।

[फा. भं .-ए-12018/1/75-व्यवस्था-III]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 29th May, 1986

G.S.R. 446—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Lower Division Clerk (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1976, namely :—

- (1) These rules may be called the Lower Division Clark (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.
 - 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lower Division Clerk (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1976-

- (i) in rule 3, the proviso shall be omitted ;
- (ii) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :----

"6. Saving : ---

- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time;"
- (iii) (a) in the Schedule for the entry under column 10, the following entry shall be substituted, namely :-- "90% by direct recruitment 10% by promotion;

Note.—(1) The maximum number of prophotees by this method shall be limited to 10% of vacancies in

the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year and the unfilled vacancies shall not be carried over to the next year.

- Note (2) (a) All the Telephone Operators appointed in the year 1973 or earlier, may be inducted to the Grade of Lower Division Clerks in the Import and Export Trade Control Organisation. They shall be assigned seniority enbloc below the regularly appointed Lower Division Clerks appointed in the year 1973.
 - (b) The Telephone Operators appointed in the years 1974, 1975 and 1976, shall be assigned seniority vis-a-vis the Lower Division Clerks on the basis of their date of appointment.
 - (c) The Telephone Operators appointed in the year 1977 and thereafter, shall be assigned seniority below the Lower Division Clerks appointed through the Open Competitive Examination of the year in which the Telephone Operators were appointed.
 - (d) The Telephone Operators on their induction to the Import and Export Trade Control Organisation shall be entitled to a special pay of Rs. 20 per month while working as Telephone Operators.
 - (c) The Telephone Operators shall be eligible for promotion to the Upper Division Grade in the Import and Export Trade Control Organisation as per the seniority assigned to them. On promotion to the Upper Division Grade, they may continue to work as Telephone Operators as the positions of Lower Division Clerks and Upper Division Clerks are interchangeable. However, Upper Division Clerks, while working as Telephone Operators, shall be entitled to a special pay of Rs. 30 per month".
 - III(b) for the entry under column 11, the following entry shall be substituted, namely :---
 - "Promotion.—Group 'D' employees (Borne on regular establishment); subject to the following conditions :---
 - (i) Selection would be made through a departmental examination confined to such (Group) employees who fulfill the requirement of minimum educational qualification viz, matriculation or equivalent;
 - (ii) the maximum age for this examination shall be 45 years (50 years for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees);
 - (iii) atleast five years' service in Group 'D' is essential.

3. The Import and Export Trade Control Organisation (Telephone Operator) Recruitment Rules, 1961, notified vide late Ministry of Commerce and Industry Notification No. GSR-1281, dated the 11th October, 1961, are hereby repealed.

Foot Note. -The original rules were published with GSR No. 583 in the Gazette of India dated 6-12-1976 and subsequently amended by GSR No. 1360 dated 4-11-1978.

[File No. A-12018/1/75-F [1]]

सा.को.नि. 147:— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छद 300 के परस्तुफ द्वारा प्रवत्त थनितयों को प्रयोग करते हुए, और आवेशिका नामीलकर्का निपाही (प्रायात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम. 1977, को उन वानों के सिवाय प्रधिकांत करने हुए, जिन्हे एमें अधिकाग से पहले किया गया है, या करने का लोग किया गया है, आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में आदेशिका नामीलकर्का सिपाही के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनिधमन करने के लिए निम्तनिश्चित नियस बनात हैं, अर्थात :- ~

 मंक्षिण्ठ नाम और गारम्भः ---(1) इन नियमों का संक्षिण नाम द्रावेणिका नागीलकर्ता सिपाही (ग्रायार और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम, 1986 है। (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रयुत्त हों।

 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेधनमान :--- उक्त पद/पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जा इन नियमों से उपांबद्ध भन् सूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिधिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयू-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:--- उक्त पद/पदों पर भर्ती की पडति, आयु-सीमा, यईताएं और उमसे/उनसे संबंधिक अन्य वातें व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिदिष्ट हैं।

4. होम गाई के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व :-- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अर्थान नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, तीन वर्ष की घ्रवधि के लिए होस गाई के रूप में प्रणिक्षण प्राप्त करेगा, उन व्यक्तिगों को छोड़कर जो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग है :

परस्तु महासमादेख्टा, होम गार्ड, प्रसिक्षण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य और इसके द्वारा प्राप्य प्रशिक्षण के स्तर पर विचार करने पर, एसी अवधि को दो दर्ष कक कम कर सकेगा ।

5. गिरहुंसाएं :- वह ज्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिवका प्रति या जिसकी पतनी जीवित है, विवाह किया है, या

(बा) अिसने भ्रापने पति या ग्रापनी परनी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर निमुक्ति का पाल नही होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और तिवाह के प्रस्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रधीन मनजेय है और ऐसा करने के लिए धन्य भाषार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छट दे संकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसाएक?ना श्रावण्यक या संगीचीन है, वहा कह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद करके इन निवयों के किसी उपबंध को किसी वर्ण या प्रवर्थ के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्तिः - इन नियमों की कोई बात, ऎसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायनों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जालियों, अनुसूचित जनजातियों, भगतूर्व सैनिकों और प्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षिन है।

	,			श्रनुसूर्चा		
पद का नाम	पदों की संख्या	जगीक ^र ण	बेक्षनमान	चयन पद श्र थवा ग्रत्रथन पद	सेवा में जोड़ें गए वर्षों का कायदा केन्द्रीय सिविल रोवा (पेगन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुजेय हे या नहीं।	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केलिए झायु-मोमा।
1	2	3	4	5	6	7
ग्रोदेशिका तामीलकर्ता सिपाही	5 (1986)	समूह ''घ'' सचिवोय श्रराजगझित	196-3-220- बरो:- 3-232 रु .	ग्रिल्यन	गाग्, नही ढांना	18 और 25 वर्ष के बीच । टिप्पणी: भागु-तीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रस्वेक मामले में, भारत में भ्रभ्याधियों में (उनसे भिल्ल जो अंडमान और निकावार द्वीप शथा लक्षद्वीप मे प्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तार्राख होगी।
सीधें भर्ती किए ज भ्रन्थ झह्लाएँ।	ाने वाले व्यक्ति	क्लयों के लिए ग्री	लिए प्रोन्	विहित साम	वाने नाले व्यक्तियों के प , और प्रीक्षिक स्टर्हताएं, की दशा में लागू होंधी	रिवोंक्सा की ग्रावधि, यदि कोई हो :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8			~ ,	9	10
मिडिल स्कल रूपर उ	'सी'र्ण			नही 		दो वर्ष
			ा या प्रतिनिथुक्ति/स्थ ाने नासी रिक्तियों प		न्नसि /प्रतिनियुक्ति/म्थानान्नरण नसे प्रोन्नसि/प्रतिनियुक्ति/स्थाना	हारा भर्ती की दशा में वे श्रणियां. सरण किया जाएगा।
		11				12
स्थानाम्तरण द्वारा जि	ासफेन हो सबन्धे	ने पर सीर्धा भर्ती द्व	 ग्रि।	स्	ानान्तरणः ऐसे फराण हाडून क्षिय्सा है और जो अंग्रेजी हि क्षम देते है	रुण या चौकीवार जिनके पास प्रारंभिक हेन्दी या कोई प्रादेणिक भाषा पढ़ने का

[ए-12018/3/85 म्था-3] टी. ग्रार. नागराजन, भवर सचिव

		મહા મહત્વ ભ	<u>किल भारास्थालय</u>	ા ગ લખ ળા	ल परामण	
	,	किया जापुगा ।				
			-			
				14		
	-	•'	ला	ग ्रनहीं होता		
म्राज्यक्ष						
भदस्य						
सदस्य						
	भ्रष्यक्ष भदस्य	भ्राध्यक्ष भदस्य	थित्या जगरूना । च	मित्या जागरूगा । म्	पित्या जागरूगा । भःर बनेगीः : 14 	भःर बनेगोः - – त्यागू नहीं होता —-प्राज्यक्ष —-पदस्य

G.S.R. 447.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Process Service Sepoy (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1977, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Procest, elver Sepoy in the Import and Export Trade Control Organisation, namely :—

1. Short title and commencement \rightarrow (i) These rules may be called the Process Server Servey (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1936.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazetie.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.--The method of recruitment to the said Post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Liability to undergo training as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed under these rules, shall undergo training as a Home Guard for a period of three years, save in the case of those who are physically handicapped to undergo such training. Provided that the Commandant General, Home Guards may, having regard to the performance of and standard of training, reduce such period to two years.

- 5. Disguallication :-- No person,---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are oher grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving,—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	No. of posts	Classification tion	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 cf the CCS (Pen- tion Rules), 1972.	Age limit for direct recruits	Educational and other qua lifications required for direct recruits.
1				5	6	7	8
Process Sorver Sepoy	(5) (1986)	Group 'D' R Non- Ministerial Non- Gazotted	5. 196-3-220- 3-232,	E.B Non Sələctio	Not n applicable	Between 18 and 25 years. The crucial date for determining the age will in each case be the last date of receipt of applica- tions from candida- tos in India (other than those) in the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Middle School standard pass.

SCHEDULE

		1986/JYAISTHA 24,		[PART I1-SEC 3(i)]		
Whether age and educational qua- lifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	ions prescribed for direct bation if any direct recruitment or by promotion is will apply in the case of by deputation or transfer and percent		ruitment whether by nent or by promotion or or transfer and percen- ancancies to be filled by	In case of rec or deputatib from which p	of recruitment by promotion utatilen or transfer. grade- tich promotion or deputation sfer to be made.	
9	10	╶╶╻┍╺ ┨╼╍┥ ╶╼╛ ─ ┲╡ ──┨╶┉┶──]]	┶──┬╍┉┧╌─┛╺┵┥╌╸╅╼┉╵┿╌╸	12	
Νυ	2 years	By transfer fai recruitment	iling which by direct	who possess a give proof o	weepers or Chowkidars dementary literacy and of ability to read either Hindi or any rogional	
If a departmental promotion comm composition	nittee exists what i	s its	Circumstances in which to be consultated in mak			
3	and —a) —af and and —af —a and —i -			└╌┩╶╾┥╌╸╡╶╌┊╼╍╛╶╌╕╌	┥ ╶─┤┯┛╼┑╞╶╎╒╼┧ <u>┲┥</u> ╌┥╌┙╱┥╌┯	
Departmental Promotion Committ Deputy Chief Controller of Import —Chairman— Controller (Administration)—Mom Controller—Member Deputy Director Directorate Gene (Welfare)—Momber	ee comprising of :- ts and Exports (Ad iber	lmiai.tration)	Not app	licable		
a an			یہ ہے ہے۔ این ایر این ۱۹۹۹ کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا	-	12018/3/85-E. III] RAJAN. Under Secy.	

योजनः अ योग

नई दिल्मी, 11 फर्बरी, 1986

मा०का०नि०–448-—राष्ट्रपंति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हुए ग्रीर योगना आयोग (अ्येष्ठ बिश्लेषक) (कार्थ भ्रष्ययन) भर्ती नियम, 1973 की उन बातों के सिवास जिस्हे ऐसे अधिकामण से पहुंते किया गया है या करने से लोग किया गया है बोजना प्रात्रोग में ज्येरठ विश्लेषक (कार्य ध्रध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का वितियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

1. संक्रिप्त नाम भौर प्रारंभ : → (1) इन नियमों का मंश्रिप्त नाम योजना आयोग ज्येप्ठ विश्लेषक (कार्य प्रध्ययन) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) से राजपत्न में प्रकाणन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

 पद संख्या, वर्गीकरण भौर वेतनमान :--- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण भौर उसका वेतनमान वह ठोगा जो इन नियमों से उपाबद्व प्रतुक्तूर्वा क स्थंभ 2 से 4 में विनिदिष्ट

3. भर्ती की पद्धति, ग्रायु-मीमा अर्हताए ग्रादि :--- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, ग्रायु-योमा, ग्रर्हनाएं ग्रौर उत्रथे संबधित जत्य वाते के होंगी में पुर्वेहित भनुदूची के स्तम्भ 5 से 13 में वितिदिष्ट है।

4. निरईना '--- बहु व्यक्ति,----

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने प्रयने पनि या प्रापनी पत्नी के जीवित हॉने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है.
- उक्त पद पर नियुक्ति का पाल नहीं होगाः

परल्पु यदि केन्द्रीय संस्कार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के प्रत्य पक्षकार को लागु स्वोथ विधि के प्रधीन सनजेब है प्रौर ऐसा करने के लिये प्रत्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे संहेगी।

5. पिथिय करने की मकिन :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहां वड़, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें रोखबद्ध करके तथा संघ लॉक सेवा चायोग से परामर्थ करके, इन निवमों के किसी उपप्रत्य को किसी वर्ष याध्रपर्य के व्यक्तियों की जाका, पादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । [पाग II--खण्ड 3(i)]

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्न : जून 14, 1988/ज्यष्ठ 24, 1908 130 9 6. व्यावृत्ति उन नियमों की काई बात, ऐसे प्रारक्षणों, पायु-मीमा में छुट और अन्य रियायनों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गये क्रादेणों के अनसार अनुसुबित जातियों, यनुसूबित जनजातियों / भूतपर्थ सैनिकों श्रीर ग्रन्थ विलेप प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

				भनसूची	,	_	
पद कानाम पद्रों की मंथ्या वर्णीकरण		थेतनमान	ৰথন ৭২ ঘ্ৰথৰা স্পৰ্যন এহ	गोत्रे भर्ता किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये ग्रायु-सीमा	मेवा में जोडे गये वर्गों का फायवा केन्द्रीय सिथित्र सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुजेय है या नहीं		
1	2	3	4	5	6	6 क	
ज्येग्ठ विश्लेषक (कार्य ग्रध्ययन) 1* *(1986) ~-कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्सन किया जा सकला है।	गाधारण केन्द्रीय सेवा समृह ''क'' राजपन्निन अननुसचित्रीय	1100-50- 1600 %	नाग नही होत्स	लागू नही होगा	गाम् नहीं दोता	
सोधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति घर्हतायें		क ग्रीर प्रत्य		त्ताने वाले व्यक्तियों. रक घर्हनायें पश्रेन्नत होगी या नही		 धि यदि कोई हो	
······································	7			8		9	
लाग् नहीं होता •	लाग् नही होता ∙				लाग नही हो'ता ·· -		
भर्ती की पद्धति/भर्ती मीधे हो पद्धति द्वारा भरी आने वाली वि			न्मरण द्वारा नथा ऽ		प्रतिनियुस्ति या स्थानान्तरण ढारा भर्त /प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया :		
	 10				11	-	
प्रतिनिर्युषित पर स्थानात्सरण (जिसके झन्दर्गन अन्पकालिक			केन्द्री सन ऐर् (1) रि होगी		प्रकने पर यथेक्षानुसोर राज्य अवायम या स्थानीय निकायों के वेद्यालय की डिग्रीया समयुष्य		
				(2) जिन्होंने 700-1300 रुक के बेतनमान वाले पटों पर कम रं तियमिन सेवा की होगी या जिन्होंने 650-1200 रुक के बेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियसित सेवा की है; झौर (3) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रयंध संस्थान, रक्षा ब संस्थान के उच्च प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अस्व मान्यन में नुख्य प्रशिक्षण सफलतापुर्वक पूरा किया होगा। या जो उन् होंगे।			
				स्पष्टीकर उ स्त जल्द रक्षना	होगा। स्पर्ध्टीकरणः यदि किसी ऐसे प्रधिकारी का चयन किया जाता उक्त पर्एपकम पूरा नहीं किया है, तो उसके प्रांत्जा की आयेगी जल्दी उक्त पाठ्यकम पूरा कर ले श्रीर उसका उस पद पर ति रहती डम गर्तक प्रजीत रहते हुए होगा कि वह चाती तियुक्ति की मे एक वर्षके भीतर उक्त पाठ्याम स कततापूर्वक पुरा कर लेख या		

1310 THE GAZETTE OF IN	IDIA : JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1908 [PART II-SEC3(i)]
and and the second s	
- · · ·	जिस्होंने ∽केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/मंवालयों में कनिष्ठ विश्तेवक (कार्य अध्ययन) के रूप में कम से कम 3 वर्ष का प्रमुभव य्याित कर लिया होगा। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की प्रवधि, जिसके घरतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से टीक पहले धारिन किसी ग्रन्थ का इर/वास्य पद पर प्रतिनियुक्ति की प्रवधि है पांत वर्ष से प्रधिक नहीं होगी।)
	به .
वदि विभागीय प्रोक्षति समिति है तो उसी संरचता	भर्ती करने के लिये किन परिस्थितियों में संघ लौक सेना भाषोग से परामर्थ किना आयेगा ।
12	13
 लागू नहीं होता	चयन प्रत्येक अत्रमर पर, सघ लोक सेवा श्रायोग के परामर्ग से किया जायेगा। इ.स. निपनां के उातन्त्रों में से फिनी को संशोधिन/शिथिल करने समय भी संत्र लोक सेवा श्रायोग से पराप्तर्ण करना श्रावश्यक है।

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 11th February, 1986

G.S.R. 448.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1973 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Analyst (Work Study) in the Planning Commission, namely :—

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Planning Commission Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1986
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columus-(2) to (4) of the said Schedule, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid. 4. Disqualification .- No person,

(a) who has entered into or contraveled a marriage with a person having a spouse living, or

[सं० 12025/4/85-प्रशासन-2]

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
- shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post	Number of Post	Classification	Sca1∖ of p^y	Whether sille- tion post of not	Ag: limit for dir.ct rccruits	Whither bunchit of add d years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pun- sion) Rules, 1972.
	2	3	4	5	6	6(a)
Senior Analyst (Works Study)	 1 (1986) *Subject to variation dependent on work- load. 	G neral Central Service, Group 'A Gazetted, Non-ministerial.	Rs. 1100-50- 1600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

SCHEDULE

भारत का राजपत्न: जून 14, 1986/ज्येषड 24, 1908

- **1**0

Educational and other qualifications required Whether age and educational qualifications Period of probation, if any

for direct recruits	prescribed for dir.ct recruit will apply in case of promotees	
	8	y
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of a cruitment, whither by direct recruitment or by transfer on deputation or transfer, and percentage of the vacancies to be filled in by each method	In cas of recruitment by promotion, de- putation or transf r, grades from which promotion, deputation or transfer to be made	If a Departmental Pro- motion Committee exists what is its composition	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in mak- ing recruitment	
10	11	12	13	
By Transf r on deputation (including short term contract)	 Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers of the Contral Government, failing which, officers from the State Governments or Public Sector Undertakings or autonomous or local bodies, according to requirement, who shall have : (i) a degree of a recognised University or its equivalent. (ii) rendered at least 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300/- or 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and (iii) Completed successfully, or be eligible to undergo, the Advanced Management Services Course of the Institute of Secretariat Training & Management, Defene Institute of Work Study or a comparable training in any other recognised institution. Explanation : If an officer who has not already undergone the said course is selected, he shall be required to undergo, the said course is selected, he shall be required to undergo, the said course is selected at least 3 years experience as Junior Analyst (Works Study) in the Central Government. OR acquired at least 3 years experience as Junior Analyst (Works Study) in the Central Government Office's/Ministries. (Period of deputation/contact including period of deputation in anothr ex-cadre potent in the same organisation/Department shall not exceed 5 years). 	the	S-lection on each occession shall be made in enosultation with the Union Public Service Commission. Consul- tation with the Com- mission is also necess sary, while amend- ing/relaxing any of the provisions these rules.	

रग. का. ति. 449----राष्ट्रजेति संकित्राम के मनुछेव 309 के परम्तुक द्वारा प्रवत्त कॉक्टियों का प्रयोग करने हुए और योजना आयोग कर्मिक विश्लेषक और मनुसंबान सहायक (कार्य मध्ययन) कर्सी नियम, 1981 और भर्ती नियमों के सभी पश्यातवर्ती संज्ञोधनों को जहां तक उनका लंबंध है योजना आयोग में प्रनुसंधान सहायक (कार्य मध्ययन) के पव से है उन बातों के सिवाय अधिकांत करने हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, योजना जायोग में मनुसंधान सहायक (कार्य मध्यपन) के पद पर भर्ती की पदात का बिनियमन करने के लिए निम्नलिकित नियम बनाते हैं, अर्थात:

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्म: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना भाषोग भनुसंघान सहायक (कार्ब मध्ययम) भर्ती नियम 1986। (2) ये राजपल में प्रकाशन की तारीज का प्रवृक्त होंगे।

 पव संख्या, वर्गीकरण और वेदनमान: उक्त पथ की संख्या, उसका बर्गीकरथ और उसका वेदनमान बह होगा जो उक्त प्रमुग्नुची के स्तम्भ 2 से 4 में विगिदिष्ठ हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, महँता भावि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, भागु तीमा, महँताएं और उससे संबंधित अन्य वालें वे होंगी को पूर्वोक्त मनुसूची के स्तम्म 5 से 13 में विनिधिष्ट हैं।

- 4. मिहेता : वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पतनी जीविष्ठ है, विवाह किया है, या
 - (बा) जिसने मपने पहि या धपनी पतनी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से बिवाह किया है, उक्त पत्र पर नियुक्ति का पाल नहीं होगा।

परसु यदि केस्त्रीय सरकार का मह समाधान हो जाना है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के प्रत्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रधीन जनुभैय है और ऐमा करने के लिए अस्य जाधार है नो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रधतेन में छट दे सकेगी।

5. धियिस करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राम है कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं छन्हे लेखवड़ा करके तथा संघ लोक सेवा आधीग से परामर्ग करके, इन नियजों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की माबत, आदेझ डारा बिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे झारखणों, प्रावु-बीमा में छुठ और प्रस्य रियायनों पर प्रभाव नहीं ठालेगो, जिनको केखीय गरकार द्वारा इत संबंध में समय-समय पर निकाने पए झावेशों के बनुसार प्रनुसुचित जातियों, धनुसुचित जनजानियों, जूतपूर्व सैनिकों और प्रस्य विशेव प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना प्रपेक्षित है।

			मनुर	গুৰী		
थद का नीम	धर्दो की संख्या	थ र्गीकरण	बेस् नमान	শব্দ দক্ত মৰ্মা মৰ্মান ধৰ	सीध भर्ती किए आने वासे व्यक्तिकों के लिए धायुसीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कायवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंधन) नियम, 1.972 के नियम 30 के बर्धात अनुतेय है मा नहीं
1	2	3	4	5	6	6(45)
भनुरोबान महावक (कार्य मध्वयन)	3* (1986) *कार्यमार के प्राचार पर परिक्तम किंवा क्षा सकता है।	सरघारण केन्द्रीय सेवा समूह ''ब'' प्रराजपलित, धनकुष्ठभिवी	र्षे 550-25-750- व.दो30-900 य भ.	लागू नहीं ≹ोला	षागू नहीं होता	नहीं
वीचे मर्ती किए जा जौर झम्ब सहुंताएँ	ाने वाले व्यक्तिय	. 1	सीक्षे भर्ती किए अपने विहित सायु और बौक्षिय की दला में लागू होंनी या	ः श्रहेता एं प्रोत्नह		म्प्रभक्षि, यवि कोई हो
	7			8		9
लागू	नहीं होता	······	नागू नहीं होत	π - · ,	ला	गू नही होशा
		वा प्रोग्नति द्वारा मा प्र तिवीं द्वारा भरी जाने :			क्त/स्थानान्तरण क्वारा भर्ती की जिस/स्थानाम्लरण किया जाएगा	धमा में वे अपेणियां जिनसे
		10			11	
प्रसिनियुक्ति पर स्था	नाल्तरण क्षारा				स्वानान्तरेवः के मधिकारी जिसके न हो स बेमागों के ऐसे मधिकारी	कने गर. केन्द्रीय सरकार के

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
	 (1) जिल्ले पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री गा समतुल्य होगी
	(2) जिन्होंने 423-800 रु./ 425-700 रु. के बेदानमान वाले सम- तुल्य पत्रों पर पांच वर्ष या शियमित सेवा की होगी; और
	(3) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान का बुनियादी प्रबन्ध सेवा पाट्यक्रम या फिसी भन्य मान्यक्षा प्राप्त संस्था में समकुल्य प्रश्निक्षण सफअतापूर्वक दूरा किया होगा या जो उनके लिए पाक्ष होंगे।
	स्पर्ध्वाकरणाः ं यदि किसी ऐसे घषिकारी का अपन किया जाता है जिसने उक्त पाठ्यकम पूरा नहीं किया है, तो उसके घपेका की आएयी कि वह जल्पी उक्त पाठ्यकम पूरा कार ले और उसका उस पद पर निरंतर बना रहना इस . सर्त के घषीन रहते हुए होगा कि वह घपनी नियुक्ति का नारीख से एक वर्ष के मीलर उक्त पाठ्यकम सफलदापूर्वक पूरा कर लेवा है।
	प्रतितिखुभित की प्रवधि, जिसके घन्तर्गत ससी संगठन/विभाग के इस लियुक्ति से ठीक पहले बारित किसी घन्य काऊर बाझ्र पद पर प्रति- नियुक्ति की प्रवधि है, सौधी स्पष्टता तीन वर्ष से प्रक्रिय नहीं होगी)।
यदि विभागीय बोल्तति समिति है तो उसकी संरचमा	भतीं करने के लिए किन परिस्थिनियों में संघ सौक सेका भाषोग से परामर्मकिया आएगा
12	13
जागू न∎ी होता	धन नियमों के उपबम्बों में से किसी को संशोधित/शिशित करसे समभ सभ लोक सेवा भावोग से परानर्श किमा आएगा।
and a second and a	

G.S.R. 449.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Junior Analyst and Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1981 and all subsequent amendments to the Recruitment Rules in so far as the post of Research Assistant (Work Study) in the Planning Commission are concerned, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant (Work Study) in the Planning Commission, namely :--

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Planning Commission Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid. 4. Disqualification.-No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

[सं. 12025/4/85 प्रमा,-21

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with anyother person,

shall be eligible or appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE			
Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or not	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of servic admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	6(a)
Rescarch Assistant (Work Study)	3* (1986) *Subj.ct to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'B' Non- gazetted, Non- ministerial	Rs. 550-25-750- EB-30-900	Not applicable	Not applicable	No
Educational and oth: required for direct rec			r age and educat ad for direct recru otees.			prob ² ticn, if any
7			8			9
Not applica	ble		Not applic	able	N	ot applicable
Mothod of recruitment, whether by direct recruitment or by transfer on deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled in by cach method		putation or transfer, grades from which Commi		Departmental Promotion mmittee exists, what composition	on Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making reoruitment	
10		11			12	13
		tries/Departme vernment who (i) a degree of a or its equival (ii) rendered at 1 vice in posts 425-700 or o (iii) completed sur undergo the vices Course tariat Train a comparable recognised in Explanation : If an officer, who the said course required to und the earliest an tion in the post condition that course successfue the date of hist (Period of deput	eming Commissi mers in other M ants of the Centra shall have : recognised Univ- last 5 years regul- in the scale of Rs- equivalent; and cessfully, or be of Basic Manager of the Institute ing and Manager of the Institute ing and Manager e training in a stitution. bas not already is selected, he sh- lergo the subject the he completes the anoth r ex- recognised university in anoth r ex- proceeding the the same organi-	on inis- inis- l Go- ersity (ar scr- , 425-800/ eligible to nent Ser- of Secre- cmant or any other' undergone nall be urse at reten- o the e said ar of the poriod dre post nis ap- sation/	ot appli ca ble	The Union Public Service Commission shall be consulted while amending/ relaxing any of the provisions of these rules.

सा. का. नि. 450: ---राष्ट्रपति, संविधान के भनुरुंद 309 के परस्तुक द्वारा प्रदत्त वर्तियों का प्रयोग करते हुए, और मौजना भाषोग कनिष्ठ विश्लेषक और मनुसंधान सहायक (कार्य मध्ययन) मर्ती नियम, 1981 और भर्ती नियमों के सभी पश्चासवर्ती संजोधनों को, जहां तक उनका संबंध योजन धायोग में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य मध्ययन) के पद से है उन वातों के सिवाम धाधिकारत करते हुए जिन्हें ऐसे मधिकमण से पहले किया गया है या करने ने स्राप किया गया है, योजना घायोग में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य भ्रष्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने है, मर्यात :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना ग्रायोग कनिष्ठ विख्लेषक (कार्य ग्राय्ययन) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्ष होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और येतनमानः ----उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेत्तनमान यह होगा जो उक्त प्रनुसूत्री के स्तम्भ 2 में 4 में विनिदिष्ट हैं।

3. भर्ती की पढति, प्रायु सीमा, प्रहुंता ग्रादि ----जक्त पब पर बती की पढति, थायु सीमा, प्रहुंताएँ और उससे संबंधित घम्य वाले वे होंगी जो पूर्वोका बतुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में बिनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हताः वहं व्यक्ति----

(क) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी परनी जीवित है, विवाह किया है,या

(ब) जिसने अपने पहि या अपनी पहनी के जीवित होते हुए फिसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पाल नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान ही जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के प्रस्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के प्रधोन धनुत्रेय है और ऐसा करने के लिए धन्य धाधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. दिविस करने की गवितः —--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राथ है कि ऐसा करना प्रावक्ष्यक या समीचीन है, वहां थह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें सेवबढ करके तथा संघ लोक सेवा गायोग से परामर्ण करके, इन नियमों के किसी उपबंध को जिसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत. भावेक द्वारा गिविस कर सकेगी।

6. व्यावृत्तिः ---इन नियमों की कोई बात, ऐसे मारक्षणों, भ्रायु सीमा में छूट और प्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं बालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार [बारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के मनुसार मनुसूजिन आतियों, मनुसूचित जनआतियों, भूतपूर्व सैनिकों और मन्य बिशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना भगेकित है।

			भनु	सूची		
भवकानाम	पद्यों की संख्या	वर्गीक ^{रू} ण	षेतनमान	ंचयन पव इप्रथवा श्रेचग्रन पर्थ	स्रीझे भर्ती किए जा याले व्यक्तिमों के लिए घायुत्तीमा	
1	. 2	3	4	5	6	67
क्तमिष्ठ विक्लेश्वक (कार्य ग्रध्ययन) सीधे मर्ती किए धीर मध्य मर्द्दताएं	ा [≭] (1986) [#] कार्यभार के माधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । जाने वाले व्यक्तिसं	- थि।	650-30-740- 35-810- द.रो35-880- 40-1000 द.रो40- 1200 रु. रे मतीं किए जाने इंत मायू भौर गैक्षि	वाले व्यक्तियों क म्रहंताएं प्रोन्नत		यागू नही होता
	7	ارام	थमा में लागू होंगी थ 8	ा मही		9
	लागू नहीं होता	,,,,,,,	सागू नहीं हो	ता 	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,	लागू नही होता
		या मोन्नति द्वारा या प्रति यों द्वारा भरी जाने बाली			त/स्थानाम्तरण द्वारा भर्ती युक्ति/स्थानाम्तरण किया जाए	की दशा में जे श्रेणिमाजिल गा
······································		10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I	l.
त्रतिनियुष्ति पर हे) झारा ।	म्थानान्तरण (जि	सके अन्यर्गेत अन्यकालिक	संविधा भी	है। क्षरा केन्द्री	ाय सरकार के <mark>ग्रधिकारी</mark> , f	त्सर्गत मत्पकालिक संबिदा भी जेसके त हो सकने पर अपेका- अपकर्मों या स्वामल या स्थानीय

	11
	तिकायों के ऐसे अधिकारी :
	(i) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विक्वविद्यालय की डिग्री वा समतुख्य होगी।
	(ii) जिन्होंने 650-1200 रु. के या समतुख्य बेतननाम वाले पदों पर कम से कम 5 वर्ष नियभिक्ष सेवा की होगी या जिन्होंने 425-800 या 425-700 रु. के या समतुष्य बेगनमान वाले पत्रों पर कम से कम 3 वर्ष नियमित सेवा की हो ;
	(iii) जिस्होंने सचिवालय प्रशिक्षण ग्रीर प्रबन्ध सम्प्रान, रक्षा कार्य अन्त्रयत संस्थान का उच्च प्रवन्ध सेवा पाठ्यकम या किसी भग्य मान्यताप्राप्त संस्था मे तुत्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया होगा या जो उनके लिए पाझ होंगे।
	स्पर्ध्धोकरण:यदि किसी ऐसे अधिकारी क चयन किया जाता है जिसने उक्त पाठ्यकम पूरा नहीं किया है, तो उसने अपेक्षा की जाएगी कि वह जस्दी उक्त पाठ्यकम पूरा कर लें श्रौर उसका उस पद पर निरंतर बना रहना इस शर्त के श्रधीन रहते हुए होगा कि वह अपनी नियुक्ति की मारीस्य से एंक वर्ष के भीतर उक्त पाठ्यकम सफलनापूर्वक पूरा कर मेता है।
	(प्रतिनिमुक्ति संविदा की श्रवधि जिसके भन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति ने ठीक पहले धारित किसी मन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की प्रवधि है, पांच वर्ष से श्रधिक नहीं होगी) : ।
ववि विभागीय प्रोम्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक देखा मात्रोग से परामर्थ किया जाएगा
1 2	13
साग् महीं होता	राज्य सरकार या पश्चिक सेक्टर उपकम है, आदि से कियां अधिकारो की प्रतिनियुक्ति (संविदा पर नियुक्ति के लिप धयन करते समय ग्रौर इन नियमों के उपत्रकों में से किसी को संशोधित शिक्ति करते समय संघ लोक सेवा भामोग से परामर्श करना आवण्यक है।
	[सं 12023/4/85प्रेशा2] एम. एन. बरदराजन, प्रवर सचिव
G.S.R. 450,In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in superses- sion of the Planning Commission Junior Analyst and Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1981 and all subsequent amendments to the Recruitment Rules in so far as the post of Jnior Analyst (Work Study) in the Planning Commission are concerned, except as respects things done	 4. DisqualificationNo person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

Commission are concerned, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst (Work Study) in the Planning Commission, namely :---

- 1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Planning Commission Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.-The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule atoresaid.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

shall be eligible for appointment to the said post ;

5. Power to relax .-- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons,

6. Saving .--- Nothing in these rules shalf affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicement and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

·	····	·	SCHEDULE			
Name of the post	No. of posts	Classification S	ale of pay	Whether Solec- tion post or not	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admi- ssible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	6(a)
Junior Analyst (Works Study)	1* (1986) *Subject to variation dependent on work- load.	General Centra Service, Group 'B Gazetted, Non-ministeria	35-810-EB-35- 880-40-1000-EB-	Not applicable	Not applicabl	e Not applicable
Educational and other q quired for direct recruits			e and other educations of the second se		Period of pro	bation, if any
7			g			9
Not applic	able		Not applicable		Not	applicable
by direct recruitment or transfer on deputation transfer and percentage	by tion or or deput of the		om which promotic	on, motion Co	mmitice exists. 1 compositon. 5 te	froumstances under which the Union Public Service Commission is be consulted in mak- g recruitment
Methof of recruitment, w by direct recruitment or transfer on deputation transfer and percentage vacancles to be filled in each method	by tion or or deput of the	transfer, grades fr	om which promotic	on, motion Co	mmitice exists. 1 compositon. 5 te	which the Union Public Service Commission is

[PART II-SEC. 3(i)]

12 13	11	10
	subject to the condition that he completes the	
	said course successfully within one year of the	
	date of his appointment.	
	(Period of deputation contract including the	
	period of deputation in another ex-cadre post	
	held immediately preceding this appointment	
	in the same organisation/Department shall	
	not exceed 5 years).	
[No. 12025/4/85-Adm.	······································	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
M.N. VARADARAJAN, Under Se		

उद्योग मंत्रालय

(मौद्यौगिक विकास विभाग)

नई बिल्मी, 28 मई, 1986

मा.का.ति. 451----राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्ठेव 309 के परन्तुक डापा प्रदत्त सप्तियों का मयोग करते हुए, और उद्योग संसामय (औधोमिक विकास विभाग) अपेष्ठ विक्लेषक (कार्य मध्ययन) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय भ्रधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे मधिकमण से पहले किया गया है या करने का सोप किया थया है, उग्रोग मंझालय, औधोमिक विकास विभाग में अयेष्ठ विक्लेषक (कार्य मध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियलन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :---

1. संक्षिप्स नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विमाग) व्योष्ठ विक्लेयक (कार्य प्रध्यमन) भर्ती नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीय को प्रवृत्त होंगे ।

 पद-संख्या, वर्धीकरण और वेतनमान : उक्स पद की संख्या, उसका वर्धीकरण और उसका बेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपाधक मनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिदिष्ट हैं।

े 3. मती की पडति, मायु-सीमा और अन्य महैताएं मादि : उक्त पद पर मती की पडति, मायु-सीमा, महैताएं और उससे संबंधित मन्य वातें वे होंगी जो उक्त मनुसूची के स्तम्म 5 से 13 में विविधिष्ट हैं।

4. निरुहेंसाएं : वह व्यक्ति----

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति में जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (*) जिसने भयने पति या ग्रंपनी पतनी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पट पर मियुक्तिन का पाल नहीं हौगा :

परस्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के झव्य पक्षकार को सागू स्वीय विधि के झधीन अनकेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से खुट दे मकेगी ।

5. शिथिल करने की सक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राथ है कि ऐसा करना झावश्यक या संमीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद करके तथा संघ लोक सेवा झायोग से परामर्थ कर्क़, इन नियमों के किसी उपत्रंघ को किसी वर्ण या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, झादेख डारा शिथिल कर संकेगी ।

6. व्यासृति : इन नियमो को कोई बात, ऐसे भारक्षणों, बायु-सीमा में कूट और अन्य रियायतों पर प्रमाब नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले वए बादेशों के अनुसार अनुसुनित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और प्रन्थ विज्ञेच प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस्त संबंध में समय समय पर निकाले वए बादेशों के अनुसार अनुसुनित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और प्रन्थ विज्ञेच प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस्त संबंध में समय समय पर निकाले वए बादेशों के अनुसार अनुसुनित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और प्रन्थ विज्ञेच प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए

				मनुसू नी		
षद का नाम	पदों की संख्या]	ৰৰ্বীক্ৰংগ	बेतनमान	बयल पष्ट ध्रण्यवा इत्ययन पड	सींघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिमों के झिए ग्रायु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1972 के नियम 30 के ग्राधीन झनुत्रेम है या नहीं
1	2	3	4	5	в	6 क
ज्येष्ठ विस्तीयक (कार्म प्रध्ययन)	2 [*] (1986) ^क कार्यमाद	से वा ममूह "क"	1100-50- 1600 ፍ.	लागू नही होता	लागू नहीं इगेता	नही

	মাতর কা বাজন	র ः जून 14, 1986/ज्ये ॐ	24, 1908	131
2	****			•
<u>к</u>				
आधरि पर				
परिवर्तन				
किया			,	
খা				
सकता				
2			· · ·	<u> </u>
			_ ;	
गेबे भर्नी किए जाने वासे व्यक्तियों के लिए सैक्षिक और प्रन्य प्रईताएँ		। क्यक्तियों के लिए विहित भ्रायु ान्नत थ्यक्तियों की दक्षा में लागू	परिवींका की झवधि यवि	कोई हो
7	8		,	9
	सागू नहीं !			
भर्ती को पढ़ति/भर्ती मीधे होगी या श्रोप्नति ढारा या प्रति	नियुक्ति/स्थानाग्सरण द्वारा			· / /
भर्ती को पढ़ति/भर्ती मीधे होगी या श्रोप्नति ढारा या प्रति	नियुक्ति/स्थानाग्सरण द्वारा	अोन्नति/प्रतिमियुक्ति/स्यानान्त	ण्ण द्वारा भर्ती की दशा में वे	· / /
भर्ती को पढाति/भर्तो सीघे होगी या प्रोप्नति ढारा या प्रति तया विभिन्न पढतियों ढारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 	मियुक्ति/स्थानाग्रारण द्वारा प्रसिश्रतता	प्रोन्नति/प्रतिनिमुक्ति/स्यानान्त प्रतिनियुक्ति/स्यानान्तरण कि (क) प्रतिनियुक्ति पर स्थान केन्द्रीय सरकार के स्थान	रण द्वारा भर्ती की दशा में वे वा आएगा 11	र श्रेणियां जिमसे प्रोक्षति त्यकालिक संविदा भी है। कने पर श्रावस्यकतानुसार
भर्ती को पढति/भर्ती नीघे होगी या ओवति ढारा या प्रति तथा विभिन्न पढतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 10 तिनियुत्तित पर स्थालाम्तरण (जिसके अंतर्गत ब्रल्थकालिक	मियुक्ति/स्थानाग्रारण द्वारा प्रसिश्रतता	प्रोन्नति/प्रतिमियुक्ति/स्थानान्स प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण कि (क) प्रतिनियुक्ति पर स्थान केन्द्रीय सरकार के राज्य सरकारों, पश्लिस ऐसे क्रधिकारी;	रण ढारा भर्सी की दशा में वे या जाएगा 11 ल्तरण : जिसके ग्रस्तर्गत अर प्रधिकारी, जिनके न ही सक	म्त्रेणियां जिमसे प्रोन्नति त्यकालिक संविदा भी है। हने पर श्रावश्यकतानुसार गय: स्थानीय निकायों के
तिनियुत्तिप्र पर स्थालाम्तरण (जिसके अंतर्गत ग्रल्पकालिक	मियुक्ति/स्थानाग्रारण द्वारा प्रसिश्रतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्त प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण कि केन्द्रीय सरकार के राज्य सरकारों, पब्लिस ऎसे क्रधिकारी; (i) जिनके पास किसी कर्ष्ट्रा है; (ii) जिन्होने 70013 वर्ष नियमित सेवा क	रण द्वारा भर्सी की दशा में वे वा जाएगा 11 ल्तरण : जिसके ग्रस्तर्गल अर श्रधिकारी, जिनके न ही सम ह सैक्टर उपक्रमों या स्वायर	म्त्रेणियां जिनसे प्रोन्नति लाकालिक संविदा भी है को पर श्रावश्यकतानुसार ग य: स्यानीय निकायों के की डिग्री या समसुल्य पदों पर कम से कम 5 00 च. के बेतनमान वाले

जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य ग्रध्ययन) के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है ।

पुर्नानयोजनः सप्तस्त बलों के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की ग्रवधि के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्यानांतरित होने वाले हैं और जिनके पास (क) में उल्लिखित अपेक्षित अनुभव और अई ताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस सारीख सक, जिसको वे सणस्त्र बलों से निर्मुक्त होने वाले हैं, प्रसिनियु-क्ति की शर्तों पर रखा जाना चाहिए । उसके परवात् उनको या तों स्थानतिरण करके या ग्रत्पकालिक संविदा पर भ्रामेलित किया जा सकता है ।

(प्रतिनियुषित/संविदा का अवधि, जिसके अन्तर्गत प्रसो संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि भी है,

साधारणसया तीन यर्व से अधिक नहीं होगी ।

[सं. ए-12018/1/80-र्ड] चरम दास, श्रवर सण्जिष

वरि विभागीय प्रोन्ननि समिति है सो उमकी संरचता

धर्ती करने के लिए किन पर्शिस्थतियों में संघ लोक सेवा साथोग से परालर्ज किया जागमा

<u>.</u> *		
iki dan kata sa ata ata kata ang ang ang ang ang ang ang ang ang an	12	13
लागू नही होता		प्रत्येक द्धवसर पर चयन संध लोक सेवा द्यायोग के परामर्थ से फिया आएगा । इन नियमों के उपबंधों में से किसी को संशोधित/शिधिल करने समय भी संघ लोक सेवा द्यायोग से परामर्श करना द्यावश्यक है ।
	and the second	

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 28th May, 1986

G.S.R. 451.—In exercise of the powes conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Analyst (Work Study) in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, clasification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and

other matters relating to said post shall be as specified in

4. Disqualification .--- No person---

columns 5 to 13 of the said Schedule.

- (a) who has entered into or contracted a matriage with a person naving a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether soloc- tion post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whother benefit of added years of service under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.
) } }	2	3	4	5	6	6(a)
Sonior Analyst (Work Study)	2* (1986) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 1100-50-1600	Not Applicable	Not applicable	No
Educational and tions required for		qualifications]	nd educational prescribed for direct ply in the case of		recruitment of putation/tran	recruitmont Twhether by director by promotion or by de- taster and percentage of the filled by various
h <u></u>	7	8	· ····································	9	······································	10
Not applicable		Not Applicable	· .	Not Applicable	By transfe short-term	on deputation (including contract)/re-employment.

SCHEDULE

िकास	∐ध्रण्य	2	(i)	11
ાનાન	TT	3	L .	"

- _-----10 n 10 5 (5 (n) tip 2(1) paration, tean- 18 2 Departmental Promotion Circumstances in which U.P.S.C. is to be

for, grides from which promotion/deputation/transfer to be made	Committee exists, what is the composition	consulted in making recruitment
، المرجع فيستعموا إسترابته ومن وعد ومن عند المرجوب فيه إلك المتحصر وي العد المتروب وعراضه وسروي وعر	معد مع	
11	12	13
<u>، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، </u>	·····	<mark>▲ ▲ ▲ → → → → → → → → → → → → → → → → →</mark>

- (A) Transfer on deputation (including short-term con-Not Applicable tract): Officers of the Central Government, failing which. officers from the State Governments, or Public
 - Sector Undertakings or Autonomous or Local Bodies, according to requirement, who shall have :----(i) A degree of a recognised University or its equi-

- valent;
- (ii) rendered at least 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and
- (iii) completed successfully or be eligible to undergo, the Advanced Management Service course of the Institute of Socretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or a comparable training in any other recognised institution. If an officer who has not already undergone the said course, is selected, he shall be required to undergo the said course at the carliest and his continued retention in the post shall be subject to the condition that he completed the said course successfully within one year of the date of his appointment;

OR

acquired at least 3 years experience as Junior Analyst (Work-Study) in the Contral Government Offices/Ministries..

Ro-omployment :---

- Armed Forces Personnel due to retire or to be transferred to reserve, within a period of one year and having requisite experience and qualifications as mentioned at (A). Such persons should be given deputation terms up to the date on which they are due to release from armed forces. Thereafter they may be absorbed either on transfer or on short-term contract.
- (Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post hold immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 5 years).

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. Consultation with the Union Public Service Commission is also nocessary while amending, relaxing any of the provisions of these rules.

> [No. A-12018/1/80-E.I.] CHARAN DASS. Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

गई दिल्ली, 28 मई, 1986

श. का. नि. 452----राष्ट्रपति, मंबिधान के मन्त्रहेव 309 के परस्तुक द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए केक्टीय अनुसंधान संस्थान कसौति (फैक्ट्री प्रबंधक) भर्ती नियम, 1965 का संकोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:---

(1) इन नियमों था संक्षित लाम केलीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (फैक्ट्री प्रबंधक) मियम 1986 है।

(2) ये राजपव में प्रकाशन की तार्राख का प्रवत्त होगे।

2 केन्द्रीय प्रनुसंबान संस्थान कमौशी (फैस्ट्री प्रबंधक) भर्ती नियम, 1965 की भनुषाची में .---

(1) म्लंम 2 के नीचे प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नलिकिन रखा आएगा, ग्रयोत्:---

1* (1986)

*कार्यभार के बाधार पर परिवर्तन (क्या जा सकता के;''

ه المحديق بيرجد م. جونينيس مرجو الد

(2) स्तम्भ 3 के नीचे प्रविष्टियों में— वर्ग-1 राजपत्नित शब्दों ग्रीर ग्रंकों के स्थान पर समूह "क" शब्द ग्रीर ग्रक्षर रखे जाएंगे।

(3) स्तम्भ 4 के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिथित रखा आएगा, ग्रथॉत्:---

700-40-900-इ. रो. -1100-50-1300 हपवे"

(4) स्तम्भ 6 के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्तलिखित रखा जाएगा, प्राथति:---

"35 वर्ष से माधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मनुदेशों या भादेशों के मनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : प्रायू-सीमा ग्रवधारित करने के लिए निर्णायक, तारीख, भारत में ग्रभ्यांपियों रो (उनसे भिश्र जो ग्रंडमान ग्रौर निकोगार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं (ग्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई मंतिम तारीख होगी।

(5) स्तम्भ 6 भौर नीचे प्रविष्ठियों के पण्तात् निम्तलिखित स्तम्भ 6क श्रौर प्रविष्टियों भन्तः स्थापित को जाएंगो, धर्यान्:--"सेवा में जोड़े गये ययों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेत्रा (पंणन) नियम, 1972 के नियम 30 के श्रधीन अनुजेय हैया नहीं।

6क

नहीं

- (6) स्तम्भ 7 के नीचे प्रविष्टियों में :----
- (क) खंड (2) में, प्रावध्यक मीर्पंक के नोजे खंड (2) में "लगमग मध्य का लोप किया जाएगा।
- (ख) निम्टलिखिन टिप्पण घंत में जोड़ा जाएगा, सवात.
- टिप्पणः 177ईतएं चन्यभा सुर्थाहत भाम्पर्थियों को वेत्रा यें संव लोह सेवा आयोग के विवेतानुनार तिवित को जासकतो है।
- टिप्पण : 2 अनुभव संबंधी आहेता (आहंताएं) सेव लोक सेवा आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार प्रनुसूचिन जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यतियां को बशा में तब णियिल की जा सकती है जब चयन के किसी अक्षम पर संव लोक रोवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी की पह राय हैं कि उनके लिए आरक्षित रितितयों के। भरंग के तिर प्रातेत प्रदुरा रही हो सकते। उन समुदायों के आभ्यर्था पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते।

(7) स्तम्म 12 फ्रीर 13 के नीचे प्रविध्यियों हे स्थान वर कमश: निम्नलिखित ख्वा जाएगा, मर्थातु:---

सीधे भर्ती किये गए व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विवार करने के लिए:---

स्तम्भ 12: समूह "क" विश्वागांव जोल्नति समिति-

- (1) संयुक्त मचित्र, स्वास्थ्य ग्रोर परियार कल्याण मंत्रालय—मध्यक्ष
- (2) अपर महातिदेशक, स्वास्थ्य सेना महातिदेशालप---सवस्य
- टिप्पणः पुष्टि के लेवंदिन थिभागोर प्रोणलि तमिलि को कार्यवाहियां र्सव सोक लेवा यायोग के अनुवावतार्य भेजी कण्णनी किंद्र, यवि

उन्त भामोग उनका प्रतुमोवन तहीं करता है तो गितागोग प्रोक्सति समिति की बैठफ संव लोकसेवा प्रायोग के प्राज्यक्ष था किसी सदस्य की भ्राज्यक्षता में फिर से होगी।

स्तम्भ 13: सीधे भर्ती करते समय संघ जोक सेता श्रायोग से परामर्श करना भ्रायश्यक है।

टिप्पणः सुचय नियम स्वास्थ्य ग्रोर परिगर कन्त्राण मंत्रातय की 15-12-1965 की ग्राफिसूचना मंख्या पी-.19---32/65-एसए. के ग्रनुसार भारत के राजपत्र के आग″II. खंड 3(उपखंड (।) में सा.का.नि. संख्या विनांक को प्रकाशित किए गरे थे भौर वाद में उनका संशोधननहीं किया गया।

[सं. ए-11018/16/85-प्रारःप्रार/ईवोत्रःई (एन.एत.)] जी. जी. के. नागर, अंबर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health)

New Delhi, the 28th May, 1986

G.S.R. 452.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Research Institute, Kasauli (Factory Manager) Recruitment Rules, 1965, namely :---

- 1. (1) These rules may be called the Central Research Institute, Kasauli (Factory Manager) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Research Institute, Kasauli (Factory Manager) Recruitment Rules, 1965,----

- (i) for the entries under column 2, the following shall be substituted namely :---"1*(1986)
 - * Subject to variation dependent on workload";
- (ii) in the entries under column), for the words and figured "Class I Gazette", the word and letter "Group A" shall be substituted ;
- (iii) for the entries under column 4, the following shall be substituted, namely :---

"Rs. 700-40-900-EB-1100-50-1300";

(iv) for the entries under column 6, the following shall be substituted, namely :---

"Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

- Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep";
- (v) after column 6 and the entries thereunder, the following column 6a and entries shall be inserted, namely :---
 - "whether the benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
 - 6 (a)

No.";

- (vi) in the entries under column 7_{1} -
 - (a) in clause (ii) under the heading "Essential", the words "about" shall be omlited ;
 - (b) the following notes shall be added at the end namely :---

- "Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
- Note 2.—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them",
- (vii) for the entries under column 12 and 13, the following shall be respectively substituted, namely :---

Column 12 .-- "Group 'A' Departmental Promotion Committee-

For considering case of confirmation of direct recruits.

(1) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare---Chairman.

- (2) Additional Director General, Directorate General of Health Services—Member.
- (3) Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services—Member.
- Note.—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commissioner, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held".

Column 13.—"Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment."

Note.—The principal rules were published in Ministry of Health and Family Welfare Notification (No. G.S.R. P-19-32/65-MA duted 15th December, 1965) of the Gazette of India, 1965 Part II, Section 3, Sub-Section (i) pages and were not subsequently amended.

> [No. A-11018/16/85-RR/EPI (MS)] G. G. K. NAIR, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि झौर सहकारिता विभाग)

मई दिल्ली, 29 मई, 1986

सां०का०नि० 45 3——राष्ट्रपति, संविधान के भनुच्छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रबत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, ढॉफ मंत्रालय (कृषि ग्रीर सहकारिता विभाग) के केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, चण्डीगढ़ में ज्येष्ठ प्रशीतन योक्रिक (सपूह ''ग'') के पद पर भर्सी को पद्धति का त्रितियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, मर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस नियमों का संक्रिप्त माम केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, नग्डोगट म्येप्ड असीतत मांत्रिक (तसुह "ग") पर भतों नियमह

(3) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण भोर वेतनमान : उका पद की संख्या, उसका धर्गीकरण भौर वेतनमान बह होगा, जो इन नियमों से उगावज अनुमूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिधित्य हैं।

3. मर्ती की पद्धति, आयु सीमा, मईताएं आदि : उक्त पद पर मर्ती की पढति, आयु सीमा, मईताएं और उससे संबंधित मग्य वासें वे होंगी, जो पूर्वोक्त ग्रनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिधिष्ट हैं।

4 जिरहेताएँः बहुव्यक्ति—--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने म्रापने पति या अपनी पत्नी के अगेवित होते हुए किसी व्यक्ति मे यिवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्न नहीं होगा.—

परस्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भौर विवाह के प्रस्थ पक्षकार को खागू स्वीय शिधि के मधीन भनुक्वेय है भौर ऐसा करने के लिये अन्य साम्रार हैं, या वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : अहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना भावस्थक या समीचीन है, वहां थड़ उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबढ़ करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, ग्रावंग द्वारा शिथिन कर सकेगो।

6. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई भी बान ऐसे आरअगों, आयु सोमा में कूट और प्रत्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार डारा इस सैबंध में ममप-ममय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूबित आतियों, अनुसूबित अनजातियों और घ्रन्य विद्येय प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षिन है ।

अनुसूची

पद का नाम	पर्दो की संभया	वर्गीकरण -	क्षे व नगान	चयच पक्ष सथवा प्रत्रयन	सोप्रे मर्तां किये जाने वाले ध्यभितयों के लियें प्रायू-सीमा	रोवा में जोड़े गये वर्गों का फायवा केण्द्रीय सिनिल सेवा (पेंशन) गियम, 1972 के नियम 30 के सधीन प्रतुबे। है या नहीं।
1	2	5	4	5	6	6F
क्येष्ठ प्रज्ञीतन यांत्रिक	।* *≁ार्वभार के घाषार पर	साधारण केन्द्रीम स्तरा समूह ''स ग्रराजपत्निल	330-10-330 द०रो०-12-55 द०रो०-15-5	10-	। असे 25 वर्ष (केन्द्रीन सरकार द्वारा आरों किसे अनुदेशों या भादेगों के प्रतनार स	

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24. 1908

[PART II-SEC3(i)]

1	3	3	4	5.		в	64
					 क/री कर्मभारियों	के लिये 35 वर्ष	
	किया जा	4			শক লিখিব চা	अत्तम्बातनों तै)	
	सकता है ।				दिष्पगः प्राय् सीमा		;
						ताराख भारत मे	
					प्रम्यर्थियों से (उनसे मिन्न जो गंग	
						। बार द्वीप समूद् श्रो	
						भ्रावेदन पार्क्त कर	
						ो गयो मंसिम तारी	
					होगी ।		
					•	य के माध्यम	से
					नियुक्ति के मा	मने में भाषु सीम	г
					-	के लिये निर्णायक	
					सारीख, वह झॉल	तम तारीख होगी	
					-	। र कार्यालयों को	
					नाम मेजने के लि	मे कहा जाता है।	
<u></u>			· • •				<u>+</u>
सीधें भर्ती किये जाने वाले भहेताएँ	ा व्यक्तियों के लिये मौक्षि	क और अन्य		ये जाने वाले व्यक्तिय सैक्षिक प्रहंताएं प्रोप	ों के सिये विहिन परिशे गतिकी दशा में	आ कें नगे गोर	TT 213
- · ·			लागू होंगी				
	7			8			
• ग्रानिथार्थः		,,,,,,,		मायुः मही		2 वर्षे	
(1) मैट्रिकुलेशन य							
, , <i>,</i>	ही में झौसोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का झनुभव	ग संस्थान से प्रमा		रेक्षिक मर्हता : हा			
(3) प्रशीतन एकक टिप्पण : (1) (2)	ही में मोबोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं प्रन्थया सुधहि रूछ्यदा करने हिथि मनुमूब संबंधी प्रत मनुसूचित जनजातियों (हैं) जबकि चयन ने	इत मन्धर्थियों क स की जा सकर हेता (महेताप के मन्धर्थियों के किसी प्रक्रम	ण-पस्न की दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मासले में इ पर कर्मचारी अभ	गरी जपन मायोग चयन मायोग/सक मके लिये जो का। पन ग्रायोग/सक्षम प्र	सक्षम प्राधिकारों के विवे सि प्राधिकारी के विवे एग हैं उन्हें लेखबढ़ करने गीडिफारी की यह राय संख्या में उपतब्ध गहीं	बेबेकानुपार अनुपु के उस बसा में दि है कि इनके घार	जित पाक्षियों सोर गथिल की जासकती है
(3) प्रश्नोत्तन एकक टिप्पण : (1) (2)	ही में मोबोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं मन्यथा सुधरि रुष्ट्रबट बर्ग्से शिषि मनुमुव संबंधी मन मनुमूचित जनजातियों (हैं) जबकि चयन वे के लिये मपेक्षित अनु	इत मन्धर्थियों क ल की जा सकर हेता (महेंताप के मन्धर्थियों के मन्धर्थियों के किसी प्रक्रम (भव रखने वाले	ण-पस्न की दशा में कर्मन ती है। () कर्मचारी के मासले में इ पर कर्मचारी ज्य ा इस समुदायों ब	गरी चपन घायोग/सक बयन घायोग/सक सके लिये जो काप पन घायोग/सक्षम प्र के घम्पर्थी पर्याप्त	म प्राधिकारी के एग हैं उन्हें लेखबढ़ कर लिक्सारी की यह राय संख्या में उपतन्व गहीं	बेवेकातुपार सनुगु हे उस वसा में हि हे कि इनके मार्र हो सर्केंगे।.	वित्त तातिगं सोर ाथिल की जासकती है अन्त रिक्तियों को सरने
(3) प्रशीतन एकक टिप्पण : (1) (2)	ही में मोथोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं प्रन्यथा सुधरि रूष्ट्रबट करने हिथि मनुमूब संबंधी मा मनुमूबित जनजातियों (हैं) जबकि चयन ने के लिये मपेक्षित अनु ोघे होगी या प्रोक्षति	हत सभ्याधियों क ल की जा सकत हेता (महेताप के सभ्याधियों के सभी प्रकम भव रखने वाले बारा या प्रतिनि	ण-पन्न ती दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मामले में इ पर कर्मथारी व पर कर्मथारी व प्रम समुदायों व प्युक्ति/स्थानान्तरण	वारी जपन मायोग वयन मायोग/सक सके लिये जो काग गन मायोग/सक्षम प्र के म्राम्यर्थी पर्याप्त ा द्वारा प्रोन्नति	म प्राधिकारी के । रण हैं उन्हें लेखबढ़ करने गीक्रफारी की यह राय :	बेवेकानुपार सनुगु 5 उस बसा में दि ही क इनके प्रार ही सकेंगे। द्वारा भर्ती को	[वा पालिगें सोर गथिल की जासकती है केत रिक्तियों को भरने
(3) प्रश्नीतन एकक टिप्पण : (1) (2) मर्ती की पटनि/भर्ती सं	ही में मोथोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं प्रन्यथा सुधरि रूष्ट्रबट करने हिथि मनुमूब संबंधी मा मनुमूबित जनजातियों (हैं) जबकि चयन ने के लिये मपेक्षित अनु ोघे होगी या प्रोक्षति	इत मन्धर्थियों क ल की जा सकर हेता (महेंताप के मन्धर्थियों के मन्धर्थियों के किसी प्रक्रम भव रखने वाले वारा या प्रतिसि ो रिक्तियों की	ण-पन्न ती दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मामले में इ पर कर्मथारी व पर कर्मथारी व प्रम समुदायों व प्युक्ति/स्थानान्तरण	वारी जपन मायोग वयन मायोग/सक सके लिये जो काग गन मायोग/सक्षम प्र के म्राम्यर्थी पर्याप्त ा द्वारा प्रोन्नति	म प्राधिकारी के । एण हैं उन्हें लेखबढ़ करने तकिकारी की यह राय संख्या में उपतन्त्र गहों 	बेवेकानुपार सनुगु 5 उस बसा में दि ही क इनके प्रार ही सकेंगे। द्वारा भर्ती को	[वा पातिग्रं सोर गथिल की जासकती है केत रिक्तियों को गरने
(3) प्रशीतन एकक टिप्पण : (1) (2) मर्ती की पटनि/भर्सी सं रूषा विभिन्न पद्धतियों	ही में मोथोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं मन्यथा सुधरि रूछदद्द बर्फ, हिषि मनुभव संबंधी मा मनुभूषित जनजातियों (हैं) जबकि चयन वे के लिये मपेक्षित अन् ोधे होगी या प्रोक्षति द्वारा भरी जाने वार्स	हत मन्धर्थियों क ल की जा सकर हेता (महेताप के मन्धर्थियों के मन्धर्थियों के किसी प्रकम भिव रखने वाले वारा या प्रतिमि ो रिक्तियों की	ण-पन्न ती दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मामले में इ पर कर्मथारी व पर कर्मथारी व प्रम समुदायों व प्युक्ति/स्थानान्तरण	वारी जपन मायोग, वयन मायोग,सक सके लिये जो काग पन प्रायोग/सक्षम प्र के म्राम्यर्थी पर्याप्त इरारा प्रीफाति जिन् ऐसे प्रा	म प्राधिकारी के रण हैं उन्हें लेखबढ कर तिषक्षारी की यह राय संख्या में उपतब्ध नहीं /प्रतिनियुक्ति/स्यानान्तरण रसे प्रोफ्रति/प्रतिनियुक्ति/स	बवेकातुपार सनुगु हे उस वसा में हि हे कि इनके घार हो सकेंगे।. बारा भर्ती को पातास्तरण किया मेन्नलि जिल्होंने उ	वित्त पारिग्रें सोर ाथिल की जासकती है क्षेत रिक्तियों को गरने इ.स. में वे श्रीणियां जामेगा।
(3) प्रश्नीतन एकक टिप्पण : (1) (2) मर्ती की पटनि/भर्ती सं	ही में मोथोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं मन्यया सुभरि रूष्ट्रबट करने शिषि मनुमूब संबंधी मा मनुमूषित जनजातियों (हैं) जबकि चयन वे के लिये मपेक्षित अनु ोये होगी या प्रोप्तति द्वारा भरी जाने वार्स 10 होने पर सीधी भर्ती	हत मन्धर्थियों क स की जा सकर हेता (महेताप के मन्धर्थियों के किसी प्रकम भव रखने वाले वारा या प्रतिसि ो रिक्तियों की)	ण-पन्न ती दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मामले में इ पर कर्मथारी व पर कर्मथारी व प्रम समुदायों व प्युक्ति/स्थानान्तरण	वारी जपन भाषोग, वयन भाषोग/सक सके लिये जो काप न प्रायोग/सक्षम प्र के मर्म्सर्थी पर्याप्त ह प्रारा प्रोन्नति जिन् ऐसे प्रा से	म प्राधिकारी के रण हैं उन्हें लेखबढ करने तकिफारी की यह राय संख्या में उपतब्ध नहीं /प्रतिनियुक्ति/स्पानास्तरण /प्रतिनियुक्ति/स्पतिन्युक्ति/स प्रति प्रोफ्रति/प्रतिनियुक्ति/स 11 गितन बांत्रिकी में से कम 5 वर्ष सेवा की रने में किन परिस्थितिये	वेषेकानुपार सनुगु के उस वसा में सि हे कि इनके घार हो सर्केंगे।. बारा भर्ती को पातास्तरण किया मिन्नलि जिल्होंने उ हे ।	लित ता?तर्गसो र ोथिल की जासकती है केत रिक्तियों को गरने इ.स. में वे श्रीणि वा जायेगा।
 (3) प्रशीतन एकक टिप्पण : (1) (2) मर्ती की पटल/भर्ती सं रूषा विभिन्न पद्धतियों नोक्षति ढारा जिसके न 	ही में मोथोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं मन्यया सुभरि रूष्ट्रबट करने शिषि मनुमूब संबंधी मा मनुमूषित जनजातियों (हैं) जबकि चयन वे के लिये मपेक्षित अनु ोये होगी या प्रोप्तति द्वारा भरी जाने वार्स 10 होने पर सीधी भर्ती	हत मन्धर्थियों क स की जा सकर हेता (महेताप के मन्धर्थियों के किसी प्रकम भव रखने वाले वारा या प्रतिसि ो रिक्तियों की)	ण-पन्न ती दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मामले में इ पर कर्मथारी व पर कर्मथारी व प्रम समुदायों व प्युक्ति/स्थानान्तरण	गरी चथन मायोग/सक सके लिये जो काप वन प्रायोग/सक्षम प्र के म्राम्पर्थी पर्याप्त ह द्वारा प्रीन्नति हेसे प्रा हेसे प्रा से मर्ती क	म प्राधिकारी के रण हैं उन्हें लेखबढ करने तकिफारी की यह राय संख्या में उपतब्ध नहीं /प्रतिनियुक्ति/स्पानास्तरण /प्रतिनियुक्ति/स्पतिन्युक्ति/स प्रति प्रोफ्रति/प्रतिनियुक्ति/स 11 गितन बांत्रिकी में से कम 5 वर्ष सेवा की रने में किन परिस्थितिये	विकेतनुपार सनुगु के उस वसा में मि हे कि इनके मार हो सकेंगे।. बारा भर्ती को पातास्तरण किया मेत्रलि जिल्होंने च हे। में संघ लोक पे	वित्त तातिगें सोर ाथिल की जासकती है केत रिक्तियों को सरने दगा में वे श्रीणित्रा जायेगा। अस स्त्रेणी में कम से बा प्रत्योग से करन्ता
(3) प्रशीतन एकक टिप्पण : (1) (2) मर्ती की पटलि/मर्सी सं रूपा विभिन्न पद्धतियों गेक्षति ढारा जिसके न यदि विभागीय प्रोक्षति समि	हो में मोथोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं मन्यया सुप्रहि रूष्ट्रव्य करने शिषि मनुमव संबंधी मा मनुमूषित जनजातियों (हैं) जबकि चयन वे के लिये मपेक्षिल अनु ोये होगी या प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वार्स 10 होने पर सीधी मर्ती समिति है तो उसकी 12 ते समूह "स"	हत मन्धर्थियों क स की जा सकर हेता (महेताप के मन्धर्थियों के किसी प्रकम भव रखने वाले वारा या प्रतिसि ो रिक्तियों की)	ण-पन्न ती दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मामले में इ पर कर्मथारी व पर कर्मथारी व प्रम समुदायों व प्युक्ति/स्थानान्तरण	गरी चथन मायोग/सक सके लिये जो काप वन प्रायोग/सक्षम प्र के म्राम्पर्थी पर्याप्त ह द्वारा प्रीन्नति हेसे प्रा हेसे प्रा से मर्ती क	म प्राधिकारी के रण हैं उन्हें लेखबढ़ करने तकिभारी की यह राय संख्या में उपतन्व गहों /प्रतिनियुक्ति/स्यानास्तरण से प्रोफ्रति/प्रतिनियुक्ति/स 11 गीतन यांक्रिकी में से प्र कम 5 वर्ष सेवा की रने में किन परिस्थिसिये नायेगा	वेषेकानुपार सनुगु के उस वसा में सि हे कि इनके घार हो सर्केंगे।. बारा भर्ती को पातास्तरण किया मिन्नलि जिल्होंने उ हे ।	वित्त तातिगें सोर ाथिल की जासकती है केत रिक्तियों को सरने दगा में वे श्रीणित्रा जायेगा। अस स्त्रेणी में कम से बा प्रायोग से करन्ता
(3) प्रशीतन एकक टिप्पण : (1) (2) मर्ती की पट्टनि/मर्सी सं रूपा विभिन्न पद्धतियों नोन्नति ढारा जिसके न यदि विभागीय प्रोन्नति मर्वि विभागीय प्रोन्नति सर्ग्सा 1. निवेभक	हो में मोथोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं मन्यया सुभरि रूष्ट्रव्य करने शिषि मनुमव संबंधी मा मनुमूषित जनजातियों (हैं) जबकि चयन वे के लिये मपेक्षिल अनु ोधे होगी या प्रोप्तति द्वारा भरी जाने वार्स ा समिति है तो उसकी 12 ते समूह "भ" न	हत मन्धर्थियों क स की जा सकर हेता (महेताप के मन्धर्थियों के किसी प्रकम भव रखने वाले वारा या प्रतिसि ो रिक्तियों की)	ण-पन्न ती दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मामले में इ पर कर्मथारी व पर कर्मथारी व प्रम समुदायों व प्युक्ति/स्थानान्तरण	गरी चथन मायोग/सक सके लिये जो काप वन प्रायोग/सक्षम प्र के म्राम्पर्थी पर्याप्त ह द्वारा प्रीन्नति हेसे प्रा हेसे प्रा से मर्ती क	म प्राधिकारी के रण हैं उन्हें लेखबढ़ करने तकिशारी की यह राय संख्या में उपतन्य नहीं /प्रतिनियुक्ति/स्थानास्तरण तसे प्रोफ्नति/प्रतिनियुक्ति/स 11 गितन बांब्रिकी में से प्र कम 5 वर्ष सेवा की रने में किन परिस्थितिये तायेगा	विकेतनुपार सनुगु के उस वसा में मि हे कि इनके मार हो सकेंगे।. बारा भर्ती को पातास्तरण किया मेत्रलि जिल्होंने च हे। में संघ लोक पे	वित्त पाक्षि से सोर ाथिल की जासकती है केत रिक्तियों को भरने दगा में वे औणि पा जायेगा। अस कोणो में कम से बा प्रायोग से करन्ता
(3) प्रशीतन एकक टिप्पण : (1) (2) मर्ती की पटनि/भर्ती सं राथा विभिन्न पद्धतियों 	हो में मोथोगिक प्रशिक्षण का 5 वर्ष का मनुभव महंताएं मन्यया सुभरि रूष्ट्रव्य करने शिषि मनुमव संबंधी मा मनुमूषित जनजातियों (हैं) जबकि चयन वे के लिये मपेक्षिल अनु ोधे होगी या प्रोप्तति द्वारा भरी जाने वार्स ा समिति है तो उसकी 12 ते समूह "भ" न	हत मन्धर्थियों क ल की जा सकर हैता (महेताप के मन्धर्थियों के मन्धर्थियों के किसी प्रकम भिव रखने वाले वारा या प्रतिमि दिक्तियों की दिक्तियों की दिक्तियों की	ण-पन्न ती दशा में कर्मग ती है। () कर्मचारी के मामले में इ पर कर्मथारी व पर कर्मथारी व प्रम समुदायों व प्युक्ति/स्थानान्तरण	गरी चथन मायोग/सक सके लिये जो काप वन प्रायोग/सक्षम प्र के म्राम्पर्थी पर्याप्त ह द्वारा प्रीन्नति हेसे प्रा हेसे प्रा से मर्ती क	म प्राधिकारी के रण हैं उन्हें लेखबढ़ करने तकिशारी की यह राय संख्या में उपतन्य नहीं /प्रतिनियुक्ति/स्थानास्तरण तसे प्रोफ्नति/प्रतिनियुक्ति/स 11 गितन बांब्रिकी में से प्र कम 5 वर्ष सेवा की रने में किन परिस्थितिये तायेगा	विकेतनुपार सनुगु के उस वसा में मि हे कि इनके मार हो सकेंगे।. बारा भर्ती को पातास्तरण किया मेत्रलि जिल्होंने च हे। में संघ लोक पे	वित्त तातिगें सोर ाथिल की जासकती है केत रिक्तियों को सरने दगा में वे श्रीणित्रा जायेगा। अस स्त्रेणी में कम से बा प्रायोग से करन्ता

[सं० 44-8/85-ए र० डो० - 2] एसभ्यो॰ वर्षा, प्रवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 29th May, 1986

G.S.R. 453.--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Refrigeration Mechanic (Group C) Central Poultry Breeding Farm, Chandigarh under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :--

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Poultry Breeding Farm, Chandigarh, Senior Refrigeration Mechanic Group 'C' post Recruitment Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

- Name of pest
- 2. Number of post
- 3. Classification
- 4. Scale of pay
- 5. Whether selection post or non-selection post.
- 6. Agalimit for direct recruits.

- 6.a. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension), Rules, 1972.
- 7. Education and other gradifications required for direct recruits.

- Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the user of promoters.
- 9. Period of probation, if any.

4. Disqualification .- No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person naving a Spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, it satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for as doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Exservicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Senior Refrigeration Mechanic

- One (subject to variation dependent on workload)
- General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
- Rs. 330-10-380 EB-12-500-EB-15-560. Non-selection.
- 18-25 years (Rolaxable up to 35 years in respect of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
- Note :- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than these in Andaman and Nicobar Islands and Lakshedweep)
- (2) In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit should be last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. No.

Ess ntial ;

(i) Matricultation or equivalent;

(ii) I.T.I. Certificate in Refrigeration Mechanic.

(iii) 5 years experience of r.friggration unit.

- Note :--1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise found suitable.
- (2) The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to the Sch duled Castes/ Scheduled Tribes if any stage of selection the staff selection Commission/Competent authority for reasons to be recorded in writing, is of the opinion that sufficient number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Age-No

- Educational Qualification-Yes.
- 2 years.

- Method of recruitment whether by director by promotion or by deputation/transf.r and p.rechtag: of vacancies to b: alled by various methods.
- In case of r craims in by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
- Circunstances in which Union Public Sorvice Commission is to be consulted in making recruitment.

नई दिल्ती, 30 मई, 1986

गा.का नि. 454---रान्ट्रपनि, मंगित्रान के प्रनुख्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त वाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केम्द्रीय तटीव मारस्यकी इंजीनियरी संस्थान, समूह "क" उपनिदेशक (जलवर) मर्ती नियम, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्नलिजित नियम बनाते हैं, जर्थातः----

 (1) इन नियमों का नाम केन्द्रोय तटीय मास्स्यकी इंजोनियरी संख्यान, राम्हू "क" उपतिदेशक (जल बर) भर्ती (संकोधन) नियम, 1986 उँ।

(2) ये राजपन्न में प्रकाणन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय तटीय मात्स्यकी इंजीनियरी संस्थान, समूह "क" उपनिदेशक (जलसर) भर्ती नियम, 1985 की प्रनुसूची में स्तम्भ 7 में टिप्पण 2 के पश्चाक्ष निम्नलिखित प्रतिष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:---

"बांछनीय समुद्री जीव विज्ञान या मरस्य विज्ञान में पी.एम.बी. डिग्री"

[सं. 4-17/83-मारस्यकी (प्रशा.)]

्रस. बालाकृष्णन, प्रवर सजिव

मोट: मुख्य नियम भारत के राजपक्ष में सा.का.नि. संख्या 1097 तारीख 16-11-85 के तहत पृष्ठ 2791 से 2793 में प्रकाशित हुए थे।

भानव संसाधन विकास मंत्रालय

(गिक्षा विमाग)

नई विल्लो, 8 मई, 1986

सा.का.नि, 455-----संविधान के छनुछेक्द 309 के उपबन्धों दारा प्रवस मक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति शिक्षा विभाग, यूनेस्कों में भारत के रूप-रूपायी प्रतिनिधि नियमावली 1979 जो तत्कालिन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग)द्वारा ग्राधिसूचिस की गई थी, और भारत के राजपल में सा.का.नि.संख्या 1087 दिर्माक 25 इ.गस्त 1979 के अंतर्गत प्रकाश्वित की गई थी, को एतद्वारा तत्काल रवृद करने हैं

2. ऐसे निरसन के बावजूद इस प्रकार रद्द किए गए नियमों के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रधाई उन नियमों के तवमुरूपी उपबग्धों के अंतर्गत की हुई समझी जाएगी।

[ti, 41-4/82-t-1]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 8th May, 1986

G.S.R. 455.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds with immediate effect the Department of Education, Deputy Permanent Representative of India to By promotion failing which by direct recruitment.

Promotion from Refrig. ration M. chanic with minimum S years experience in the grade

Departmental Promotion Committee Group 'C'

- 1. Director-Chairman.
- 2. A Gazetted Officer- Member -
- 3. An outside Guzetted Officer Member Not applicable

[No. 41-8/85-L.D. II] S. P. VERMA, Under S cy.

New Delhi, the 30th May, 1986

G.S.R. 454.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Group 'A' Deputy Director (Aquaculture) Recruitment Rules, 1985, namely :—

- 1. (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Group 'A' Deputy Director (Aquaculture) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Group 'A' Deputy Director (Aquaculture) Recruitment Rules, 1985, in Column 7 after 'Note 2 :', the following entry shall be added, namely :---

"Desirable.—Ph. D. degree in Marine Biology or Fisheries Science".

> [No. 4-17]83 Fy(Adm.)] S. BALAKRISHNAN, Under Secy.

NOTE.—The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 1097 dated 16-11-85 at pages 2791, to 2793.

Unseco Pecruitment Rules, 1979, notified by the erstwhile Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) and published in the Gazette of India under GSR No. 1087 dated the 25th August, 1979.

2. Notwithstanding such rescission, anything done or any action taken under the rules so rescinded, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those rules.

[No. F. 41-4/82-E. I]

नई दिल्गो, 13 मई 1986

सा.का.नि. 456---संविधान के अनुछेच्व 309 के उपबन्धों में प्रदक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा शिक्षा और संस-इति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) सहायक शिक्षा सलाहकार (संस्कृत) भर्सी नियमाबली 1984 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बमाते है, प्रथात :---

- (1) इन नियमों को शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) सप्तायक शिक्षा मलाहकार (संस्कृत संगोधन) नियमाबली, 1986 कहा जाए।
- (2) ये नियम सरकारी राजपक्ष में छपने की तारीस से लागू होने।

 शिक्षा सथा संस्कृति प्मंत्राभथ (शिक्षाविभाग) सहायका शिक्षा सलाह-कार (संस्कृत) भर्ती नियमावली, 1984 की धनुसूची में कालम 6(क) को प्रविध्टि के स्मान पर निम्नलिखित प्रविध्टि पही जाए,

मर्थात् :---

''हो, केवल मीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए ।''

[सं.ए-12011/6/83 ई.-1]

सुदर्शन लाल टक्कर, श्रुवर सचिव

टिप्पणी:मुख्य नियभ भारत के राजपत्न विनांक 20-10-1984 मे मा. का.नि. 925 पृष्ठ 4120 से 4121 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 13th May, 1986

G.S.R. 456.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend, the Ministry of Education and Culture (Department of Educa-

tion) Assistant Educational Adviser (Sanskrit) Recruitment Rules, 1984, namely :---

- (1) These rules may be called the Ministry of Education and Culture (Department of Education), Assistant Educational Adviser (Sanskrit) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Education and Culture (Department of Education), Assistant Educational Adviser (Sanskrit) Recruitment Rules, 1984 for the entry under Column 6(a) the following entry shall be substituted, namely :---

"Yes, for direct recruits only".

[No. A-12011/6/83-E. I] S. L. TAKKAR, Under Secy.

Note.—The Principal rules were published in Gazette of India dated 20-10-84 under G.S.R. No. 925 at pages 4120 to 4121.

नई विल्सी, 27 मई, 1986

मा.का.नि. 457 .---संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों में प्रदक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409 दिनांक 8 मई, 1958 में प्रकाशित शिक्षा मंद्रालय श्रेणी II (अराजपत्रित) और श्रेणी III पदों के मर्ती नियमों, जहां तक उनका विक्री सहायक के पद से सम्बंध है, का भ्रधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किए गए भ्रथवा किए जाने के लिए छोड़े गए मुझे के भ्रलावा, राप्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में विक्री सहायता के पद की भर्ती की प्रणाली को विनियमित करने के लिए एतदुधारा निम्नलिखित नियम बभासे हैं, अर्थात्त :---

ा. लघु शीर्घक और भारम्भ होनाः — (1) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विक्षा विभाग) विकी सहायक भर्ती नियमावली, 1986 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्न में छपने की सारीख से लागू होंगे

2. प्रयक्ति :--- ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम (1) में निर्दिष्ट पद पर लाग होंगे।

 अंख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— अक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतनमाम वही होंगे जो इस नियमावली की अनुसुची के कालम 2 से 4 में यथा विमविष्ट हैं।

4. भर्ती हो नहां में, शानुनामा तथा सभ्य योग्यताएँ प्राविः -- उक्त पदो में मर्वे भर्ने भर्ती प्रणाणे, आपू मोमा, योग्यताएँ प्रौर इससे सम्बद्ध ध्रत्व बातें

वहां होगी, जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में यथानिर्विष्ट हैं।

ग्रयोग्यताएं :--- कोई भी ऐसा व्यक्ति,---

- (क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह भाषवा विवाह का अनुबन्ध करना है, जिसकी परनी अथवा पनि जोशित हा, अथवा
- (ख) जो पति/पक्षी के जीविन रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से जिवाह ग्राथवा विवाह का श्रनुबन्ध करता है, उपन पर नियक्त के लिए पाल नहीं होगा :

बधर्से कि केन्द्रीय सण्कार इस बात से संतुष्ट हो कि शिवाह छनुमन्य है और ऐसा करने के झन्य झाधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छट दे सकती है ।

6. छुट देने की शक्ति :----जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना धावश्यक तथा उचित है तो वह घादेश द्वारा लिखित कप में कारणों को दर्ज करने हुए तथा संघ लोक सेवा धायोग के परामर्थ से किसी भी श्रेणी ध्रथवा वर्ग के व्यक्तियों ध्रथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

7. प्रतिबच्ध .----इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ढारा समय-समय पर जारी किए गए आदेणों के झनुसार झनुसूचित जाति, झनुसूचित जन जाति, झूसपूर्व सेनिकों और ग्रन्थ विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले झारक्षणों और रियायसों पर इस नियमों का कोई प्रभाव नही पढ़ेगा । 310 GT/85 --1 :

		q	नुसूथी	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण वेतनमान	क्या प्रवरण पद है मथवा गैर-प्रवरण पद है	क्या केन्द्रीय सिविक्ष सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गंत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ।
1	2	3	4 5	6
वि को सहायक	।* (1986) *कार्यभार के धनुसार परिवर्तन किया जा सकता है ।	वर्ग 'ग' ग्रराजपत्निस 550–2 गैर-लिपिकीय 25 - 75	0—650— लागू नहीं होतो 0 रु.	लागू नहीं होता
 सीधी भर्ती वाले उम्मीर	ध्वारों के लिए ग्रायु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए गौक्षिक तथा मन्य मपेक्षित मर्हताएं	क्या सीधी मर्ती वाले उम्मीववारों के लिए निर्धारित ब्रामु सषा योग्यताएं पवोंझति वाले उम्मीववारों पर भी कागू होंगी ।	 परिवीक्षा की स्रवधि, यदि कोई हो ।
7		8	9	10
जारी किए गए मा	व (केन्द्रीय सरकार द्वारा देशों मथया मनुदेशों के र्मचारियों के लिए 5 वर्ष जा सकती है)	ग्रनिवार्यः (1) किसी मान्यता प्राप्त विषवविष से डिग्री क्रथवा इर समकक्षा	लागू नहीं होता याल गके	2 वर्ष
टिप्पणी : ग्रायु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में भारत के उम्मीदवारों के ग्रावेदन पत्न प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (अंदमान तथा निको- बार द्वीपससूह और क्षक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों को छोड़)		(2) सरकारी विभाग या प्रतिष्टि सार्वजनिक उद्यम में विक्री 5 वर्ष का प्रनुभव । बाछनीय : बुक-कीपिंग और लेखा-विधि का ज्ञान । टिप्पणीं : 1 यदि उम्मीदेवार प्रत्यपा ग्रहंक हो तो स्टाफ चयन ग्रायोग के विवेक पर प्र में ढील दी जा सकती है । टिप्पणी :2. यदि चयन के कि मी स्तर पर स्टाफ चयन भ्राय की यह राय हो कि ग्रनुसूचि जातियों तथा घनमचित ज	का ईंगाओं सी गेग रत	
		जातियों तथा मनुभूचिस ज जातियों के भ्रपेक्षित ग्रहेत रखने वाले उम्मीदवार भारदि रिक्तियों को भरने के लि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना है तो इन उम्मीदवारों की ग्रनुभव सम्बन्धी श्रहेताओं स्टाफ चयन ग्रायोग के विषे पर छूट दी जा सकती है	ाए ति ए री में क	

[भाग IIखण्ड 3(i)]	भरित को रोजपत्न:जूम	1329		
प्रतिनियुनित अथवा स्थानान्तरण ढारा तथा	यदि पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या यदि कोई विभागीय पदोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो विद्यमान है तो उसकी संरचन वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रति- है । नियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है ।			
11	12	13	* 14	
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ग्रन्थथा सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानास्तरण : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष तफ कार्य किया हो ग्राथवा ध्रधिकारी जिन्होंने 425700 र, के बेतनमान में पांच वर्ष तक कार्य किया हो ग्राथवा इसके समकअ, जिनके पास माग्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय की डिपी हो तथा बिश्री और लेखा मामलों में ग्रनुभव प्राप्त हो । (उसी इंसगठन/विभाग में इस ति- युक्ति से पूर्व भ्रन्य पद पर प्रति- नियुक्ति की भ्रवधि सहित, प्रति- नियुक्ति की भ्रवधि सामान्यत: 3 वर्ष से ग्राधिक नहीं होगी) ।		लागू नहीं होता ।	

. .

पाद टिप्पणी : बिकी सहायक के पंद के भवों नियम भारत के राजपत्न में सा.का.नि. 409, दिनांक 9 मई, 1958 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये थे।

New Delhi, the 27th May, 1986

.....

G.S.R. 457 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of recruitment rules to the Class II(non-Gazetted) and Class III posts in Ministry of Education published in the Notifica-tion Number GSR 409 dated the 9th May, 1958 in so far as they relate to the post of Sales Assistant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sales Assistant in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), namely :-

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development (De-partment of Education) Sales Assistant Recruitment Rules, 1986. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .- These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.-The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be a_8 specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

4. Method of recruitment age limit and qualifications etc.-The method of recruitment, age limt, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

[स.ए-12034/1/85-स्था.-II (माग/II)]

के, एस, चावला, ग्रवर सचिव

- 5. Disqualification .--- No person.
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a mariage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax .-- Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedinet so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consu-Itation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

Name of post	No. of posts	Classifica- tion	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Whother benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972.	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Sales Assistant	One (1986)*	Group C, Non-	Rs.550-20- 650-25-750	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years (Rolaxable for Govern-	Essential : (i) A Degree of a re-

SCHEDULE

THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1908

1 2	3	4 5	6 7	8
*Sul vari depa	gazetted, bject to non- iation ministerial endent work	d,	6 7 ment servants upto 5 years in accordance with the instruction or order. issued by the Central Government.) NoteThe crucial date for determining the age limit shall be the closing "ate for receipt of appli- cations from candidate in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweet	cognised University or equivalent (ii) Five years Sale exporience in a Government Depa ment or reputable public concern. DesirableKnowledgo of book keeping and accountancy. Note 1 : Qualification are relaxable at the

Whether ago and educational quali- fications preseri- ord for direct recruits will apply in the case of promotees.	if any	Method of recruit- ment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or trans- for and percentage of the vacancies to be filled by various methods	grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not ap licablo	2 years		Transfer on deputation : Assistants of Central Secrotariato Service with five years' service in the grade or officers with five years' service in the scale of Rs. 425-700 or equivalent, possessing a Degree of a recognised Uni- versity and having experience of sales and accounts matters.	Not applicable	Not applicable

भोरत को राजपन्न:जून 14, 1986/ज्येष्ठ 24, 1908

9	10	. 11	12	13	14
			(The period of deputation inclu- ding period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same Organisation/Depart ment shall ordinarily not exceed 3 years).	1 7 -	

[No. A. 12034]1[85-E.II(Part VII)] K. L. CHAWLA, Under Secv.

Footnote.-- The recruitment rules for the post of Sales Assistant were published in Gazette of India under G.S.R. No. 409 dated the 9th May, 1958.

जल संसाधन मंत्रालय

नई विल्ली, 12 मार्च, 1986

मा.का.नि. 458.—राष्ट्रपति, संविधान के प्रनुच्छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रवस मलितयों का प्रयोग करने हुए और केम्द्रीय जल आयोग धौर विश्वत आयोग पुस्तकालय (वर्ग 2 और वर्ग 3 पद) भर्सी नियम, 1973 को, उन बातों के मिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐमे अधिकमण मे पहले किया गया है या करने का नोप किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग में पुस्तकालायाध्यक्ष के पद पर भर्सी की पतुनि का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थास् '---

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :---(1) इन नियमों का संक्रिप्त नॉम केन्द्रीय जल ग्रायोग, पुन्तकालय (ग्रराजपत्रित समुह "ख") पद भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रयुत्त होगे।

2. पर संख्या, वर्गीकरण और वेशनमान :--- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके वेशनमान वे होंगे जो इससे उपावदा अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिद्रिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, ग्रामु मीमा, घहुंताएं भ्रादि :--- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, श्रायु मीमा, ग्रहंताएं भ्रीर उसमें संबंधित अत्य बानें वे होंगी जो उक्स अनुसुची के स्तम्भ 5 से 13 में विभिदिष्ट हैं।

4. निरईताएं :--- बह व्यक्त----

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पनि या जिसकी पण्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पन्नी के जीविन होने हुए कियी व्यक्ति में विवोत् किया है,

उक्त पद पर नियक्ति का पाल नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के भक्षीम अन्होय है और ऐसा करने के लिए अन्य श्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति :----जहां केन्द्रीय भरकार की यह राय है कि ऐसा करना धावव्यक या समीचीन है,वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उग्हें लेखबद करके तथा संघ लोक सेवा धायोग से परामर्ण करके, इन नियमों के किसी उपबस्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :---इन नियमों को कोई वात, ऐसे भारकणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाष नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर तिकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित आसियों, अनुसूचित जनभानियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

			त्रम् स् ची		
पद का नॉम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पर ग्रथवा श्रचयन पर	मीधे भर्सी किए जाने पाले व्यक्तियों लिए प्रायु मोमा
1	2	3 .	4	5	(j
पुस्सकालयाध्यक्ष श्रेणी-I	2* (1986) **कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्त न किया जा मकसा है	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ख') ग्रराजपक्षित, ग्रनभुसचिवीय	5 ३०-25-750-इ.रो 30-900 ম.	म प्रन	30 वर्ष में प्रधिक नहों। (केन्ग्रीय सरकार डागा ज रो किए गए अनुदेशों या पादेशों के धनुसार सरकारी मेंबकों के लिए 5 गी तक जिथित की जा सकती है।) प्रिंग. प्रापु सीना प्रवधारित करने के लिए निर्गायक नारोख, भारन ने में रह रहे अभ्यपियों से (उनसे भिक्ष जो प्रंड- सान ग्रीर निकोबार द्वीप तथा लक्षडीय में हैं) ग्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियस की यह अस्तिम नारोख होगी।

.

नीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए गैक्षिक ग्रौर प्रस्य ग्रहेताएं	' सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित प्रायु प्रोर शैक्षिक प्रईताएं पौक्षम व्यक्तियों की दणा में प्रायु होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा को भवभि, यदि काई ह
7	8	9
भावभ्यकः (i) फिसी मान्यता प्राप्त विश्वविश्वालय से विभाग में स्तालक डिग्री या समतुत्य। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था या समतुत्य से पुरत्- कालय विभान से डिग्री या समतुख्य डिप्लोमा। (iii) किसी प्रतिष्ठित पुरनकालय में किसी उत्तरदायी हैमियन में 2 वर्षका ग्रनुभव।	मायुः नहीं गैंझिक ब्रहिताएं : नहीं : परन्तु उसके पास कम से कम स्नातक ब और नुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या स डिंग्लोमा खबक्ष्य होना चाहिए ।	
टिप्पण : J. महैताएं, ग्रन्यथा सुप्रहित ग्रन्थर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा श्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।		
 अनुभव संबंधी प्रष्ट्रनाएं संघ लोक सेवा प्रायोग के विवेका- नुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अर्घ्याधयों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किमी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा प्रायोग की यह राय है कि उनके लिए प्रारक्षित रिक्तियों को शरते के लिए प्रपेक्षित मनुभव रखने वाले उन समुदायों के प्रभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उप- लब्ध नही हो सकेंगे। वाछनीय : (i) किसी माम्यताप्राप्त विख्वविद्यालय मे पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर की डिग्री या समयुत्य; (ii) किसी उत्तरवायी हैसियत में वस्तावेजी कार्य में प्रमुभव । (iii) मंग्रेजी में भिन्न किमी एक ग्राधुनिक यूरोपीय भाषा में कार्य साधक ज्ञान। 		
भर्सी की पढीति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति हारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानां द्वारा तथा बिभिन्न पढतियों हारा भरी जाने वाली रिक्लियों की प्रतिशतता		ा भर्ती की बजा में वे श्रेणियां जिनसे या जायेगा
10		1 {
प्रोमति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जि ग्रंतर्गत स्रन्थकालिक संविदा है) ढारा ग्रौर दोनों के न हो सकने सीधी भर्ती द्वारा।	पर लेवा पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी 2 जिस की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (है): केष्ट्रीय सरकार/राज्य सरकारों/वि स्वायतः संगठनों के ऐसे मधि (i) जो सदम पद घारण किए हु (ii) जिन्होंने 425-700/800 क. 5 वर्ष सेवा की है; भौर	ए हैं; के या समसुल्य बेतममान वाले पदों पर की किए जाने बाते व्यक्तियों के लिए
यदि विभागीय प्रोप्नति समिति है, तो उसकी संरजना	भर्ती करने में किन परिस्थितिय परामर्था कि	ों में संघ लोक सेवा प्रायोग से व्या आएगा
. 12		13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : (i) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या सवस्य, केन्द्रीय जल आयोग	त के लिए चयन करने समय	र प्रतिनियुक्ति संबिदा पर नियुक्ति मंघ लोक सेवा प्रापोग से परामर्श

12

(iv) निदेशक (प्रशासन)-सदम्य।

टिप्पण :

- पुष्टि से समंधित विभागीय प्रोप्तति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनमोदनार्थ भेजी आएंगी, किस्तु यदि आयोग उनका 'अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोप्तति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के प्रध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।
- (पोषक प्रधर्ग के ऐसे विभागीय प्रक्षिकारी जो प्रोन्नसि की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए बिचार किए जाने के लिए पाक्ष नहीं होंगे।
- इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए किचार किए जाने के लिए पान्न नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति को ग्रवधि, जिसके भन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित फिसी ह्यूम्य फाडर से बाह्य पद पर मियुक्ति की ग्रवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से श्रधिक नहीं होंगी।)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th March, 1986

G.S.R. 458.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Commission Library (Class II and Class III posts) Recruitment Rules, 1973, except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Librarian posts in the Central Water Commission, namely :--

1. Short title and Commencement.--(i) these rules may be called the Central Water Commission, Library (Non-Gazetted Group B) Posts Recruitment Rules, 1985.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule. [सं. 7/86/एफ.सं. 39/17/80 स्थापना-1]

4. Disqualifications .-- No person .---

- (a) who has entered into or contracted a mariage with a person having spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be cligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selecti post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifica tions required for direct recruit		
1	2	3	4	5	6	7		
v đi	oriation	Genoral Central Service, (Group (B) Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.550-25- 750-E5-30- 900	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govern- ment servants upto fivo years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age	 Essential : (i) Bachelor's degree in Science of a recognised University or equivalent. (ii) Degree or equivalent Dip- loma in Library Science of a recognised University/Institu- tion or equivalent. (iii) Two years, experience in • 		

SCHEDULE

1 2 3 4		5 6	7
		limit shall be the date for receipt cations from ca in India (othe those in Andan Nicobar Islands Lakshadweep).	of appli- andidates Note 1: Qualifications are relaxable are than at the discretion of the Union nan and Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s)regar- ding experience is relaxable at the discretion of the Union Pub- lic Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selec- tion, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candi- dates from these communities possessing the regulsite experi- ence are notlikely to beavailable to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Master's degree in Library Science of a recognised Uni- versity or aquivalent; (ii) Experience of documentation work in a responsible capacity; (iii) Working knowledge of any European modern language
Whether age and educational qualifica- ions prescribed for direct recruits will apply in the case of promoteos	Period of probation, if any	Method of recruitment whethe by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and porcentage of the vacancies to be filled by various metods	deputation/transfer, grados from which promotion/deputation/transfer to be trated
8	9	. 10	11
 Age: No. Educational Qualifications: No. but must possess at least a bathelors' Degree and a Degree or equivalent diploma in Library Science. Desirable: Master's Degree in Library Science of a recognised University or equivalent; Experience of documentation work in a responsible capacity. Working knowledge of any one modern European language other than English. 		By promotion, failing which by transfor on deputation (inclu ding short-term contract) and failing both by direct terrunt- ment.	five y.a. regular service in the grade; Transfer on deputation (including short-

.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

		· · ·
12		13
Group 'B' Departmental Promotion Committee : (i) Chairman, Central Water Commission or a Member, Cent	tral Water	Union Public Service Commission shall be consulted
 (i) Chamman, Contral Water Commission of a Memoer, Central Water Commission (ii) Diroctor (TD), Central Water Commission (iii) Deputy Socretary (Administration), Ministry of Water 	Chairman Momber	while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation/Contract.
Rosources	-Member	
(iv) Director (Administration), Central Water Commission	Member	
Note: The proceedings of the Departmental Promotion Con confirmation shall be sont to the Union Public Service Comm If, however, these are not approved by the Commission a fre Departmental Promotion Committee to be presided over by Member of the Union Public Service Commission shall be be	ission for approval osh meeting of the the Chairman or a	,

[No. 7/86/F.No. 39/17/80 Estt.I]

मा०का०नि० 459. राष्ट्रपति, संविधान के भनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत झायोग पुस्तकालय (वर्ग 2 और वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1973 को प्रधिकांत करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रर्थात्:

1. संक्षिप्त भाम और प्रा^रम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग, पुस्तकालय (घराजपत्नित समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 1986 है।

(2) य राजपत्न में प्रकाशन की शारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद ग्रनसूत्री के स्तम्भ 1 में विनिर्विष्ट पदों को लागू होंगे।

 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्म 2 से 4 में विनिदिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, झाय सीमा, प्रहेताएं और उनसे संबंधित ग्रन्य वालें वे होंगी जो उकन ग्रनसूची के स्तम्भ 5 से 13 में बिनिंदिण्ट 🖁।

- निर्फ्रताएं : वह व्यक्तिः
- (क) जिसमे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (खा) जिसमे अपमे पति या अपनी पतनी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पत पर नियकिस का पाल नहीं होंगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और दिवाह के घन्य पक्षकार को ल्'गूस्वीय विधि के झधीभ घम्ह्रोय है और ऐसा करने के लिए घन्य घाधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिषिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना भाषभ्यक या समीचीन है, वहरं वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्गया प्रवर्गके व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल का सकेगी।

7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई वाल, ऐसे भारक्षणों, भागु सीमा में छूट और ग्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं बरलेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए श्रावेणों के ग्रनुसार ग्रनुसूचित जातियों/ग्रनुसूचित जनआतियों और ग्रन्य वियोष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना घपेक्षित है।

				ग्रनुसूची		
पर्व का नाम	पद्यों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद प्रथवा स्रच्यन पद	सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिमों के लिए ग्रायू सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायवा केन्द्रीय सिबिल सेवा (पेंसम) नियम, 1972 के नियम 30 के घडीन छनु- होय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	641
पुस्सकालयाघ्यक्ष श्रेणी 2	6* (छः) (1986) *कार्यभार के द्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (सम् ह् ग) भ्रराजपन्नित ग्रननुसचित्रीय	425-15-500- व. रो 15-560- 20-700 रुपये	मचर्यन	30 वर्ष से ग्राधिक नहीं (केन्द्रीय सरफार द्वारा जारी किए गए ग्रमु- देशों या आवेशों के प्रनुसार सरफारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शियिल की जा सकतो है)। टिप्पण : ग्रायु सीमा ग्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीब, भारत में ग्रम्यांययों से	नहीं

	2	3	4	5	6	6 T
				Ĩ	(उनसे फिल्ल जो अंडमान और द्वीप सथा लक्षद्वीप में हैं) प्रा करने के लिए नियन की गई होगी। से पदौंकी बाबत, जिन पर नियुवि कार्यालयों के साध्यम से की ग्रायु सीमा भवधारित करने निर्णायक तारीख प्रत्येक माम अंतिम तारीख होगी जिस तथ कार्यालयों से नाम भेजने के गया है।	वेवन प्राप्त अंगिम तिथि जाती है, के लिए ले में, बह् इ रोजगार
म् भो भर्ती किए	जाने वाले व्यक्तियों के लिए	गौक्षिक और प्रन्य प्रष्टुंसाएं			व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की ग्रवधि, यदि कोई हो
	7		a	·	8	9
और पुर (2) किसी प्र बोछनीय : (1) वस्तावेज (2) अंग्रेजी : साधक । टेप्पण : झनु प्राधिका री सूचित जन जा सफती छायोग/सक्ष आरक्षित	सकालय विज्ञान में डिग्रं सिष्टित पुस्सकालय में 2 व ी कार्यका प्रमुभव से भिष्ठ किसी एक धाधुनि गन। त्व संबंधी धईताएं (कर्म के विवेकानुसार मनुसू जातियों के सम्पर्थियों क हैं जब चयन के किसी ाम प्राधिकारी की भरने के उन समुदायों के सम्पर्थी	ो भधिमान दिया जायगा । या समसुख्य डिप्लोमा । र्षका प्रनुभव । क यरोपीय झाषा का कार्य- गरी चयन झायोग/सक्षम जिस जालियों और ग्रनु- रो दशा में सब शिथिल की प्रक्रम पर कर्म चारी चयन राय है कि उनके लिए लिएं भपेक्षिस ग्रनुभव पर्याप्त संख्या में उपलब्ध			नहीं	दो <i>व</i> र्ष
नहीं हो सन			त/स्थानांत रण		प्रोन्नति/प्रसिनियुक्ति/स्यानांतरण	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे
मतीं की पत्न		प्रोन्नोत द्वारा या प्रतिनियुगि जाने वाली रिक्तियों की		- ·		थानांतरण किया जायेगा ।
मर्तीकी पद्ध ग्रारा तथा जि प्रिक्ति धारा	भेष पदातियों द्वारा भरी	जाने वाली रिक्तियों की . प्रतिनियुक्ति पर स्थानांत	प्रतिगतता ।		रेसा पुरसकालयाध्यक्ष श्रेणी 3 के पक्ष्वास उस श्रेणी में प्रसिनियुक्ति पर स्थानास्तरण ऐसे व्यक्ति जो सर्वुग पद धान भर्ती किए जाने वाले अ कार्हताए हैं।	1 जिसने नियमित ब्राधार पर प्रनिनियुक्ति 5 वर्ष सेवा की है।
मर्सी की पढ ारा तथा वि प्रोन्नति द्वारा बोनों के स	भिन्न पद्धतियों द्वारा भरी 10 जिसके न हो सकने पर	जाने वाली रिक्तियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांत तीं द्वारा।	प्रतिगतता ।		रेसा पुरसकालयाध्यक्ष अेणी 3 के पक्ष्वास उस श्रेणी में प्रसिनियुक्ति पर स्थानालरण ऐसे व्यक्ति जो सर्वुग पद धान भर्ती किए जाने वाले अ कर्हताए हैं। (प्रतिनियुक्ति को अवधि, साधा	1 जिसने नियमित प्राधार पर प्रनिनियुकित 5 वर्ष सेवा की है। : एण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे रक्तियों के सिए स्तम्भा 7 से विहित
मर्तीकी पढ द्वारा तथा वि प्रोन्नति द्वारा वोनों के	मेल पद्धतियों द्वारा भरी 10 जिसके न हो सकने पर न हो सकने पर सीधी भ	जाने वाली रिक्तियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांत तीं द्वारा।	प्रतिगतता ।		रेसा पुरसकालयाध्यक्ष अेणी 3 के पक्ष्वास उस श्रेणी में प्रसिनियुक्ति पर स्थानालरण ऐसे व्यक्ति जो सर्वुग पद धान भर्ती किए जाने वाले अ कर्हताए हैं। (प्रतिनियुक्ति को अवधि, साधा	1 जिसने नियमित प्राम्नार पर प्रनिनियुकित 5 वर्ष सेवा की है। : एण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे राक्तियों के लिए स्तम्भा 7 से विहित रणतया तीन वर्ष से प्रधिक नहीं होंगी।) ों में संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श

1		3	4	5	6	 6¶7
1	2 			··· -·		
पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-3		माधारण केन्द्रीय रेज्य (भगप र		क्षागू नहीं होर	।। 28 वर्षे से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	नहीं
	(पांच) (1000)	सेवा (सम <u>ुह</u> ग	/		•	
	(1986)	भ्राराजप लि स	द ०रो० 20-640	40	किए गए मनुवेशों या मावेशों	
		त्र ममु स चिवीय			में अनुसार सरकारी सेवकों के जिल्ला का लोग का कि	
					केलिए 35 वर्षे तक शिथिल	
					की भासभती है)।	
					टिप्पणः धायु-सोमा मगधा रिन	
					मारने के लिए निर्णायक	
					तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (
					(उनसे भिन्न जो अंदमान और रिकोच्च की स्वार्थन स्वार्थन	
					निकोबार द्वीप सथा लक्षद्वीप	
					समूह में है) आवेदन प्राप्त करने	
					के लिए नियत की गई अंतिम	
					तारीच होगी।	
					ऐसे पदों की बाधत, जिम पर	
					निमुक्ति रोजगार कार्यालयों के	
					माध्यम से की जाती है, जामू-	
					संग्मा प्रवधारित कनने के लिए	
					निर्णायक तारीख वह अंतिम	
					तारीख होगी जिस तक रोजगार	
					कार्यालयों से नाम भोजने के लिए	
	*कार्यभार क				लिए का गया है।	
	म्राधार पर परि-					
	वर्तन किया जा					
	सकता है।					
_				·		
				· <u> </u>		
		 		8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		 		8 नहीं होता	9 दो वर्ष	
		 डग्री विज्ञान में	लागू		· ··	·
i) किसी मान्यता प्राप्त जनाव की दियों या		ના દ્વયા ગાણવા ા	लागू		· ··	
i) किसी मान्यता प्राप्त स्नाप्तक की डिग्री या ii) किसी भान्यता प्राप्त	7 7 विश्वविद्यालय से पि समसुरूय को अधिमार विश्वविद्यालय या उ	ના દ્વયા ગાણવા ા	लागू		· ··	
i) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या ii) किसी भान्यता प्राप्त काप्रया विज्ञास में डिप	7 7 विश्वविद्यालय से पि समसुरूय को अधिमार विश्वविद्यालय या र रोमा या समदुल्य।	त दिया जाएगा । संस्थान से पुस्त-	लागू		· ··	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिप् क्रालय (i) प्रतिष्ठित प्र	7 निभवविद्यालय से पि समसुरुय को भविमान विश्वविद्यालय या द लोमा या समतुरुय । प्रस्कालय का एक वर्ष	त दिया जाएगा । संस्थान से पुस्त-	लागू		· ··	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिप् कालय (i) प्रतिष्ठित प्र	7 7 विश्वविद्यालय से पि समसुरूय को अधिमार विश्वविद्यालय या र रोमा या समदुल्य।	त दिया जाएगा । संस्थान से पुस्त-	लागू		· ··	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिप् कालय (i) प्रतिष्ठित प्र	7 निभवविद्यालय से पि समसुरुय को भविमान विश्वविद्यालय या द लोमा या समतुरुय । रूरकालय का एक वर्ष	त दिया जाएगा । संस्थान से पुस्त-	लागू		· ··	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिप् रुतीय: (i) प्रतिष्ठित प्र	7 विश्वविद्यालय से पि समसुरूय को भविमान विश्वविद्यालय गा त्रोमा या समतुरूय । पुस्तकालय का एक वर्ष कार्यका म्रा म्रानुभव ।	न दियाजाएगा । संस्थान से पुस्त- • का ग्रनुभव । 	लागू		दो वर्ष 	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिप् कालय (i) प्रतिष्ठित प्र	7 विश्वविद्यालय से पि समसुरूय को भविमान विश्वविद्यालय गा त्रोमा या समतुरूय । पुस्तकालय का एक वर्ष कार्यका म्रा म्रानुभव ।	न दियाजाएगा । संस्थान से पुस्त- • का ग्रनुभव । 	तागू 		दो वर्ष 11 सागू नहीं होता	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विक्रान में डिप gनीय: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी	7 विश्वविद्यालय से रि समसुरूय को घधिमार विश्वविद्यालय या उ कोमा या समतुरूय । पुरतकालय का एक वर्ष कार्य का च्रनुभव । 	न दियाजाएगा । संस्थान से पुस्त- फा ग्रनुभव । 10 	लाग्		दो वर्ष 11 लागू नहीं होता 13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विकाल में डिप छनीय: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी 	7 विश्वविद्यालय से रि समसुरूय को घधिमा विश्वविद्यालय या उ कोमा या समतुरूय । पुरतकालय का एक वर्ष कार्य का च्रनुभव । सी धी 	भाग्रत्भव। • फाग्रत्भव। 			दो वर्ष 11 सागू नहीं होता	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिण् छनीय: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी प्रिंट के संबंध में विचार प्रा "ग" विज्ञागीय प्रोफरि	7 विश्वविद्यालय से गि समसुख को घधिमा विश्वविद्यालय सा उ लोमा या समतुख्य । उस्तकालय का एक वर्ष कार्य का ग्रनुभव । 	न । दया जाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभव । 10 भर्ती द्वारा 			दो वर्ष 11 लागू नहीं होता 13	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी मान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिण् छनीय: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी 	7 विश्वविद्यालय से गि समसुख को घविमा विश्वविद्यालय सा उ लोमा या समतुख्य । उस्तकालय का एक वर्ष कार्य का ग्रनुभव । 	न । दया जाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभन । 10 भर्ती द्वारा 			दो वर्ष 11 लागू नहीं होता 13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी मान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिप छनीय: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी 	7 विश्वविद्यालय से गि समसुरूव को घविमा विश्वविद्यालय या व रुरोमा या समतुरूय । उराकालय काएक वर्ष कार्य का घनुभव । 	न दियाजाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभव । 			दो वर्ष 11 लागू नहीं होता 13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विज्ञान में डिप छनीय: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी 	7 विश्वविद्यालय से रि समसुरूव को घविमार विश्वविद्यालय या व रुरोमा या समतुरूय । उरतकालय काएक वर्ष कार्य का चनुभव । 	न दियाजाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभव । 	वर्नर्गाः देशफ/प्रर्धाकण इजी-		दो वर्ष 11 लागू नहीं होता 13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विकाल में डिप छनीय: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी प्रिंट के संबंध में विचार प्रेट के संबंध में विचार के संबंध के विचार के संबंध के विचार के संवीय के किया जा नियर की पंक्ति की ही निंगे	7 7 तिश्वविद्यालय से रि समसुख्य को घर्षिमारं विश्वविद्यालय या उ रुरोमा या समतुख्य । पुस्तकालय का एफ वर्ष कार्य का छनुभव । 	न । दया जाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभन । 10 भर्ती ढारा 	वर्नर्गाः देशफ/प्रर्धाकण इजी-		दो वर्ष 11 लागू नहीं होता 13	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या i) किसी भान्यता प्राप्त कालय विकाल में डिप छनीम: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी (ह "ग" विभागीय प्रोप्तरि i) निदेशक (प्रशासन), i) सहयोजित किया जा नियर की पंक्ति का	7 7 तिश्वविद्यालय से रि समसुख्य को घर्षिमारं विश्वविद्यालय या उ रुरोमा या समतुख्य । पुस्तकालय का एफ वर्ष कार्य का छनुभव । 	न । दया जाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभन । 10 भर्ती ढारा 	वर्नर्गाः देशफ/प्रर्धाकण इजी-		दो वर्ष 11 लागू नहीं होता 13	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या कालय विज्ञान में डिग् छनीम: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी (ह "ग" विभागीय प्रोप्तरि i) निदेशक (प्रशासन), i) सहयोजित किया जा नियर की पंक्ति का i) ग्रवर सचिव/कोई निंग v) केल्ट्रीय जल बायोग	7 7 तिश्वविद्यालय से रि समसुख्य को घर्षिमारं विश्वविद्यालय या उ रुरोमा या समतुख्य । पुस्तकालय का एफ वर्ष कार्य का छनुभव । 	न । दया जाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभन । 10 भर्ती ढारा 	वर्नर्गाः देशफ/प्रर्धाकण इजी-		दो वर्ष 11 लागू नहीं होता 13	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या कालय विज्ञान में डिग् छनीम: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी (ह "ग" विभागीय प्रोप्तरि i) निदेशक (प्रशासन), i) सहयोजित किया जा नियर की पंक्ति का i) ग्रावर सचिव/कोई निंग v) केन्द्रीय जल ग्रायोग	7 विश्वविद्यालय से रि समसुरूव को घविमा विश्वविद्यालय या व रुतोमा या समतुरूव । पुरतकालय का एक वर्ष कार्य का घनुभव । 	न दियाजाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभव । 	वर्नर्गाः : देशक/प्रर्धाक्षण इजी- य 4	मही होता 	दो वर्ष 11 सागू नहीं होता 13 लागू नहीं होला 6	
) किसी मान्यसा प्राप्त स्नासक की डिग्री या कालय विज्ञान में डिग् छनीय: (i) प्रतिष्ठित प् (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी (ii) दस्सायेजी (iii) दस्सायेजी (iii) दस्सायेजी (iii) दस्सायेजी (iii) दस्सायेजी (iii) दस्सायेजी (iii) दियाक (प्राप्ता (iii) निदेशक (प्राप्ता (iii) सहयोजित किया जा नियर की पंक्ति का (i) ग्रवर सचिव/कोई निंग (v) केन्द्र)य जल ग्रायोग	7 विश्वविद्यालय से रि समसुस्य को घर्षिमारं विश्वविद्यालय या उ त्रोमा या समतुस्य । पुस्तकालय काएफ वर्ष कार्य का ग्रनुभव । 	न । दया जाएगा । संस्थान से पुस्त- का ग्रनुभव । 		मही होता 	दो वर्ष 11 सागू नहीं होता 13 लागू महीं होता	

1	2	3 4	5	6	6 %
	······································	अननुसचिवीय		सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष	
				सक शिथिल की जासकती है।)	
				टिप्पण : ग्रायु-सीमा अवधारित करने	
				के लिए निर्णायक तारीख, भारत	
				में प्रभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न	
				जो अंदमान और निकोबार द्वीप	
				सथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन	
				प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	
	ske	कायभार के		ાસ, બાહાળા લાહાજા છુાળા મ	
		कायमार पर भाषार पर परिवर्तन			
		नावार गरगारगरग किया जा सकता है।			
			<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
<u> </u>	<u></u>	7	8	9	·
_ <u></u> ,	लागू ग	ाही होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<u></u>
		10			
			ऐसा च हकालय पा	रिचर जिसने उस श्रेणी में कम से कम इ	
মার-সরিমার	त प्रोन्नति द्वारा		रता पुरागलय ना सेवाकी है।		
		12		13	
समूह ''ग''	विभागीय प्रोक्ष	ति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी		लागू नहीं होता	
(i) निदेग	सफ (प्रशासन),	केन्द्रीय जल भायोग—-मध्यक्ष			
(ii) सहग	योजित किया जा	ने वाला केन्द्रीय जल म्रायोग का निवेशक/म्रधोक्षक क म्रधिकारी—सवस्य	त इंजी-		
		तदेणक, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण—सदस्य			
		का संबंधित ग्रवर सचिव-सदस्य			

G.S.R. 459.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Commission Library (Class II and Class III posts) Recruitment Rules, 1973, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Librarian posts in the Central Water Commission, namely :—

1. Short title and Commencement.—These rules may be called the Central Water Commission, Library (Non-Gazetted Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1986. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazetted,

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of the said poste, their classification and the scales of pay atached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule aforesaid.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relation theto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule [सं 8/86/एफ. सं. 39/17/80-स्था. I] यी. के. साधु, अवर सचिव

- 5. Disqualifications .--- No person---
 - (i) who has entered into or contracted a mariage with a person having spouse living; or
 - (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds of so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

	<u></u>			SCH	EDULE			
amo of the post	Number of posts	Classifica- tion	Scale of pay	Whether Selection post or non-selectic post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.		and other quali- quired for direct
1	2	3	4	5	6	6a.	7	
. Librarian Grade II		Ministoria		Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accord- ance with the instructions or ordors issued by the Contral Government). Note : The crucial date for determin ing the age limi shall be the closi date for receipt o applications from candidates in Ind (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweet In respect of posts, the appointment to which are may through the Em- ployment Excha the crucial date for determining the age limit will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	t ng f ia p). le nges,	and I lent I Science (ii) Two in a L Desirab (i) Exper menta (ii) Workin one r Langn Englis Note : rogardin relaxabl of Staf mission thority i belongi Castes/ if at an Staff S slon/0 rity is sufficie candida commu the re are n availal vacanc	clor's Degree ably in Science Degree or equiva- Diploma in Libary years experience library of standing le: ience of docu- ation work. ing knowledge of nodern European tage other than sh. The qualifications we experience are le at the discretion f Selection Com- /Competent Au- incase of candidate ing to Scheduled Scheduled Tribes y stage of selection election Commis- Competent Autho- of the opinion that but number of ates from these inities possessing equisite experience ot likely to be bele to fill up the y reserved for them
educational	n tho	btion, whth any men or by and vace	and of recruits her by direct re- t or by promo- deputation/t porcentage of uncies to be fil- ous methods.	ecruit- pror ption tran ransfer white the deput	a c of recruitment by notion/deputation/ sfer, grades from ich promotion station/transfer to nade.	tion Commit what is its co	tee exists,	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruit- ment.
8	<u></u>	9	10		11	1 • • • • • •	2	13
No	Two	years By r	romotion fail	ing Libr	arian Grade III with	Group 'C' D	epartmental	Not applicable.

3	9	10	11	12	13
		deputation failing both by direct recruitment.	on regular basis. Transfer on deputation : Persons holding analogous	consisting of : (i) Director (Adminis- tration) Central Water Commi- ssion—Chaimran, (ii) An officer of the rank of Director/ Superintending Engineer, Central Water Commission to be co-opted— Member	
			(ii	ii) Under Secretary/ Any Director, Central Electricity Authority—Member	
			(in	v) Under Secretary concerned Central Water Commi- ssionMember.	

1	2	3	4	5	6	6а.	7
2, Librarian Grade III	5(Five)* (1986) *Subject to varia- tion depen- dent on work load.	Genoral Central Service, Group 'C' Non- Gazetted Non- Ministerial.	Rs. 380-12- 440-EB-15- 560-EB-20- 640.	Not applicable.	Not exceeding 28 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determin- ing the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman ard Nicobar Islands and Lakshadweep).	Νυ.	Essential : (i) Bachelor's degree pre- ferably in Science of a recognised University or equivalent. (ii) Diploma or equivalent in Library Science of a recognised University or Institute. Desirable : (i) One years' experience in Library of standing (ii) Experience of docu- mentation work.
					In respect of posts, the appointment to which are made through the Em- ployment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will be the last date upto the Employ- ment Exchanges are asked to submit the names.		

8	9		10		11	12		13
Not applica bl 2.	Two years	By dir.ct	t r.cruitm;nt	Not app		(iii) Under Secre Any Dir-cto Electricity A	mmittee (For nfirma- Iministra- al Water a the cotor/ ing cotor/ cot	
1	2	3	4	5	6	6(a)		7
3. S∋nior Library Attendant	(1986) C *Subject to varia- (tion dependent	Group 'C' Non- Gazstted Non-	Rs. 260-6- 326-EB-8- 350.	Non- S ₂ 1_ction	Not exoreding 30 years (Relaxable for Government servants upto 33 years in accords with the instru- tions or orders issued by the Central Government). Note 1 The crucis date for determ ing the age limit	e 5 5 c- al pin- it	Not apj	plica ble

8	9	10	11	12	13
Not applicablo	Two Years	By promotion 100 %	Library Attendant who have rendered at least 5 years continuous service in the grade.	Group 'C Departmental Promotion Committee consisting of : (i) Director (Adminis- tration), Central Water Commission — Chairman. (ii) An officer of the rank of Director/ Superintending Engineer, Central	Not applicable

shall be the closing

date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands).

8	3	9		10	11	12	13
				·_ _		Witer Commission	
						to be co-opted	
						-Momber.	
						(iii) Under Secretary/ Any Director, Central	
						Electricity Authority	
						Memb≥r.	
						(iv) Under Szcretary	
						concerned, Central Water Comrission	
						water Conn Ission ⊷Member.	
<u> </u>							
						[N0. 8/86/F. N0. V.K. SADH	39/17/80-Estt. I U, Under Secy.
				नई दिल्ली, 14 म	र्दि, 1986		
	त्ता का जि	४६० राज्यति सं	तेपाल के पानच्छे?			ायों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिग	च जस कोन्द्रे
						या का त्रयाव करते हुए, कप्प्राय सूचिव यम बनाते हैं, ग्रथति्:	લ ગલ માહ
			•				
1.				१ च।इ, समूह् ग	जार सम्ह ध	भर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।	
	` '	गपद्रामें प्रकाशन की तार					
2.	केन्द्रीय भूमिग	त जल बोर्ड (समूह "ग	" और समूह "ष")	भर्ती नियम, 190	38 को ग्रनुसूर्च। के	स्थान पर निम्नलिखिश ग्रनुसूर्च। रखी	जाएगी, अर्थात्:-
				मनु	सूषी 		
ह.स <u>ं</u> .	पव का नाम	 पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतममान	चयन पद भ्रथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सेवा में जीड़े गए
							~
					मचयम पद	लिए भ्रायु-सीमा	
					માળ્યન પવ	ालए भायु-सामा	केन्द्रीय सिविल सेर
					મખ્યન પવ	ालए आयु-सामा	केन्द्रीय सिविल सेथ (पेंशन) नियम,
					માજ્યન પવ	ालए आयु-सामा	केन्द्रींय सिथिल सैव (पेंशन) नियम, 1972 के निय
					મળ્યન્પવ	ालए धायु-सामा	कैन्द्रींय सिथिल सैंध (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग
					મળ્યન પવ	ालए आयु-सामा	कैन्द्रींय सिथिल सैंध (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग
1	2	3	4	5	માંચ્યમ પવ 	ालए धायु-सामा 	केन्द्रींय सिथिल सैध (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग
			4 साधारण केन्द्रीय	5	6		केन्द्रीय सिविल सेंग (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधी प्रानुत्तेय है या न
	2 क्लीनर	3 128*		200-3-206-4-		, 7 	केन्द्रीय सिविल सेंग (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रानुशेय है या न 7क नहीं
			साधारण केन्द्रीय	200-3-206-4-	6	ं 7 18-25 वर्षे	केन्द्रीय सिविल सेंग (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रानुशेय है या न 7क नहीं
			साधारण केन्द्रीय समूह '' ब '' ग्रराज-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	ं 7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए	केन्द्रीय सिविल सें (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रनुज्ञेय है या न 7क नहीं
			साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	ं 7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए ग्रनुदेगों या प्रादेशों केग्रनु-	केन्द्रीय सिविल सेंग (पेंशन) सियम, 1972 के निय 30 के मधी प्रनुक्तेय है या न
1			साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	ं 7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेशों या ग्रादेशों के भ्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए	केन्द्रीय सिविल सेंग (पेंशन) सियम, 1972 के निय 30 के मधी प्रनुक्तेय है या न
			साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए छनुदेगों या घादेगों के छनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की ज	केन्द्रीय सिविल से (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधी श्रनुशेय है या न 7क नहीं
			साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	ं 7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए झनुदेगों या ग्रादेशों के झनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की ज सकती है।)	केन्द्रीय सिविल सें (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रानुशेय है या न 7क नहीं
			साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	ं 7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए ग्रनुदेगों या ग्रादेशों के प्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल कों ज सकती है।) टिप्पण : ग्रामु सीमा भ्रवधारिस कर	केन्द्रीय सिविल सें (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रानुशेय है या न 7क नहीं : : : : : : : :
			साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए छनुदेगों या घादेगों के छनु- सार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्षे तक शिथिल की ज सकती है।) टिप्पण: झायु सीमा धवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, भार में धभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज वर्षमान और निकोबार द्वीप स्थ	केन्द्रीय सिविल सेंग (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधी प्रानुहोय है या न
		128*	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेगों या ग्रादेशों के अनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की ज सकती है।) टिप्पण: प्रायु सीमा धवधारिस कर के लिए निर्णायक तारीख, जार में धभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न ज र्वदमान और निकोबार द्वीप सथ लक्षद्वीप में हैं) धावेदन प्राप्त	केन्द्रीय सिविल सेंग (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग श्रनुहोय है या न 7क नहीं 1 ने त
		128* *कार्यभार के झा-	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेगों या ग्रादेशों के अनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिस की ज सकती है।) टिप्पण: प्रायु सीमा अवधारिस कर के लिए निर्णायक तारीख, भार में प्रभ्यायियों से (उनसे भिन्न ज अंदमान और निकोबार द्वीप सथ लक्षद्वीप में हैं) धावेदन प्राप्त करन के लिए नियद्य की भा	केन्द्रीय सिविल सें (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रानुहोय है या न 7क नहीं त ने त
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेगों या ग्रादेशों के प्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिस को ज सकती है।) टिप्पणः ग्रामु सीमा ध्रवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, भार में धभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज वंदमान और निकोबार द्वीप सर्थ लक्षद्वीप में हैं) धावेदन प्राप्ट करन के लिए नियत्त की भ अंतिम दारीख होगी। ऐसे पर्व	केन्द्रीय सिविल से (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रानुशेय है या न 7क नहीं : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
		128* *कार्यभार के झा-	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेगों या प्रादेशों के प्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की ज सकती है।) टिप्पण : प्रायु सीमा भवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, जार में भ्रभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज मं प्रभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज मं प्रभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज मं प्रभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज मं दाराल और निकोबार द्वीप सप लक्षद्वीप में हैं) भावेदन प्राप्ट करन के लिए नियत्त की ग अंतिम सारीख होगी। ऐसे पर्य की बाबत, जिन पर नियुक्ति	केन्द्रीय सिविल सेव (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रनुशेय है या न 7क नहीं : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए छनुदेगों या घादेशों के छनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिस की ज सकती है।) टिप्पण : प्रायु सीमा छवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, जार के लिए निर्णायक तारीख, जार में घभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न ज र्वदमान और निकोबार द्वीप सण लक्षद्वीप में हैं) छावेदन प्राप्ट करन के लिए नियत्त की भा अंतिम दारीख होगी। ऐसे पर्व की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार और प्रशिक्ष महा-	केन्द्रीय सिविल सेव (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीर प्रनुशेय है या न 7क नहीं : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेगों या प्रादेशों के भ्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की ज सकती है।) टिप्पण : प्रायु सीमा भवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, जार में मर्भ्यायियों से (उनसे भिन्न जर से लिए निर्णायक तारीख, जार में मर्भ्यायियों से (उनसे भिन्न जर के लिए निर्णायक तारीख, जार में मर्भ्यायियों से (उनसे भिन्न जर के सादीप में हैं) भावेदन प्रास् करन के सिए नियल की भ अंतिम सारीच होगी। ऐसे पर्य की साबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार और प्रशिक्ष महा- निदेशालय या रोजगार कार्या	केन्द्रीय सिविल सेव (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रनुष्ठेय है या न 7क नहीं : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेगों या ग्रादेशों के अनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिस की ज सकती है।) टिप्पण: प्रायु सीमा अवधारिस कर के लिए निर्णायक तारीख, झार में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न ज वंदमान और निकोबार द्वीप सथ लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करन के लिए नियत्त की भा अंतिम सारीख होगी। ऐसे पर्य की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार और प्रशिक्षु महा- निदेशालय या रोजगार कार्या सय के माघ्यम से की जाती है	केन्द्रीय सिविल सेव (पेंशन) नियम, 1972 के नियन 30 के घधीग प्रानुहोय है या न 7क नहीं त त त
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेगों या ग्रादेशों के भ्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिस की ज सकती है।) टिप्पणः ग्रामु सीमा ध्रवधारिस कर के लिए निर्णायक तारीख, भार में धम्धर्थियों से (उनसे भिन्न ज में धम्धर्थियों से (उनसे भिन्न ज में धम्धर्थियों से (उनसे भिन्न ज में धम्धर्थियों से (उनसे भिन्न ज मं धारीच की रादि होगी। ऐसे पर्य की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार और प्रशिक्ष महा- निदेशालय या रोजगार कार्या लय के माघ्यम से की जाती है भ्रामु सीमा ध्रवधारित करने के	1972 के निया 30 के सवीग प्रानुशेय है या न 7फ नहीं
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेगों या ग्रादेशों के प्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिस कों ज सकती है।) टिप्पणः ग्रामु सीमा धवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, भार में घध्यर्थियों से (उनसे मिस्न ज संदमान और निकोबार द्वीप स्थ लक्षद्वीप में हैं) धावेदन प्राप्ट करन के लिए निर्याय तीप स्थ लक्षद्वीप में हैं) धावेदन प्राप्ट करन के लिए नियत्त की भा अंतिम दारीख होगी। ऐसे पर्य की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार और प्रशिक्षु महा- निदेशालय या रोजगार कार्या लय के माध्यम से की जाती है ग्रामु सीमा ग्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रस्थ	केन्द्रीय सिविल सेव (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रानुशेय है या न 7क नहीं : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेगों या प्रादेशों के प्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की ज सकती है।) टिप्पण : प्रायु सीमा भवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, भार में भभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज संदमान और निकोबार द्वीप स्प लक्षद्वीप में हैं) भावेदन प्राप्ट करन के लिए नियत की भ अंतिम सारीख होगी। ऐसे पर्य की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार और प्रशिक्ष महा- निदेशालय या रोजगार कार्या सय के माघ्यम से की जाती है भायु सीमा मयधारित करने वे लिए निर्णायक तारीख होग	 केन्द्रीय सिविल सें (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रानुशेय है या न 7% नहीं नहीं ने त ने त
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्षे (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए छनुदेगों या घादेशों के छनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की ज सकती है।) टिप्पण : प्रायु सीमा छवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, झार में घभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज संदमान और निकोबार द्वीप सथ लक्षद्वीप में हैं) छावेदन प्राप्ट करन के लिए नियत की भा अंदिम सारीख होगी। ऐसे पर्य की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार और प्रशिक्ष महा- निदेशालय या रोजगार कार्या लय के माघ्यम से की जाती है झायु सीमा छवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगे जिस तक रोजगार और प्रशिक्षा	केन्द्रीय सिविल सेव (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधीग प्रनुशेय है या न 7क नहीं : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
		128* *कार्यभार के झा- धार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय समूह ''ख'' झराज- पन्नित (मननु-	200-3-206-4- 234-र . रो4-	6	7 18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेगों या प्रादेशों के प्रनु- मार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की ज सकती है।) टिप्पण : प्रायु सीमा भवधारित कर के लिए निर्णायक तारीख, भार में भभ्यथियों से (उनसे भिन्न ज संदमान और निकोबार द्वीप स्प लक्षद्वीप में हैं) भावेदन प्राप्ट करन के लिए नियत की भ अंतिम सारीख होगी। ऐसे पर्य की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार और प्रशिक्ष महा- निदेशालय या रोजगार कार्या सय के माघ्यम से की जाती है भायु सीमा मयधारित करने वे लिए निर्णायक तारीख होग	केन्द्रीय सिविल से (पेंशन) नियम, 1972 के निय 30 के मधी प्रनुशेय है या न 7क नहीं : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रैक्षिक और धन्य सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्ता की भवधि, यदिकोई हो भईताएं

षिहित द्यायु और सैक्षिक छईताएं प्रोन्नत व्य-

कितयों की दशा में लागू होंगीं या नहीं

8	9 10
म्रावम्यक लागू नही होता	दी वर्ष
(1) भाठनीं कक्षा उत्तीर्ण	
(ii) क्लनिर के रूप में दो प्रधौँ तक कार्यं किया हो ।	
<u> </u>	
(i) मैट्रिकुलेशन या समनुत्य ।	
(ii) भारी बाहनों के लिए विधिमान्य मोटरयातचालन ग्रनु-	
श्रष्टित हो।	
टेप्पणः ग्रनुभव संबंधी धर्हता सक्षम प्राधिकारी के विभेकानुसार	
भनुसूचित जातियों और भनुगूचित जनजातियों के मध्य-	
थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके तब शिषिल	
की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रकम पर सक्षम	
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारक्षित जिन में जे ज मेरे दिया मेरेला जानक जो को	
रिक्तियों को भरने के लिए प्रयेक्षित प्रनुभव रखने बाले	
उन समुदायों के प्रभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपसब्ध नहीं हो सकेंगे।	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
मर्ती को पढति/भर्ती सीघे होगी या प्रोक्षति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न गढतियों कारा मरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिणतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानतरण द्वारा भर्ती की रक्षा मे वे श्रेणियां जि प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
100% मीधी असी द्वारा	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना	भर्ती करने में किन परिस्पितियों में मंघ लोक सेवा भाषोग से पराग किया जाएगा
. 13]4
(प्रोकति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ग" विभागीय प्रोत्नति समिति को जो विम्नलिखित से मिलकर होगी :— '	लागू नहीं होता
। ग्रम्बीक्षण इंजीनियर,	
केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्डग्राध्यका।	
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक भधिकारी,	
केम्द्रीय भूमिगत जल वोर्ड	
टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, भागँ 2, खांग्र 3(1) तारीख 18 मई, 1968 के पृष्ठ 1058-1063 पर कृषि मंत्रालय की म्रधिसूचना से. सा. का.नि. 390 तारीख 1 मई, 1968 के रूप में प्रकाजित हुए और	
तत्पक्र्यात् इसके निम्नलिखित संगोधन हुए ।	
 सरकारी ग्रधिसूचना सं.सा.का.नि. 1311 तारीख 7 ग्रक्तूबर, 1972 के रूप में भारत में राज्यत मांग 2 खंड 3(1) पृष्ठ 3108-14 पर प्रकाशित। 	
2. सरकारी ग्रधिसूचना सं.सा.का. नि. 1666 तारीख 27 नवम्बर, 1974 के कप में भारत के राजपल भाग 2 स्त्रेंड 3(1) पुष्ठ 2945 पर प्रकाशित।	
3. सरकारी ग्रधिसूचना सं.सा.का.नि. 137 तारीख 29 जनवरी, 1977 के रूप में भारत के राजपत भाग 2 खंड 3(1) पृष्ठ 308 पर प्रकालित।	
 सरकारी मधिसूचना सं.सा.का.नि. 1033 तारीखा 4 ग्रक्तूबर, 1980 के रूप में भारत के राजपन्न भाग 2 खंड 3(1) पृष्ठ 2163-2164 पर प्रकाजित 	1
	[सं. 23-4/85-जो. बन सुबमा माथ, उप सवि

New Delhi, the 14th May, 1986

G.S.R. 460.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President herby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Group-C and Group-D) recruitment rules, 1968, namely :—

- 1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Group-C and Group-D) recruitment (Amendment) Rules, 1985.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Group-C and Group-D) Recruitment Rules, 1968, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :---

1	2	3		4	5	б
15. 0	Joaner	*128 (1985) *Subject to variation dependent on workload	'D' Non-(Isterial).	tral Services Group Jazetted, Non-Min-	Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.	Not applicable.
Age	limit for direct r	a cruits.		Whether benefits added years of serv admissible under rule of the Central C. Service (Pension) Ru 1972.	rice direct recruits. 30 ivil	lifications recquired for
	7			7 (a)		8
ur tio	oto 35 years in	able for Governme accordance with t sued by the Centr	he instrue-	No.	Essential : (i) Eight Ćlass Pass. (ii) Should have work Desirable :	ed as cleaner for 2 years.
 Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In respect of posts the appointments to which are made through the Directorate General, Employment and Training or Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit, in each case will be the last date upto which the Directorate General Employment and Training/Employment Exchanges are asked to submit the names. 			authority (reasons to h the case of candidate Castes or Scheduled selection the compet opinion that sufficien from these communit	d motor driving licence on regarding experience cretion of the competent be recorded in writing) in s belonging to Scheduled Tribes if at any stage of ent authority is of the t number of candidate les possessing the requi t likely to be available to		

Whether age and oducational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.		Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ or by deputation/transfer and percen- tage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which Promotion/deputation/trans- fer to be made.
9	10	11	12
Not applicable	Two yours.	100% by direct recruitment	Not applicable

SCHEDULE

if a Departmental Promotion Committee exist. what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commissio is to be consulted in making recruitment.		
13	14		
Departmental Promotion Committee, Group-D, (for considering Confirmation) consisting of :	Not applicable.		
1. Sup rintending Engineer, Central Ground W ter Board. 			
2. Senior Administrative Offleer, Central Ground Water Board Member			

- (1) Government notification No. G.S.R. 1311 dated the 7th October, 1972 publish.d.in Gaz.tte of India Part II Section 3(i) at pages 3108 to 3114.
- (2) Government notification No. 1666 dated the 27th November, 1976 Published in Gazette of India Part II Section 3(1) at page 2945.
- (3) Government notification No. G.S.R. 137 dated the 29th January, 1977 Published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at page 308.
- (4) Government notification No. 1033 dated the 4th October, 1980 published in Gizette of India Part II Section 3(i) at page 2163 to 2164.

[No. 23-4/85-GW] SUSHMA NATH, Dy. S cy

संचार मंत्रालय

(ৱাফ বিমান)

नई दिल्ली, 3 जुम, 1986

सा.का.नि.461:---केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर प्रविनियम, 1898 (1898 का 6) की घारा 8 में प्रदत्त अक्तियों का प्रयोग करते हए मारखीय डाकघर नियमावनी 1933 में मौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातू:---

- 1. (1) ये नियम, भारतीय डाकभर (बतुर्थ संशोधन) नियम, 1986 कन् जायेंगे।
 - (2) में 1-7-1986 से लागू होंगे।
- 2. मारसीय डाकघर लियम, 1933 (जो इसके आगे उक्त नियम संदर्भित किए जायेंगे) के नियम 3 में :----
 - (क) "पूत्र दत्त दर से दुगुने" शब्वों के स्थान पर "पूर्वदत्त दर से दुगुने बशर्ती कि स्पूनतम एक रुपया" स्थापित किया जाए, ;
 - (व) "दुहरी कमी" बब्दों के स्थान पर "दुहरी कमी बशतें कि न्यूनतम एक रुपया" स्थापित किया जाए।
 - (म) "केवल मुल माक्षा" सब्दों के स्थान पर "मुल केवल आधा बशतें कि न्यूनतम एक ग्पया", प्रतिस्थापित किया जाए।
- 3 उक्त लियम के लियम 4 में "10 पैसा" मंकों मौर मर्ब्सों के स्थान पर" "पणास पैसे" शब्द भौतिस्थापित किए जाएं।

[सं. 2-2/85-सी गाई]

- बी. अीनिवासन, निवेशक (अनुसंधान व विकास)

भारतीय ढाकघर नियमावली 1983 के प्रकाशन के पश्चात् जारी मुख्य अधिसूचमाएं इस प्रकार हैं :---

खी. एस. मार. नं. 2386 दिनांक 19-12-1975.
 खी. एस. मार. नं. 596 (ई) दिनांक 30-12-1975.
 जी. एस. मार. नं. 741 (ई) दिनांक 31-12-1975.
 जी. एस. मार. नं. 741 (ई) दिनांक 31-12-1975.
 जी. एस. मार. नं. 472 दिनांक 24-1-1976
 जी. एस. मार. नं. 93(ई) दिनांक 25-2-1976.
 जी. एस. मार. नं. 811 (ई) दिनांक 31-5-1976.
 जी. एस. मार. नं. 943 (ई) दिनांक 21-6-1976 ।
 जी. एस. मार. नं. 135 दिनांक 7-1-1978 ।
 जी. एस. मार. नं. 304 (ई) दिनांक 29-5-1978 ।
 खी. एस. मार. नं. 316 (ई) 18-5-1979 !
 जी. एस. मार. नं. 1256 दिनांक 13-5-1980 !

litera national an indi	
13.जी.एस.घार. नं.	490 (ई) दिसॉक 26-6-1980 ।
14. जो.एस.प्रार. नं.	491 (ई) दिनांक 26-8-1980।
15 जी.एस.मार. नं.	380 (ई) दिनांक 5-6-1981 ।
16 जी.एस.आर. न	409 (ई) दिनाथ: 26-9-1981 ।
17 जी.एस.ग्रार. नं.	417 (ई) दिनाक 25-5-1982।
18 जी.एस.मार न	59 (ई) दिसांक 11-2-1982 ।
19. जी.एस.ग्रार. न.	411 (ई) दिनांक 1?-5-1982 ।
	33 (ई) दिनांक 20-1-1983 ।
21. जी.एस.मार. न.	49 (ई) दिनांक 2=2-1983 ।
2.2. जी.एन.घार. न	444 (ई) विनांक 23-5-1983।
	1652 विनांक 19-5-1984।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

New Delhi, the 3rd June, 1986

G.S.R. 461.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :---

- 1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (4th Amendment) Rules, 1986.
 - (2) They shall come into force on the 1-7-1986.

2. In rule 3 of the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules) :---

- (a) for the words "Double the pre-paid rate,", the words "Double the pre-paid rate subject to a minimum of one rupee," shall be substituted;
- (b) for the words "Double the deficiency,", the words "Double the deficiency subject to a minimum of one rupee," shalt be substituted;
- (c) for the words "original half only", the words "original half only subject to a minimum of one rupce" shall be substituted.
- 3. In rule 4 of the said rules for the figures and word "10 paise", the words "fifty paise" shall be substituted.

. [No. 2-2|85-CI]

B. SRINIVASAN, Director (R&D)

Note : Principal Notification issued after the publication of the India Post Office Rules, 1933 are as follows: - -

- (1) G.S.R. No. 2886 dated 19-12-1975.
 (2) G.S.R. No. 596 (E) Dated 30-12-1975.
- (3) G.S.R. No. 741(E) Dat.d 31-1⁻¹⁹⁷⁵.
- (4) G.S.R. No. 47? Dated 24-1-1976.
- (5) G.S.R. No. 93 (E) Dated 25-2-1976
- (6) G.S.R. No. 811 (E) dated 31-5-1976
- (7)-G.S.R. No. 943 (E) Dated 21-6-76
- (8) G.S.R. No. 135 Dated 7-1-1978.
- (9) G.S.R. No. 304 (E) Dated 29-5-1978.
- (10) G.S.R. No. 316(E) Dat:d 18-5-1979.
- (11) G.S.R. No. 4118 Dated 29-12-1979.
- (12) G.S.R. No. 1756 Dated 13-5-1980
- (13) G.S.R. No. 490(E) Dated 26-6-80 (14) G.S.R. No. 491 (E) Dated 26-8-80
- (14) G(D, R, N) = 200(E) Det d f < 1081
- (15) G.S.R. No. 380(E) D^a ted 5-6-1981
- (16) G.S.R. No. 409(E) Dated 26-9-1981 (17) G.S.R. No. 417(E) Dated 22-5-1982
- (17) G.S.R. NO. 417(E) Dated 22-5-198
- (18) G.S.R. No. 59 (E) Dated 11-2-1982 (19) G.S.R. No. 411(E) Dated 13-5-1982
- (20) G.S.R. No. 33(E) Dated 20-1-1983
- (20) G.S.R. No. 33(E) Dated 20-1-1985 (21) G.S.R. No. 49 (E) Dated 2-2-1983
- (22) G.S.R. No. 444 (E) Dat d 23-5-1983
- (23) G.S.R. No. 1652 Dated 19-5-1984.